द्वितीय माला, खण्ड २२—अंक ८

२७ नवम्बर, १९५८ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

३ शिलिंग (विदेश में)

256 (A) L.S.D.

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड २२—अंक १ से १०—१७ नवम्बर से २९ नवम्बर, १९५८]

अंक १—सोमवार, १७ नवम्बर, १९५८

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८, ११ से १३ और १५ से १७	१—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९, १०, १४, १८ से २५ और २७ से ३२	२४—३२
अतारांकित प्रश्न सख्या १ से २० और २२ से ३९	३२—४८
श्री सामी वैंकटाचलम् चेट्टी का निधन	४८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. पांडेचेरी में स्थिति ; और	४९—५०
२. पाकिस्तान से सम्बन्ध	५०—५३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश	५७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५७—५८
गुड़गांव में विमान बल के सिगनल केन्द्र में अग्नि दुर्घटना के बारे म वक्तव्य	५८
समिति के लिये नि चिन	५९
केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड	५९
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	५९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) सशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५९—६९
खंड २ से १० और १	६९—७८
पारित करने का प्रस्ताव	७८
चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७८—८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	८९
दैनिक संक्षेपिका	९०—९८

पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३, ३४, ३५, ३७ से ४४ . ९९—१२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६, ४५ से ६२ . १२१—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ९२ १२८—५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२–५३

प्राक्कलन समिति—

उन्तीसवां प्रतिवेदन . . १५३

तारांकित प्रश्न संख्या १३६० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १५३

कार्य मंत्रणा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन . १५३

चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव १५४—५६

खंड २, ३ और १ १५७–५८

पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८

संघलोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १५८—७७

एक सदस्य को सजा . . : १७७

रेलवे यात्रा में जीवन की असुरक्षा के संबंध में चर्चा १७८—९३

दैनिक संक्षेपिका . . १९४—९८

अंक ३—बुधवार, १९ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७६ . १९९—२२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १०० . . . . २२१—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३ से १४५ और १४७ से १५८ . . २३२—५९

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २५९—६१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति उनतीसवां प्रतिवेदन २६१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

वित्त मंत्रालय से फाइलों का गायब हो जाना २६१–६२

आसाम तेल शोधन कारखाने के लिये भारत-रूमानियां करार के बारे में वक्तव्य २६२—६५

आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक—

पुरस्थापित . . २६५

विष (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २६५—२६८

खंड २ से ४ और १ . . . . २६८—७०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २७०

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . २७०—८४

गंगा बांध परियोजना के बारे में प्रस्ताव . . . २८५—९८

दैनिक संक्षेपिका . . २९९—३०५

अंक ४—बृहस्पतिवार, २० नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१, १०२, १०४, १०५, १०७, १०९ से ११५ और ११७ से १२१ . . . . ३०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३, १०६, १०८, ११६ और १२२ से १२९ . ३३१—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १८२, १८४, १८६ से २०२ और २०४ से २१० . . . ३३७—६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६०—६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान की घटनायें . . . . ३६३—६५

सभा का कार्य ३६६

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ३६६—८४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा . . ३८४—४११

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४१२—१७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३० से १४१ ४१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १६५ . . ४४२—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २११ से २८१ . . ४५१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४८१—८२

प्राक्कलन समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ४८२

सभा का कार्य ४८३

जानकारी का प्रश्न . . ४८३—८४

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति . . ४८४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ४८५—९३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार का प्रस्ताव . ४९३—५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . ५०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . ५०१—२४

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ५२४

दैनिक संक्षेपिका ५२४—३०

अंक ६—सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६ से १७९ ५३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ५५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८० से २०७ और २१० से २१२ ५५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ से ३७७ ५७०—६०८

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६०८—१०

प्राक्कलन समिति—

इकतीसवां प्रतिवेदन . . . ६१०

१९५५–५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) ६१०

१९५६–५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) . . ६१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ब्रिटिश तेल वाहक जहाज स्टैनवाक जापान में विस्फोट . ६१०—१२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, वापस लिया गया . ६१२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पुर-स्थापित ६१३

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश संबंधी विवरण . . ६१३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव . ६१३—३६

सभा का कार्य ६३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६३७—४४

अंक ७—मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३ से २२०, २२२, २२६, २२७ और २२९ . ६४५—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२१, २२३ से २२५, २२८ और २३० से २६० . ६६९—८४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ४४१ . . . . ६८४—७०९

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या ७०९–१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७१०–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ७११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति . . ७११—१३

पृष्ठ

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ७१३—२२

हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा . ७२२—३७

दैनिक संक्षेपिका ७३८—४३

अंक ८—गुरुवार, २७ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६५ से २७८ . . ७४५—६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ७६८—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६२, २६४, २७९ से २९० . . ७७०—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४२ से ४७९ . . . ७७५—९०

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या . . . . ७९०—९२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७९२—९३

राज्य सभा से सन्देश ७९३

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

दसवां प्रतिवेदन . . ७९३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . ७९३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य-सभा-पटल पर रखा गया . ७९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम . . . ७९३—९४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक— . . ७९४

पुरस्थापित

विशेषाधिकार प्रस्ताव —

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य . . . ७९५—८१४

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ८१५—२७

दैनिक संक्षेपिका . . ८२८—३२

अंक ९—शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५८	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २९१ से ३०१.	८३३—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०२ से ३२७ . . .	८५४—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० से ५२९, ५३१ और ५३२	८६४—८४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८८५
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	८८५
एक प्रश्न के उत्तर की कथित अशुद्धता का उल्लेख .	८८६—८७
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव	८८७—९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—	
तीसवां प्रतिवेदन	८९९
विधेयक :	
पुरस्थापित : . . .	९००—०३
(१) श्री नलदुर्गकर का व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०० का संशोधन)	९००
(२) श्री वाडीवा का हिन्दू दत्तकग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक (धारा १८ का संशोधन)	९००
(३) श्री अ० मु० तारिक का दूकानदार (मूल्यों की पर्चियां लगाना) विधेयक	९००
(४) श्री राम कृष्ण का कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ४५ और ४७ का संशोधन तथा नई धारा ४७क, ४७ख और ४७ग का रखा जाना)	९०१
(५) श्री राम कृष्ण का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ३०, ७८, ८५ आदि का संशोधन)	९०१
(६) श्री राम कृष्ण का भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)	९०१
(७) श्री राम कृष्ण का संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन) . . .	९०२
(८) श्री राम कृष्ण का प्रबन्ध परिषद् विधेयक . . .	९०२
(९) श्री राम कृष्ण का समवाय (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४३क और २५०क का रखा जाना तथा धारा २२४, २३७ आदि का संशोधन) .	९०२

	पृष्ठ
(१०) श्री महन्ती का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन)	९०३
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक—	
वापस लिया गया . . .	९०३
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ . . .	९०३—२१
सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	९२१—२२
दैनिक संक्षेपिका	९२३—२८
अंक १०—शनिवार, २९ नवम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३९ . . .	९२९—५२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ .	९५२—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३९१	९५६—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३३ से ५४७, ५४९ से ५८१ और ५८३ से ५९४ .	९८०—१००६
लुनेज में तेल के कुएं के स्थान पर आग लगने के बारे में वक्तव्य .	१००६—०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१००७—०८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सीमा समायोजना सम्बंधी समझौते की कार्यान्विति	१००८—१०
सभा का कार्य	१०१०—११
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव . .	१०११—२९
समवाय अधिनियम के कार्य-संचालन तथा प्रशासन सम्बंधी प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . .	१०२९—४७
दैनिक संक्षेपिका	१०४८—५४

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
आगड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)
अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)
अचल सिंह, सेठ (आगरा)
अचिंत राम, श्री (पटियाला)
अजित सिंह, श्री (भटिण्डा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)
अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल रशीद, बख्शी, (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)
अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)
अमजद अली, श्री (धुबरी)
अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)
अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)
अय्यांकण्णु, श्री (नागपट्टिनम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)
आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरि)

इ

इकबाल, सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री इयानी (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै,, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

क—(क्रमशः)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णैया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
को कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खां, श्री सादत्त अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपाल राव (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)
गणपति, राम, श्री (जौनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज (रायबरेली)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)
गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)
गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता–पूर्व)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)
गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूभ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)
गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

ग---(क्रमशः)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित---आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)
गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)
गौडंर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)
गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)
गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)
घोडासार, श्री फतहसिंहजी (कैरा)
घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री विमल कुमार(बैरकपुर)
घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)
घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)
घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)
घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)
चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चंद्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
चावन, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (छिन्दवाड़ा)
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनोलाल, श्री (अम्बाला--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातिया)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री केशवराव मारुतिराव (बारामती)

ज--(क्रमश:)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़--खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)

द

दलजीत सिंह,, श्री (कांगड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केशरी (कालाहांडी)
देव, श्री प्र० गं० (अंगुल)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरि)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

न—(क्रमशः)

नलदुर्गकर, श्री वेंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोयिलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुतुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन्, (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहर लाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन वल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परागीलाल, श्री सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)
पांडे, श्री सरजू (रसरा)

प---(क्रमशः)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बालासाहेब (मिराज)
पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पेकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथनाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री स० म० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदारी, श्री रामप्पा, बालप्पा (बीजापुर-दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

ब--(क्रमशः)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बैक, श्री इगनेस (लोहरदगा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री प्रभात चन्द्र (धनबाद)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश' पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरंग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवनजी (अकोला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपल कांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजोठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मल्होत्रा, श्री ठाकुर दास (जम्मू तथा काश्मीर)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची-पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

म—(क्रमशः)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (वाटल)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवान दीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)
मिश्र, श्री रबुबर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तकृष्णन्, श्री मु० (बेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरुमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्म तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर–उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)

म—(क्रमश:)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोत्ता (गुण्टूर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम)
राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)
राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम कृष्ण, श्री (महेन्द्र गढ़)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामधनी दास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबीचट्टिपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामस्वामी, श्री सें० ं० (सैलम)

र—(क्रमशः)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्री बीरेन (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)
राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्यमनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)
वर्मा श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

व –(क्रमशः)

वर्मा, श्री राम जी (देवरिया)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विजय राजे, कुंवररानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वेरावन, श्री अ० (तंजोर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित हीं० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शवनजप्पा, श्री (मंडया)
शवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (अलवर)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)
सम्पत्, श्री (नामक्कल)
सरदार, श्री भोली (सहरसा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)
सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)
सहोदरा बाई, श्रीमती (सागर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
साधूराम, श्री (जालन्धर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)
सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)
साहु, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सिंह, श्री क० ना० (शहडोल––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज)
सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद––बिहार)
सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिदय्या, श्री (मैसूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर––उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सुब्बारायन्, डा० (तिरुचेंगोड)
सुब्राह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

स---(क्रमशः)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)
सुल्तान, श्रीमती मैमना (भोपाल)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता---उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)
सोनावाने, श्री तयप्पा (शोलापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड़)
सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)
सोरेन, श्री देवी (दुमका---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)
स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)
हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले---रक्षित---अनसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)
हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री मोहम्मद इमाम
श्री वे० रा० पट्टाभिरामन
श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री श्रीनारायण दास
श्री ब० स० मूर्ति
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुबीर सहाय
श्री त० ब० विट्ठलराव
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
श्री सुरेन्द्र महन्ती
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री सत्य नारायण सिंह

विशेषाधिकार समिति—(क्रमशः)

श्री अशोक कुमार सेन
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
डा० सुब्बारायन
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह
श्री ना० वाडीवा
श्री सारंगधर सिन्हा
श्री शिवराम रंगो राने
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक
श्री विमल कुमार घोष
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री हूवर हिनिटा

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**
श्रीमती शकुन्तला देवी
श्री व० ना० स्वामी
श्री अय्याकण्णु
श्री राम कृष्ण
श्री अमल कृष्ण दास
श्री सूरती किस्तैया
श्री रूंग सुंग सुइसा
श्री बी० ल० चांडक
श्री क० र० आचार
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री करसनदास परमार
श्री यादव नारायण जाधव
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
श्री इगनेस बैक

प्राक्कलन समिति

श्री ब० गो० मेहता—**सभापति**
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
सरदार जोगेन्द्रसिंह
डा० सुशीला नायर
श्री राधा चरण शर्मा
चौधरी रणवीर सिंह
श्री गोपालराव खेडकर

प्राक्कलन समिति—(क्रमशः)

श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री तिरुमल राव
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री रामनाथन् चेट्टियार
श्री न० रं० घोष
पंडित गोविंद मालवीय
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री मथुरा दास माथुर
श्री डोडा तिमैया
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री र० के० खाडिलकर
श्री भा० कृ० गायकवाड़
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
श्रीमती मफीदा अहमद
काजी मतनि
श्री नरेन्द्रभाई नथवानी
श्री राजेश्वर पटेल
श्री विजयराम राजू
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री शंकर पांडियन
श्री झूलन सिंह
श्री रामजी वर्मा

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री मल चन्द दुबे
श्री भक्त दर्शन
श्री चि० र० बासप्पा
श्री सुब्बया अम्बलम्
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री नवल प्रभाकर
श्री जसवंत राज मेहता
श्री मोती लाल मालवीय
श्री कमल सिंह
श्री अटल बिहारी बाजपेयी
श्री रामजी वर्मा
श्री र० के० खाडिलकर
श्री वासुदेवन नायर

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्रीमती उमा नेहरू
पंडित द्वारिका नाथ तिवारी
श्रीमती कृष्णा मेहता
श्री अब्दुल सलाम
श्री जियालाल मंडल
श्री क० गु० वोडयार
श्री नानूभाई निन्छाभाई पटेल
श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया
श्री प्रताप सिंह दौलता
श्री द० रा० चावन
श्री बै० च० मलिक
श्री रामचन्द्र माझी
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
सरदार अमर सिंह सहगल
श्री नरेन्द्र भाई नथवानी
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री कृष्ण चन्द्र
श्री भूलन सिंह
श्री संबंदम्
श्री स० अ० अगाड़ी
श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया
श्री सुन्दर लाल
श्री ईश्वर अय्यर
श्री बाला साहेब पाटिल
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री रंगा—**सभापति**
डा० राम सुभग सिंह
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्री रामेश्वर साहू
श्री तो० संगण्णा

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री अ० चं० गुह
श्री न० रा० मुनिस्वामी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दासप्पा
श्री अरविन्द घोषाल
श्री प्रभात कार
श्री जयपाल सिंह
श्री शिवराज
श्री खुशवक्त राय

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर
श्री अमोलक चन्द
श्री टी० आर० देवगिरिकर
श्री एस० वेंकटरामन
श्री एम० गोविन्द रेड्डी
श्री रोहित मनुशंकर दवे
श्री एम० बसवपुनैय्या

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री फणि गोपाल सेन
श्री अजित सिंह सरहदी
श्री ठाकुर दास मलहोत्रा
श्री क० स० रामस्वामी
श्री सिंहासन सिंह
श्री जितेन्द्र नाथ लाहिरी
श्री बहादुर सिंह
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय
श्री अरविन्द घोषाल
श्री मोहम्मद इमाम
डा० कृष्णस्वामी
श्री ब्रजराज सिंह
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री ब० गो० मेहता
श्री रंगा
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री मूलचन्द दुबे
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
आचार्य कृपालानी
श्री इन्दुलाल याज्ञिक
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू
श्री प्र० के० देव
श्री भा० कृ० गायकवाड़
डा० कृष्णस्वामी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—सभापति
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री राजेश्वर पटेल
श्री मणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री मि० सू० मूर्ति
श्रीमती मैमूना सुलतान
श्री कमल कृष्ण दास
श्री बैरो
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री खुशवक्त राय
श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवन चन्द शर्मा

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य
श्री कन्हैयालाल खादीवाला
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दुरायस्वामी गौण्डर
श्री नारायण गणेश गोरे
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री उ० मयुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाथन्
श्री अमर नाथ अग्रवाल
श्री जसपत राय कपूर
डा० आर० पी० दुबे
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—सभापति
सरदार हुक्म सिंह
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्
श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम
श्री राधे लाल व्यास
श्री तय्यपा हरि सानावने
श्री शिवराम रंगो राने
डा० सुशीला नायर
श्री तंगामणि
श्री पुरुषोत्तम दास पटेल
श्री अमजद अली
श्री मी० रु० मसानी
श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री—श्री गोविन्द वल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—श्री स० का० पाटिल

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

प्रतिरक्षा मंत्री —श्री व० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री —श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री—श्री दी० प० करमरकर

सहकार मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायन कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

उपमंत्री (क्रमशः)

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री--श्री अनिल कु० चन्दा
कृषि उपमंत्री--श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत उपमंत्री--श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी
वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री--श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री--श्री श्याम नन्दन मिश्र
वित्त उपमंत्री--श्री ब० रा० भगत
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री--डा० मनमोहन दास
रेलवे उपमंत्री--श्री शाहनवाज़ खां
रेलवे उपमंत्री--श्री सें० वें० रामस्वामी
वैदेशिक कार्य उपमंत्री--श्रीमती लक्ष्मी मेनन
गृह-कार्य उपमंत्री--श्रीमती वायलेट आल्वा
प्रतिरक्षा उपमंत्री--श्री कोत्ता रघुरामैया
असैनिक उड्डयन उपमंत्री--श्री मुहउद्दीन
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री--श्री अ० म० थामस
पुनर्वास उपमंत्री--श्री पू० शे० नास्कर
विधि उपमंत्री--हजारनवीस
वित्त उपमंत्री--श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सभा सचिव

वैदेशिक-कार्यमंत्री के सभा सचिव--श्री सादत अली खां
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव--श्री जो० ना० हजारिका
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव--श्री जी० राजगोपालन
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव--श्री ललित नारायण मिश्र
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव--श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव--श्री आ० चं० जोशी
सामुदायिक विकास मंत्री के सभा सचिव--श्री ब० स० मूर्ति
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव--श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

लोक-सभा

गुरुवार, २७ नवम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नहरी पानी की बकाया रकम

+

†*२६१. **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से नहरी पानी के सम्बन्ध में 'विवाद ग्रस्त' मामलों का फैसला करने और "निर्विवाद' मामलों की शेष रकम की वसूली के बारे में कोई और प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन रकमों की शीघ्रता से वसूली करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). इस मामले पर भारत और पाकिस्तान सरकारों में पत्र व्यवहार चल रहा है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या सरकार इन बकाया राशियों का कुछ भाग सम्पर्क नहरों के निर्माण के खर्च में भारत के अंश के रूप में काट देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री हाथी** : नहीं हम इस दिशा में विचार नहीं कर रहे हैं और न ही ऐसा विचार करना हमारा काम है । हम तो अदायगी पर ही ज़ोर दे रहे हैं ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या भारत सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान सरकार से यह कहा था कि वह शीघ्र ही १०७ लाख रुपयों की राशि अदा कर दें, और यदि हां, तो क्या पाकिस्तान से कोई राशि प्राप्त हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : 'निर्विवाद' मामलों के ३०,८१,६३१ रुपये हैं और 'विवाद-ग्रस्त' मामलों के ९९,४९,६३५ रुपये हैं। इन राशियों की अदायगी के बारे में हम पाकिस्तान सरकार से बातचीत कर रहे हैं।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित प्रतिष्ठापन योजना का भारत सरकार ने पूरा-पूरा अध्ययन कर लिया है ; और यदि हां, तो सरकार ने उस योजना के बारे में क्या निर्णय किया है ?

†**श्री हाथी** : वास्तव में यह अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न के क्षत्र के बहिर है। परन्तु फिर भी उस योजना पर विचार किया गया है और उस बारे में हमने एक वक्तव्य तैयार किया है जिस पर आगामी सत्र में विचार किया जायेगा जो कि २ दिसम्बर से वाशिंगटन में प्रारम्भ हो रहा है।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि इस समस्या से सम्बन्धित तथा नहरी पानी की प्राप्त की जाने वाली राशियों से सम्बन्ध रखने वाली कुछ एक फाइलें वित्त मंत्रालय से चोरी हो गई हैं ?

†**श्री हाथी** : मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने चोरी हुई उन फाइलों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था ।

श्री रघुनाथ सिंह : चूंकि यह अगस्त का सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि अगस्त से लेकर आज तक कुछ पेमेंट पाकिस्तान के द्वारा हुआ है या कि नहीं ?

श्री हाथी : कुछ पेमेंट नहीं हुआ है ।

†**श्री गोरे** : यदि पाकिस्तान सरकार राशियां अदा करने से इनकार करती है तो सरकार इस बारे में क्या-क्या कार्यवाहियां करने का विचार रखती है ?

†**श्री हाथी** : बातचीत ।

†**श्री हेम बरुआ** : जनरल अयूब खां के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये कि उनके लिये यह जिन्दगी और मौत का सवाल है, क्या सरकार उनसे बकाया रकम की अदायगी की आशा करती है ?

†**श्री हाथी** : यह पृथक विषय है ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या विश्व बैंक के सामने यह प्रश्न उठाया गया था, और क्या पाकिस्तान से यह कह दिया गया था कि यदि इन राशियों की एकदम अदायगी न की गई तो भारत १९६२ तक पाकिस्तान को पानी देने के वचन को पूरा न करेगा ?

†**श्री हाथी** : विश्व बैंक को इस बारे में पता है। पानी बन्द करने के प्रश्न के बारे में भी विश्व बैंक को पता है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों का त्रुटिपूर्ण निर्माण

+

†*२६३. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड में निर्मित कुछ जहाजों के त्रुटिपूर्ण निर्माण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की जांच समाप्त हो चुकी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन में किन विशेष बातों का पता लगा है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]**

†**श्री सुबोध हंसदा** : डिजायन तथा निर्माण की त्रुटि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : सभा-पटल पर विवरण रख दिया गया है । गलतियों के लिये कई व्यक्ति उत्तरदायी ठहराये गये हैं उनमें मुख्य हमारे परामर्शदाता ए० सी० एल हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह जानना चाहते हैं कि इस उपक्रम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हम उनसे रुपया वापस लेने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त कुछ किया भी नहीं जा सकता है । हमने परामर्श देने का काम दूसरी उपक्रम को दे दिया है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : अन्डमन्स में यह त्रुटि निर्माण के पश्चात् ज्ञात हुई या उसके पूर्व ही ज्ञात हो गई थी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह त्रुटि निर्माण के पश्चात् ज्ञात हुई वस्तुतः त्रुटि नाव की गति में है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या उक्त नाव के निर्माण में कुछ हानि उठानी पड़ी है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इस अर्थ में कोई नुकसान नहीं हुआ है कि उसका टन भार घट गया है इसलिये घाटा उसके संचालन में होगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण के अनुसार हाल्दिया के निर्माण के समय डिजायन में कुछ त्रुटियां पाई गईं । तो क्या उनके सम्बन्ध में कलकत्ता पत्तन आयुक्त के इंजीनियरिंग परामर्श-दाताओं से पूछा गया था या जहाज निर्माण अधिकारियों से, जिन्होंने यह कार्यवाही की ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है। शुरू में ही यह त्रुटि पाई गई कि इस डिजायन के अनुसार कार्य करने से टन भार पूरा नहीं होगा । इसके सम्बन्ध में कलकत्ता पत्तन अधिकारियों से पूछा गया ।

†**श्री तंगामणि** : 'हाल्दिया' के निर्माण में अभी तक कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ?

†श्री स० **का० पाटिल** : मेरे पास इस समय आवश्यक आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन**: क्या परामर्शदाताओं और हिन्दुस्तान शिपयार्ड के बीच हुये मूल समझौते में कोई ऐसा खंड है जिसके द्वारा सरकार परामर्शदाताओं से हुई त्रुटि अथवा गलती से हुई हानि की रकम वसूल कर सकेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : जहाज के निर्माण में परामर्श व्यय ही मुख्य भाग नहीं है। जहाज इस कारण त्रुटिपूर्ण है कि उसका टनभार घट गया है। इसलिये किसी व्यक्ति से रकम वसूल करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मैं केवल यह जानना चाहता था कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड और परामर्शदाताओं के बीच हुये समझौते में कोई ऐसा खंड है जिससे सरकार उनकी त्रुटियों तथा गलतियों से हुई हानि की रकम वसूल कर सके।

†**श्री स० का० पाटिल** : हानि केवल परामर्श शुल्क की हुई है। यह अधिक नहीं होती है। जहाज हमने उस डिजायन के अनुसार बनाया लेकिन डिजायन गलत होने से जहाज भी त्रुटिपूर्ण हो गया। इसलिये केवल वही राशि वापस हो सकती है जिसके लिये पहले से ही वार्ता चल रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यदि परामर्शदाताओं द्वारा गलत राय देने के परिणामस्वरूप कोई खराबी पैदा हो गई तो क्या शुल्क की अदायगी रोक लेने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के दण्ड का भी उपबन्ध है।

†**श्री स० का० पाटिल** : इसके लिये संविदा का अध्ययन करना होगा। मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : "हाल्डिया" के बारे में वक्तव्य में कहा गया है कि इस नौका का आंशिक निर्माण किया जा चुका है और यदि कलकत्ता पत्तन कमिश्नर के परामर्शदाता इंजीनियरों के अनुसार इसका डिजायन बनाया जाये तो 'डेड वेट'[1] की काफी हानि रहेगी। अतः इस गलत परामर्श के लिये परामर्शदाता इंजीनियरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इस पर कलकत्ता के पत्तन आयुक्त और शिपयार्ड में बातचीत चल रही है।

राजस्थान नहर

+

†*२६५. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री राम कृष्ण :
श्री प० ला० बारूपाल : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर का कार्य निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है ;

(ख) अभी तक कितनी रकम खर्च हुई है और शेष योजना के लिये क्या उपबन्ध है ; और

(ग) क्या प्रशासनिक व्यवस्था और कन्ट्रोल बोर्ड को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इन संगठनों का क्या स्वरूप है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dead weight.

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) पंजाब के क्षेत्र में यह कार्य निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है किन्तु राजस्थान के अन्तर्गत इसकी गति इसलिये धीमी है कि उस राज्य में यह कार्य हाल ही में प्रारम्भ किया गया है ।

(ख) लगभग ६८.६२ लाख रुपये अभी तक खर्च किये गये हैं । द्वितीय योजना अवधि में १८.५ करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है ।

(ग) प्रशासनिक व्यवस्था और कन्ट्रोल बोर्ड की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही इस विषय पर अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : राजस्थान राज्य में इस कार्य को गति प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या मंत्री महोदय आश्वासन दे सकते हैं कि पाकिस्तान से चल रहे नहरी पानी विवाद से इस कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होंगी ।

†**श्री हाथी** : वस्तुतः इसका निष्पादन राजस्थान सरकार पर है । हमने धीमी प्रगति की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है । पंजाब में यह कार्य निर्धारित समय के अनुसार पूरा हो जायेगा और आशा है कि राजस्थान सरकार भी इसमें शीघ्रता करेगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जल तथा विद्युत् बोर्ड के सेवा निवृत चैअरमैन १ अक्तूबर से यह कार्य संभालने वाले थे । अन्य स्थानों से अच्छे प्रस्ताव आने पर भी वह यहीं रहना चाहते हैं । वह अभी तक यहां क्यों नहीं आये हैं और इस विषय में क्या किया जा रहा है ?

†**श्री हाथी** : सेवा निवृत चैअरमैन और राजस्थान सरकार के बीच सेवा की अवस्थाओं आदि के सम्बन्ध में समझौते पर राजस्थान सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या केन्द्रीय सरकार इस विषय के सम्पर्क में है—विशेष रूप से प्रशासनिक व्यवस्था और कन्ट्रोल बोर्ड के सम्बन्ध में क्या उनका इस से सम्बन्ध हैं और इन सब को अन्तिम रूप देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री हाथी** : जी हां; केन्द्रीय सरकार का इससे सम्पर्क है । वस्तुतः इस महीने की ७ तारीख को एक मीटिंग हुई थी और यह विषय लगभग निर्णीत किया जा चुका है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या निर्णीत किया जा चुका है ?

†**श्री राम कृष्ण** : उपमंत्री जी ने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि प्रस्ताव पंजाब और राजस्थान सरकार को भेज दिये गये हैं । क्या इन राज्य सरकारों से कोई उत्तर प्राप्त हुये हैं ?

†**श्री हाथी** : राज्य की सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये थे और उन्होंने जो बातें उठाई थीं उन पर ७ नवम्बर, १९५८ की मीटिंग में चर्चा हुई थी । यह सब बातें हल हो गई हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया है कि क्या चीज तय की गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं माननीय सदस्य को केवल चार अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा । वह केवल महत्वपूर्ण प्रश्न ही पूछें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या पाकिस्तान के साथ नहरी पानी विवाद से इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और माननीय मंत्री ने कहा था कि निर्णीत हो गया है ; मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निर्णीत हो गया है और इसका वर्तमान स्वरूप क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : राजस्थान नहर बोर्ड की रचना, कार्य और कर्तव्यों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह सब क्या है ?

†श्री हाथी : अर्थात् नियंत्रण बोर्ड में कौन-कौन रहेंगे ; बोर्ड के क्या-क्या कार्य हैं इत्यादि ।

सार्वजनिक टेलीफोन की दर

†*२६६. { +श्री बहादुर सिंह :
श्री श्री नारायण दास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन की दर बढ़ा कर १५ नये पैसे करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) इससे कितनी आय वृद्धि की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) सिक्के डालने के वह सब बाक्स जिनमें आजकल दुअन्नी डाली जाती है उनमें १० नये पैसे और ५ नये पैसे—कुल पन्द्रह पैसे के दो सिक्के डालने की व्यवस्था की जायेगी । यह संशोधन १ जनवरी, १९५९ से प्रारम्भ होगा और भारत में सब स्थानों पर ३१ जनवरी १९५९ तक सम्पन्न हो जायेगा ।

(ख) दर में परिवर्तन होने के पश्चात् सार्वजनिक टेलीफोन के प्रयोग पर ही यह निर्भर है । इस धारणा पर कि टेलीफोन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा वार्षिक आय में केवल एक लाख रुपये की वृद्धि होगी ।

†**श्री तंगामणि :** जब अतिरिक्त आय में केवल एक लाख रुपये बढ़ जायेंगे तो फिर इसे १२ नये पैसे के स्थान पर १५ नये पैसे क्यों किया गया?

†**श्री स० का० पाटिल :** योजना के अनुसार उसे एक औसत टेलीफोन ग्राहक से कम नहीं देना चाहिये । सामान्य टेलीफोन ग्राहक एक कॉल पर १५ नये पैसे से कुछ अधिक देता है । फिर, इस विषय की जाँच करने के लिये एक समिति भी नियुक्त की गई थी जिसने २० नये पैसे की सिफारिश की है । अतः हमने १२ नये पैसे और २० न० पै० के बीच की रकम रख दी ।

†**श्री वें० प० नायर :** माननीय मंत्री ने कहा था कि इन मशीनों में शीघ्र ही परिवर्तन कर दिये जायेंगे । इस आवश्यक परिवर्तन पर कुल कितना खर्च होगा तथा क्या यह कार्य सरकार करेगी अथवा यह किसी एजेंसी को सौंपा जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल:** यह प्रश्न वस्तुतः इस विषय से उत्पन्न नहीं होता । यथार्थ खर्च के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । किन्तु यह काम सरकारी वर्कशाप में ही किया जा रहा है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** राजस्व बढ़ने की आशा में क्या सरकार स्थानीय टेलीफोन कॉल १० नये पैसे करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल :** जी नहीं। मैंने अभी कहा था कि हम १५ नये पैसे की दर से चार्ज कर रहे हैं क्योंकि टेलीफोन का सामान्य ग्राहक भी इतना ही देता है।

†**श्री आचार :** माननीय मंत्री ने कहा था कि एक समिति नियुक्त की गई है। इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं और क्या यह सरकारी समिति थी?

†**श्री स० का० पाटिल :** मेरे पास सदस्यों के नाम नहीं हैं। टेलीफोन शुल्क पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। मेरे पास इसके सदस्यों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य उनके नाम चाहते हैं तो मैं उन्हें बता दूंगा।

†**श्री अंसार हरवानी :** चूंकि अधिकांश टेलीफोन खराब हैं और उनमें सिक्के डालने का भी कोई असर नहीं होता, सरकार इन खराब टेलीफोन से कितनी आय की आशा रखती है?

†**श्री स० का० पाटिल :** सार्वजनिक टेलीफोनों की सम्पूर्ण व्यवस्था का परीक्षण किया जा रहा है। अन्य देशों में एक ऐसा सिक्का डालने की प्रथा है जो वहां चालू नहीं है। हमने इसी प्रकार की सम्भावना यहां प्रारम्भ करने पर विचार कर रहे हैं और यह इसका उत्तम समाधान होगा। किन्तु इस विषय पर निर्णय करने में कुछ समय लगेगा।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार यह जानती है कि सिक्का डाल देने पर भी कॉल न होने के अतिरिक्त कुछ ऐसे तरीकें भी हैं बिना सिक्का डाले भी कॉल मिल सकती है और सिक्का डाल कर भी वापस निकाला जा सकता है?

†**श्री स० का० पाटिल :** हमें याद है। हमें यह सब बातें मालूम हैं किन्तु जीवन के हर क्षेत्र में ऐसा होता है। आप कुछ भी करिये परन्तु कुछ चतुर व्यक्ति इसका उत्तर ढूंढ़ ही लेते हैं हम इसमें सुधार कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग

*२६७. **श्री पद्म देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने सेन्ट्रल वर्कशाप के विकास पर कितना धन व्यय किया; और

(ख) वहां क्या–क्या काम किये गये?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) ५.२६ लाख रुपये।

(ख) हिमाचल सरकार के परिवहन विभाग के सेन्ट्रल वर्कशाप में मोटर गाड़ियों की ओवरहाल इंजनों का नवीकरण बसों के ढांचों का निर्माण, उनकी मरम्मत तथा प्रशासन के स्टाफ कारों की सर्विसिंग की जाती है। वर्कशाप में मोटर गाड़ी की बैटरियां भी बनाई जाती हैं।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री पद्म देव : माननीय मंत्री को यह मालूम है कि हिमाचल में अधिक संख्या में बीमार गाड़ियां सड़कों पर पड़ी रहती हैं। क्या हिमाचल में उनको ठीक करने का कोई प्रबन्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० का० पाटिल : प्रबन्ध तो हो रहा है। हिमाचल में सड़कें कुछ ऐसी हैं कि गाड़ि यां बीमार हो जाती हैं। इसलिए दूसरी जगहों के मुकाबले में वहां की सड़कों को दुरुस्त रखने के लिए ज्यादा पैसा दिया जाता है।

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री बतला सकेंगे कि इस साल कितनी गाड़ियों को जीर्णोद्धार हुआ है ?

श्री स० का० पाटिल : मेरे पास ये फिगर नहीं हैं कि कितनी गाड़ियां बीमार हुई और कितनों का जीर्णोद्धार हुआ।

†**श्री त्यागी :** कदाचित वह संक्रामण रोग से पीड़ित नहीं है।

श्री अब्दुल लतीफ : क्या डाक्टरों का कोई बोर्ड बिठाया गया है यह तहकीकात करने के लिए कि यह क्या नई बीमारी गाड़ियों को हो रही है ?

†**श्री कमल सिंह :** मोटरगाड़ियों की घिसाई पर खर्च अधिक है अतः क्या सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों का निर्माण इत्यादि पर अतिरिक्त खर्च किया जायेगा?

†**श्री स० का० पाटिल :** ठीक यही विचार किया गया है। किन्तु इसका उत्तरदायित्व राज्य पर है। यद्यपि वह हमारें परामर्श और सहयोग से ही इसे करेंगे; हमने राज्य सरकार की पूरी सहायता करने का निर्णय कर लिया है।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण की वृहत्तर योजना

†*२६८. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण की वृहत्तर योजना का बाढ़ सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति ने परीक्षण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र द्वारा इसके लिये कुछ सहायता स्वीकार करने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां। राज्य सरकार से प्राप्त "उत्तर प्रदेश में बाढ़ समस्याओं के लिये वृहत्तर योजना" पर बाढ़ सम्बन्धी उच्च स्तर समिति में परीक्षण किया है ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६]**

†**श्री स० म० बनर्जी :** विवरण में वृहत्तर योजना की रूप रेखा में प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षा कार्यों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है । यह कार्य किस वर्ष अथवा महीने से आरम्भ होगा और यह कब क्रियान्वित होगा ?

†**श्री हाथी :** इस योजना में सम्मिलित कुछ कार्य पहले ही क्रियान्वित हो रहे हैं। शेष कार्य आगामी वर्षों में निस्पादित होंगे। किन्तु केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ही इस पर विचार करेगा कि कौन कौन से कार्य पहले किये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री **वाजपेयी :** क्या भूमिकटाव से उत्तर प्रदेश के नगरों की रक्षा के लिये कोई योजना है और यदि हां, तो उन नगरों के क्या नाम हैं ? क्या यह योजना क्रियान्वित कर दी गई है ?

†**श्री हाथी :** मुख्य रूप में वृहत्तर योजनायें सुरक्षा कार्यों सम्बन्धी छः श्रेणियां हैं :

नदियों के तट वर्ती क्षेत्र पर बांध बनाना ; गांवों के स्तर को ऊंचा करना, नदियों द्वारा भूमिकटाव से नगरों की रक्षा, नाली व्यवस्था, पुलों के नीचे जल मार्गों की वृद्धि और बाढ़ निरोधक जलाशय ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सदस्य महोदय नगरों के नाम जानना चाहते हैं ।

†**श्री हाथी :** मेरे पास नगरों की सूची नहीं है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** पश्चिम उत्तर प्रदेश में विगत दो या तीन वर्षों में बाढ़ों की गहनता देखते हुए क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कोई विशेष योजना बनाई गई है ?

†**श्री हाथी :** वस्तुतः यह बाढ़ संरक्षण सम्बन्धी योजनाएं स्वयं राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई हैं वह जो भी योजनाएं केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पास भेजते हैं आयोग उनका परीक्षण करता है और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार इन योजनाओं के लिये प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिये जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा तो विचार था कि उत्तर प्रदेश एक ही राज्य है, किन्तु माननीय सदस्य इसे पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में विभक्त कर देना चाहते हैं ।

†**श्री प्र० चं० बोस :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां बिहार की ओर प्रवाहित होती हैं क्या दोनों राज्यों के लिये एक साथ वृहत्तर योजना तैयार करना उचित नहीं है ?

†**श्री हाथी :** वस्तुतः बाढ़ सम्बन्धी उच्च स्तर समिति विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण योजनाओं का अध्ययन करेगी और एक समन्वित योजना तैयार करेंगे ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** यह ब्योरा दीर्घस्वरूप की योजनाओं से सम्बन्धित है । उत्तर प्रदेश में बार बार आने वाली बाढ़ों को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति अथवा राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निदानात्मक कार्यवाही करने की सम्भावना है ?

†**श्री हाथी :** अविलम्बनीय कार्यवाही की जा रही है । वस्तुतः सीमावर्ती बांध बनाये जा रहे हैं । फिर कुछ गांवों के स्तर को भी ऊंचा किया जा रहा है । भूमिकटाव से बचने के लिये सुरक्षा सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं । वस्तुतः हमने इन आवश्यक कार्यों के लिये उत्तर प्रदेश को ८ करोड़ रूपये ऋण दिये हैं ।

खोसला समिति

+

†*२६९. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री २३ सितम्बर, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या १४९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे बजट की अवस्था की जांच करने और

†मूल अंग्रेजी में

उसमें संशोधन करने के लिये नियुक्त खोसला समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : जैसा पहले बताया गया है यह एक विशेषज्ञ समिति है जिसे विभिन्न स्रोतों से अपरिमित आंकड़ों के संग्रह और उसका गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है । स्वाभाविक है कि इसमें समय लगेगा ।

समिति की आर्थिक रिपोर्ट अन्तिम अवस्था में है और अगले वर्ष के प्रारम्भ में इसके रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावना है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या मैं निश्चित रूप में यह जान सकता हूं कि समिति के काम की मौजूदा स्थिति क्या है, तथा क्या वे अपनी इच्छानुसार पुलों का निरीक्षण कर चुके हैं और विख्यात इंजीनियरों से साक्ष्य संग्रह कर लिया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस समय मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि निर्देश पदों का अध्ययन कर लिया गया है और उसके अनुसार वे प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं । यदि माननीय सदस्य निर्देश पदों में रूचि रखते हैं तो मैं उन्हें पढ़ दूंगा ।

†**श्री त० व० विट्ठल राव** : मैं इन्हें जानने का इच्छुक हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानने के इच्छुक हैं कि जांच आदि के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है । यदि माननीय सदस्य के पास विस्तृत जानकारी हो तो वह बता दे ।

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : मेरे पास जांच सम्बन्धी विस्तृत जानकारी नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस मामले की अविम्बनीयता को दृष्टि में रखते हुए क्या यह वांछनीय नहीं है कि हमारे पास बहुधा अन्तर्कालीन रिपोर्ट आती रहें, ताकि पुलों की क्षति पूर्ति और तत्सम्बन्धी कठिनाइयां यथासम्भव दूर की जा सकें ?

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : मैं नहीं सोचता कि एक व्यक्ति इन मामलों में शीघ्रता कर सकता है । यह अत्यंत जटिल, दुष्कर और विषम समस्या है; इसमें आंकड़ों के संग्रह आदि की आवश्यकता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : निर्देश पद के अनुसार समिति से यह रिपोर्ट छः महीने में प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है । समिति अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देन के पहले क्या देश में विख्यात इंजीनियरों का साक्ष्य पुनः लेगी ?

†**श्री सें० वें रामस्वामी** : मुझे याद नहीं है । किन्तु रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के पहले वह सभी आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बोस** : क्या समिति की रिपोर्ट के साथ ही पुलों की मरम्मत भी चल रही है अथवा यह काम रुका पड़ा है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : समिति की सिफारिश की आशा में कोई काम नहीं रुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामिणी** : यह समिति दो वर्ष पहले नियुक्त की गई थी और इसके पश्चात् भी उन्हीं पुलों पर ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं उदाहरणार्थ मरूथयार पुल । क्या विशेष पुलों के बारे में शीघ्र उपयुक्त कदम उठाने के लिये समिति ने अन्तर्कालीन सिफारिशें की हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह समिति मार्च, १९५७ में नियुक्त की गई थी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : लगभग दो वर्ष ।

†**श्री जगजीवन राम** : दो वर्ष नहीं । जैसा उपमंत्री ने कहा था यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है । जल विद्युत् विज्ञान और टेक्नोलोजी में पर्याप्त संशोधन हो गया है । जलमार्ग और सिंचाई सम्बन्धी पद्धतियों में भी देश में परिवर्तन हुए हैं । कभी कभी वर्षा से पुराने आंकड़े गलत सिद्ध हो जाते हैं । विशेषज्ञों द्वारा सिफारिशें करने के पहले इन सब बातों पर विचार करना पड़ता है । यह सिफारिशें कई वर्षों तक क्रियान्वित होती रहेंगी ।

जहां तक साक्ष्य लेने का प्रश्न है देश के अधिकांश सुप्रसिद्ध इंजीनियर नियमित सदस्य अथवा सह-सदस्य के रूप में समिति से सम्बद्ध रहे हैं ।

रात्रि एयर मेल स्काईमास्टर की दुर्घटना

†*२७०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २३ सितम्बर, १९५८ के मद्रास में रात्रि एयर सर्विस स्काईमास्टर की दुर्घटना सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या १५०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस बारे में कोई जांच की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या उपपत्तियां हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां ।

(ख) दुर्घटना जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और इस समय वह विचाराधीन है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच है कि जब विमान के चालक को यह पता लगा कि पट्रोल लीक कर रहा है और जब जहाज नीचे उतर रहा था तो वह यह देखकर चकित हो गया कि विमान के ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जैसा कि मैं ने बताया है, रिपोर्ट अभी विचाराधीन है, जांच समिति द्वारा बतायी गयी सभी बातों पर यथासमय विचार किया जायेगा । मैं इस समय कोई भी बात बताना नहीं चाहता ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि चालक द्वारा यदि असाधारण साहस न दिखाया जाता तो . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय ब्योरे में जाने से क्या लाभ है ?

†**श्री वें० प० नायर** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि उस चालक को, जिसने असाधारण सहास से ४७ व्यक्तियों के प्राण बचा लिये हैं, सरकार की ओर से पुरस्कार दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिये । यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव दिया जा रहा है ।

दुग्ध (चूर्ण मिल्क पावडर) तथा संघनित दूध[1] परियोजना

†*२७१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर में दुग्ध-चर्ण (मिल्क पाउडर) तथा संघनित दूध तैयार करने की एक परियोजना प्रारम्भ की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब सरकार ने इसके लिये किसी और स्थान की सिफारिश की थी ;

(ग) यदि हां, तो उस स्थान का क्या नाम है ; और

(घ) इस काम के लिये अमृतसर को किस कारण से चुना गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अमृतसर में दूध को संघनित करने और दूध की वस्तुएं जैसे कि मक्खन, घी और मिल्क पाऊडर तैयार करने के लिये एक कारखाना तैयार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). यह परियोजना पंजाब की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं । पंजाब सरकार ने स्वयं ही अमृतसर को चुना था । पंजाब द्वारा जिन अन्य स्थानों के बारे में विचार किया गया था, यह प्रश्न राज्य सरकार से पूछा जा सकता है ।

(घ) अमृतसर को सभंवतः इसलिये चुना गया था कि वह स्थान दूध की दृष्टि से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र है ।

†**श्री राम कृष्ण** : इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी और वहां पर प्रतिदिन कुल कितना दूध तैयार किया जायेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : परियोजना पर कुल ३०,५०,००० रुपयों की लागत आयेगी । वहां पर प्रतिदिन २,५०० मन दूध का विधायन (प्रोसेसिंग) किया जायेगा, और ५०,००० मन मक्खन और ६०,००० मन दूध चूर्ण (मिल्क पाऊडर) तैयार किया जायेगा।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या पंजाब सरकार पंजाब के हिन्दी भाषा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की एक परियोजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है, क्योंकि यह क्षेत्र दूध उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : नाभा में एक परियोजना प्रारम्भ की जा रही है । हरियाना प्रांत जिसकी ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया है, दूध की दृष्टि से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र है । परन्तु हम दिल्ली में शीघ्र ही—संभवतः आगामी वर्ष के जून मास में एक परियोजना प्रारम्भ कर रहे हैं और उसके लिये हमें हरियाना क्षेत्र के दूध की अत्यधिक आवश्यकता होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Condensed Milk.

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि इस परियोजना के लिये गुरदासपुर का नाम सुझाया गया था ? क्या उस सुझाव को ठुकरा दिया गया है ?

†श्री मों० वें० कृष्णप्पा : इस कारखाने को स्थापित करना तो पंजाब सरकार का काम है ।

†श्री वें० प० नायर : क्या सरकार ने कारखाना स्थापित करने का निर्णय करते समय इस बात पर भी विचार किया है कि क्या वह स्थान दूध की वस्तुओं को उन उन स्थानों को भेजने की दृष्टि से उपयुक्त है जहां दूध की प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है जैसे कि केरल और मद्रास ?

†श्री मों० वें० कृष्णप्पा : मिल्क पाउडर तैयार करने के प्रश्न पर विचार करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा गया है। हम अतिरिक्त दूध के क्षेत्रों के फालतू दूध को पाउडर बना कर उन स्थानों पर भेजना चाहते हैं जहां दूध नहीं मिलता ।

†श्री वें० प० नायर : फिर यह कलकत्ता भी भेजा जायेगा ।

†श्री मों० वें० कृष्णप्पा : यह भी तो आवश्यक है ।

†श्री हेडा : संभवतः यह एक प्रस्थापना है कि दूध के पाउडर को कोई रंग दे दिया जाये । मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है, क्योंकि पाउडर को ताजा दूध अथवा मक्खन निकले हुये दूध को ताजा दूध समझने की कोई भी व्यक्ति गलती नहीं करेगा ?

†श्री मों० वें० कृष्णप्पा : संभवतः, माननीय सदस्य कल के नगर निगम के संकल्प के प्रैस समाचार की ओर निर्देश कर रहे हैं । पता लगा है कि उन्हों ने सर्वसम्मति से यह पास कर दिया है कि दिल्ली के मक्खन निकले दूध को कोई रंग दे दिया जाये । परन्तु आज के प्रैस समाचार ने उसे ग़लत बताया है और यह लिखा है कि वैसा कोई निर्णय नहीं किया गया था ।

मनीआर्डर

†*२७२. { श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुज़फ्फरपुर के एक स्थानीय डाक घर में धनाभाव होने के कारण लगभग २०,००० रुपयों के मनीआर्डरों की राशियां कई दिनों तक अदा नहीं की जा सकी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) सितम्बर, १६५८ में मुज़फ्फरपुर जिले के अन्तर्गत सब-आफिस में बहुत अधिक मनीआर्डर एकत्रित हो गये थे ।

(ख) पोस्टमास्टर जनरल ने इस सम्बन्ध में जांच की है और कठिनाइयों को दूर करने के लिये सभी संभव कार्यवाहियां कर दी हैं ।

†श्री नागी रेड्डी : उस डाकखाने में मनीआर्डर कितने दिनों तक पड़े रहे थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं इसका ठीक ठीक उत्तर तो नहीं दे सकता, परन्तु वे उस मास में कुछ दिनों तक—संभवतः एक दो सप्ताहों तक—पड़े रहे थे ।

†**श्री नागी रेड्डी :** इस विलम्ब के कारण कितने व्यक्तियों को कष्टों का सामना करना पड़ा था ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह बताना बड़ा कठिन है कि उसके कारण कितने व्यक्तियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा था ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन :** इस विलम्ब के कारण क्या थे और उन्हें दूर करने के लिये कौन कौन सी विशेष कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल :** उसके कारण तो स्पष्ट हैं । इन स्थानों पर प्रति दिन एक हजार रुपये भेजे जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है । सारे जिले के लिये औसत २९ लाख रुपये होते हैं । परन्तु सूखा पड़ने तथा कई अन्य कारणों से अचानक ही बहुत से मनीआर्डर आ गये थे जिनकी राशि ३४ लाख रुपये अदा करनी थी अर्थात् पांच छः लाख रुपये की अधिक राशि अदा करनी पड़ गई थी । इसलिये वास्तव में राशियों की अदायगी में देर हो गई थी ।

जहां तक निवारक कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, यदि इन सभी को मेल बैगों में बदल दिया जाये और अन्य प्रकार के निवारक कार्य किये जायें तो संभव है कि हम जल्दी से मनीआर्डर की राशियों की अदायगी कर सकें ।

†**श्री त्यागी :** क्या विभाग ने इन मनीआर्डरों के भेजने वालों को सूचित कर दिया था कि वह समय पर राशियां अदा नहीं कर सका है, ताकि वे कोई और प्रबन्ध कर सकते ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह तो एक बड़ा अच्छा सुझाव है । मेरा ख्याल है कि उन लोगों को सूचित नहीं किया गया था । परन्तु मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं । भविष्य में जहां भी इस प्रकार की घटना होगी वहां यदि संभव हुआ तो हम उन्हें सूचित कर दिया करेंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इसका एक कारण यह नहीं है कि हेड आफिसों से स्थानीय डाकखानों को धन ले जाने वाले व्यक्तियों की कमी है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह सच है, इस लिये उनकी संख्या में वृद्धि करने के बारे में प्रस्थापना है ।

†**श्री गणपति राय :** क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि बनारस जिले में कुछ छोटे छोटे पोस्ट आफिसिस में छः छः और चार चार महीने के मनी आर्डर अभी पड़े हुये हैं और एक एक छोटे पोस्ट आफिस में पांच पांच और दस दस हजार रुपये तक के मनी आर्डर अभी भी रखे हुये हैं ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री स०का० पाटिल :** यह सवाल इस सवाल से नहीं उठता है । लेकिन इस चीज को भी मैं देख लूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नौपरिवहन वस्तु भाड़ा दरें[1]

+

†*२७३. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार इस देश के निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से विदेशी नौपरिवहन कम्पनियों के साथ वस्तु भाड़ा की दरों को फिर से निश्चित करने का प्रश्न उठा रही है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : जी, हां। यह काम तो सदा चलता ही रहता है। जब भी सरकार को इस बात की शिकायत प्राप्त होती है कि भारत से निर्यात होने वाली किसी वस्तु पर लिया जाने वाले वस्तु भाड़े की दर ऊंची अथवा विभेदपूर्ण है, सरकार उस बारे में उन से बातचीत करती है। इस समस्या को हल करने के लिये एक नियमित संस्था स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ सिंह : अभी तक किसी के साथ आपकी कान्फ्रेंस या मीटिंग हुई है इस बारे में या नहीं कि हिन्दुस्तान की एक्सपोर्ट ट्रेड में उन्नति हो और इस हेतु फ्रेट रेट में थोड़ी सी कमी हो ?

श्री स० का० पाटिल : एक कान्फ्रेंस हो गई है, नौपरिवहन हित परामर्शदात्री समिति की छठी बैठक १९-८-५८ को हुई थी। वह भी इस नतीजे पर पहुंची है कि फ्रेट बढ़ रहे हैं और डिस-क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जहां तक हो सके यह चीज़ न हो।

†श्री त्यागी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन विदेशी नौपरिवहन कम्पनियों को हमने प्रति वर्ष भाड़े के रूप में कितनी कितनी राशि दी है, और क्या ये राशियां रुपयों में दी जाती हैं या कि सम्बन्धित देशों की मुद्राओं में ?

†श्री स० का० पाटिल : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरे लिये इसका उत्तर देना कठिन है, क्योंकि इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। परन्तु यह निश्चित है कि उन्हें रुपये की मुद्रा में अदायगी नहीं की जाती है। यदि और कोई उपबन्ध न हो तो हमें सामान्यतया विदेशी मुद्रा में ही राशि अदा करनी पड़ती है।

†श्री अ० चं० गुह : क्या यह सच है कि कुछ एक वस्तुओं का भाड़ा भेद-भावपूर्ण दरों के अनुसार लिया जाता है जिसका हमारे निर्यात व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है ?

†श्री स० का० पाटिल : मैंने इसी प्रश्न का तो उत्तर दिया था। हम इस प्रकार के मामले ले रहे हैं ताकि यदि कोई दर ऊंचे अथवा भेद-भाव पूर्ण हों, तो उन पर विचार किया जा सके।

†श्री तंगामणि : क्या छठे सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया था ; और यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†श्री स० का० पाटिल : प्रश्न पर विचार किया गया था परन्तु इसका निर्णय क्या किया गया था, इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई ब्योरा नहीं है।

†श्री अ० चं० गुह : क्या यह सच है कि कुछ वस्तुओं के बर्मा तथा मलाया जैसे देशों से ब्रिटेन को भाड़ा उन देशों से भारत तक के भाड़े से कम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Shipping Freight Rates

†**श्री स० का० पाटिल :** संभव है कि वैसा हो, परन्तु यह बात हमारे वश की नहीं है। यह तो परस्परिक बातचीत के द्वारा ही हल की जा सकती है। हम उसे बातचीत के द्वारा हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उड़ीसा से बिहार को चावल का निर्यात

†*२७४. **श्री पाणिग्रही:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार बिहार को २५,००० टन चावल भेज दिया गया है ;

(ख) उड़ीसा से बिहार को भेजे गये चावल के लिये प्रति मन कितनी कीमत अदा की गयी थी ; और

(ग) क्या भारत सरकार की ओर से उड़ीसा में चावल का कोई रिजर्व स्टाक है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) उड़ीसा सरकार बिहार सरकार को किस्तों में चावल देती है। इस समय १०,००० टन चावल दिया जा रहा है। इसमें से ५००० टन चावल दिया जा चुका है और शेष चावल भेजा जा रहा है।

(ख) दी गयी कीमतें निम्नलिखित हैं :—

(१) सुपर फाइन चावल	डिस्पैचिंग स्टेशन पर रेल पर्यन्त निःशुल्क बोरों में १९/१/३ रुपये प्रतिमन (जिसमें विक्रय कर भी सम्मिलित है)
(२) फाइन चावल	गोदाम से बन्द बोरों में १८/१५/३ रुपये प्रति मन (जिसमें विक्रय कर भी सम्मिलित है)
(३) साधारण चावल	गोदाम से बन्द बोरों में १८/७/- रुपये प्रति मन (जिसमें विक्रय कर भी सम्मिलित है)

(ग) जी, नहीं।

†**श्री पाणिग्रही :** हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को १५ रुपये प्रतिमन के हिसाब से चावल खरीदने का अधिकार दिया है। क्या यह चावल अभिकर्ताओं के द्वारा खरीदा जायेगा या कि सीधे ही किसानों से खरीदा जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस :** केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल ही में तो उड़ीसा सरकार को चावल खरीदने का अधिकार दिया है। वह चावल किसानों से तथा उन सभी से खरीदा जायेगा जो कि राज्य सरकार को चावल के लिये प्रस्ताव करेंगे।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि चावल उड़ीसा सरकार द्वारा उसकी अपनी इच्छा से खरीदा गया था, केन्द्रीय सरकार के कहने पर नहीं खरीदा गया था। बिहार सरकार को चावल की आवश्यकता

---

†मूल अंग्रेजी में

थी। उन दोनों सरकारों ने एक दूसरे के साथ सम्पर्क स्थापित किया जिसके परिणाम-स्वरूप उड़ीसा सरकार ने बिहार सरकार को 'बिना लाभ बिना हानि' आधार पर बेच दिया था।

†**श्री पाणिग्रही :** हाल ही में उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह कहा था कि वह १५ रुपये प्रति मन के हिसाब से चावल खरीदने के लिये तैयार नहीं है। क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को कोई और उपाय बताना चाहती है?

†**श्री अ० प्र० जैन :** गत वर्ष हमने भारत सरकार की ओर से १५ रुपये प्रतिमन के हिसाब से चावल खरीदने का सुझाव दिया था। उस समय वह सरकार उस दर से सहमत नहीं हुई थी। और उसने ऊंचे दर पर चावल खरीद लिया था। उसन अपनी ओर से ही १५ रुपये ५० नये पैसे के हिसाब से चावल खरीद लिया था। इस वर्ष हमने उस सरकार को फिर से सूचित कर दिया है वह हमारी ओर से १५ रुपये प्रतिमन के हिसाब से चावल खरीद ले।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या १५ रुपये प्रतिमन की यह कीमत अभिकर्ताओं को अदा की जायेगी या कि सीधी ही किसानों को अदा की जायेगी?

†**श्री अ० प्र० जैन :** भले ही कोई भी संभरित करने वाला चाहे कोई हो, सरकार १५ रुपये प्रतिमन के हिसाब से कीमत अदा करेगी।

†**श्री जगन्नाथ राव :** क्या यह सच है कि गत वर्ष उड़ीसा सरकार द्वारा भारत सरकार की ओर से वसूल किये गये चावल में से अभी भी बहुत सा चावल वहां पर---विशेषकर कोरा-पुट में---पड़ा हुआ है और उसे वहां से नहीं हटाया गया है?

†**श्री अ० प्र० जैन :** गत वर्ष उड़ीसा सरकार द्वारा भारत सरकार के लिये जरा भी चावल नहीं खरीदा गया था।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** भारत सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश में चावल का विक्रय मूल्य १५ रुपये प्रति मन निश्चित किया था। क्या मध्य प्रदेश से आयात चावल के लिये यही मूल्य दिया जायेगा याकि उड़ीसा की भांति अधिक मूल्य दिया जायेगा।

†**श्री अ० प्र० जैन :** माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे इसके लिये एक अलग प्रश्न की पूर्व सूचना दें।

†**श्री दलजीत सिंह :** इस खरीद का उड़ीसा के बाजार पर क्या असर पड़ा था? क्या उससे वहां की स्थानीय कीमतें बढ़ गयी थीं?

†**श्री अ० प्र० जैन :** उसका कुछ भी असर नहीं पड़ा था।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे यह जानना चाहते हैं कि क्या उससे वहां के स्थानीय मूल्य बढ़ गये थे।

†**श्री अ० प्र० जैन :** जी, नहीं। यह तो उड़ीसा सरकार के पास स्टाक पड़ा था और उड़ीसा सरकार ने उसे बिहार सरकार को बेच दिया था। वह चावल मार्केट से नहीं खरीदा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेडा :** क्या १५ रुपये मन का मूल्य वहां की मार्केट के भावों के अनुसार निश्चित किया गया है या कि वहां के भावों को कम करने की दृष्टि से ही यह मूल्य निर्धारित किया गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** भारत सरकार ने बहुत ही बातों को देखते हुए यह मूल्य निर्धारित किया था। खाद्यान्न जांच समिति की इस सिफारिश को भी ध्यान में रखा गया है कि वसूल किये गये चावल का भाव १५ रुपये से १७ रुपये तक निश्चित किया जाये। इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि १९५२–५३ में वसूल किये जाने वाले चावल के विद्यमान भाव क्या थे और कुछ एक अन्य वर्षों में बाजार में चावल के भाव क्या थे ?

†**श्री पाणिग्रही :** क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि यदि यह चावल अभिकर्ताओं के द्वारा खरीदा गया तो उससे किसानों को कोई लाभ न होगा।

†**श्री अ० प्र० जैन :** नैं प्रश्न समझ नहीं सका।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे यह पूछना चाहते हैं कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि यदि चावल अभिकर्ताओं के द्वारा खरीदा गया तो निश्चित किये गये १५ रुपये किसानों तक न पहुंच सकेंगे। क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई हिदायत दी है कि यह चावल अभिकर्ताओं के द्वारा ही खरीदा जाये ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** जी, नहीं। इस प्रकार की कोई हिदायत नहीं दी गयी है। हमने राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया है कि वे धान को उसी भाव पर खरीद सकती हैं ताकि अभिकर्ताओं द्वारा जो मुनाफाखोरी की जाती है उसे रोका जा सके।

†**श्री प्र० ग० देव :** क्या भावों को निश्चित कर देने से काश्तकारों को कोई लाभ होगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** इस से सभी को लाभ होगा।

गन्ना

\+

†*२७५. { **श्री विमल घोष :**
श्री राम कृष्ण :
श्री विश्वनाथ राम :
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री वाजपेयी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन और गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी का अनुपात कम होता जा रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति को सुधारने के लिये क्या क्या उपाय किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]**

†**श्री विमल घोष** : माननीय मंत्री ने विवरण में गत दस वर्षों के आंकड़े देने की कृपा की है । उनसे यह ज्ञात होता है कि गत दस वर्षों में न तो प्रति एकड़ उत्पादन ही बढ़ा है और न गन्ने से निकलने वाली चीनी के अनुपात में कोई वृद्धि हुई है। क्या सरकार इस स्थिति से और भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति जैसी संस्थाओं की कार्यवाहियों से सन्तुष्ट है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जहां तक गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा का सम्बन्ध है, १९५७–५८ में वह १०.०० प्रति शत थी जबकि उस से पूर्व के वर्षों में वह ९.७२, ९.८३ और ९.९३ प्रति शत थी। इस प्रकार से १९५७–५८ में कुछ वृद्धि हुई है । पटल पर रखे गये विवरण में यह बता दिया गया है कि मात्राओं में होने वाले अंतर कई प्राकृतिक कारण हैं जैसे कि सूखा पड़ना, वर्षा, बाढ़, आदि। १९४९ से हमने गहन गन्ना विकास उपाय अपनाने का निश्चय कर लिया है । हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गन्ना के विकास के लिये ८ करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। हम रसायनिक उर्वरक और सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं के लिये पर्याप्त धन खर्च कर रहे हैं। हम बीजों के सुधार की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। उस के लिये हम आवश्यक कार्यवाहियां कर रहे हैं। उस में अधिक प्राप्ति नहीं हुई है, परन्तु फिर भी देश में गन्ना उगाने वाले क्षेत्र के ५० प्रतिशत भाग को हमने लाभ पहुंचा दिया है । इस संबंध में यह भी बता देना आवश्यक है कि कोयंम्बटूर किस्म का गन्ना ९५ प्रति शत क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। यह किस्म सारे संसार में प्रसिद्ध है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : इस संबंध में मैं भी कुछ बता देना चाहता हूं। मैं यह मानता हूं कि प्रति एकड़ गन्ना उत्पादन में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है, फिर भी मैं माननीय सदस्यों का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। ऐसे बहुत से क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है जहां पहले उत्पादन नहीं होता था। जिन क्षेत्रों में पहले गन्ना होता था, वहां का उत्पादन अब अपेक्षाकृत बढ़ गया है, परन्तु इन नये क्षत्रों के कारण जहां अभी अभी उत्पादन प्रारम्भ हुआ है, कुल गन्ने के उत्पादन में कमी हो गयी है। फिर भी हम प्रति एकड़ उत्पादन को बढ़ाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री विमल घोष** : विवरण में यह जानकारी नहीं दी गयी थी । क्या उपमंत्री के कथन से यह समझूं कि उत्पादन को बढ़ाने के लिये हम जो कुछ भी कर सकते हैं उससे प्राकृतिक कारणों के असर को रोका जा सकेगा। परन्तु हम कभी भी उत्पादन में वृद्धि की आशा नहीं कर सकते ?

†**श्री अ० प्र० जैन**: नहीं उसका यह अर्थ कदापि नहीं है। मैं समझता हूं कि हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गन्ने के विकास के लिये एक प्रस्थापना है और एक प्रस्थापना यह है कि चीनी की मिलों के क्षेत्रों में सड़के पक्की की जायें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने मील लम्बी पक्की सड़कें तैयार की गयी

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं ? क्या यह सच है कि काश्तकारों से पहली सड़क बनवाने के लिये लिए गए गन्ना उपकर का कई वर्षों से कोई उपयोग नहीं किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हम मुख्य विषय से दूर जा रहे हैं। विवरण में ही बहुत से ब्यौरे दे दिये गये हैं। मूल प्रश्न गन्ने के उत्पादन और गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी के सम्बन्ध में है, परन्तु अनुपूरक प्रश्न अन्य विषयों पर पूछे जा रहे हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सच नहीं है कि पंजाब में गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा गत पांच वर्षों में बहुत घट गयी है ?

†**श्री अ० म० थामस :** पंजाब में १९५७–५८ में चीनी का अनुपात ९.४२ प्रतिशत था। जबकि उस से पहले वर्ष यह ९.०२ प्रति शत था। अतः १९५७–५८ में पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा :** क्या माननीय मंत्री नें गन्ने की उन किस्मों को उगाये जाने के सम्बन्ध में कोई उपाय किया है जिन से अन्य किस्मों की अपेक्षा अधिक उत्पादन हो सकता है और यदि हां, तो क्या वे गन्ने के भाव निर्धारित करने के सिद्धांत को बदलने का विचार रखती है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** हमारा निरन्तर यही प्रयत्न रहता है कि उसी किस्म का गन्ना उगाया जाये जिस से अधिक उत्पादन हो सके और जिस से अधिक चीनी की प्राप्ति हो सके। परन्तु उसका तो बोनस सूत्र पर कोई असर नहीं पड़पता।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** माननीय मंत्री ने बताया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गन्ने के सुधार कार्यों के लिये आठ करोड़ रुपये निर्धारित कर दिये गये हैं। क्या उस खर्च में वे भी खर्चे सम्मिलित हैं जोकि केन्द्रीय गन्ना गवेषणा स्टेशनों पर तथा समय समय पर विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मण्डलों पर किये जाते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** उस में राज्य योजनाओं के लिये आवश्यक परिकाय तथा गन्ना गवेषणा संस्था पर किया जाने वाला खर्च भी सम्मिलित है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या प्रतिनिधि मण्डलों को बाहिर भेजने से कोई लाभ भी हुआ है, क्या उत्पादन का कोई और उपाय अपनाया गया है, और यदि हां, तो क्या उस से कोई लाभकारी परिणाम निकला है ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह सच है कि एक प्रतिनिधि मण्डल बाहिर गया था और उसने कई देशों का दौरा किया था। उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। उसकी सिफ़ारिशों पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या सरकार ने गन्ना बोर्ड के गत आठ वर्षों के सम्पूर्ण कार्य की जांच की है ताकि यह पता लग सके कि त्रुटि कहां है, क्योंकि बोर्ड अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहा है और पर्याप्त रुपया खर्च किया है तो भी अभी तक उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह कहना ठीक नहीं है कि बोर्ड ने पर्याप्त रुपया खर्च किया है। विकास योजनाओं पर हमने केन्द्रीय राजस्व से १९५६–५७ में ३२ लाख रुपये और १९५७–५८ में ३८ लाख रुपये खर्च किये थे। इस वर्ष के लिये ६० लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवनंजप्पा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गन्ने का भाव गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की कीमत के अनुसार ही होना चाहिये, सरकार भी गन्ने के भाव को काश्तकारों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करने के बारे में क्या प्रयत्न कर रही है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : फैक्टरी के लिये १/७/– रुपये की मूल कीमत और बाहिर अर्थात दूसरे स्थानों के लिये १/५/– रुपये की मूल कीमत निर्धारित की गयी है । दूसरी बात यह है कि काश्तकार को बोनस भी दिया जाता है जो कि भाव-सिद्धांत के आधार पर निश्चित किया जाता है ।

तूफान की चेतावनी देने वाला रडार यंत्र

+

*२७६. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के सफ़दरजंग हवाई अड्डे पर तूफान की चेतावनी देने वाला जो रडार यंत्र लगाया गया है, वह धूल के तूफ़ान के बारे में किसी प्रकार भी सूचना नहीं दे सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). यह रडार ऐसी आंधियों का पता देता है जो बूंदों से लदे हुए बादलों के साथ हों । ज्यादातर आंधियां इसी किस्म की होती हैं । रडार की खसूसियत पानी बरसाने वाली आंधियों यानी थण्डर-स्टार्म का पता लगाना है । यह रडार उन खुश्क आंधियों का पता नहीं लगा सकता जिनके साथ पानी से लदे हुएबादल न पाये जायें । इस क़िस्म के रडार की यह खामी नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् जब कि माननीय मंत्री और शासन को ज्ञात है कि दिल्ली में ज्यादातर तूफ़ान रेगिस्तान के नज़दीक़ होने के कारण धूल भरे आते हैं, तो ऐसी हालत में कोई ऐसा यंत्र क्यों नहीं स्थापित किया गया जो कि ऐसी आंधियों का पता लगा सके ?

श्री मुहीउद्दीन : मैंने जवाब में बताया है कि ज्यादातर आंधियां ऐसी होती हैं जिन के कि साथ पानी का भी लगाव होता है और इसलिए ज्यादातर आंधियों का पता यह रडार दे देगा ।

श्री भक्त दर्शन : अब तक इस यंत्र के द्वारा जो भी अनुभव प्राप्त किया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि वह काफ़ी संतोषजनक है कि नहीं और उस से हमारे हवाई जहाजों को काफ़ी मदद मिली है कि नहीं ?

श्री मुहीउद्दीन : मेरे ख़याल में काफ़ी सहायता मिली है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : जब टी० यू० जेट विमान आ रहे हैं और वोपिंग विमान शीघ्र ही पहुंच जायेंगे, क्या कारण है कि हमारे पास अभी तक ऐसे रडार नहीं हैं जिन से हर प्रकार के तूफानों का पता लग सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैंने पहले ही बता दिया है कि इस यंत्र द्वारा उत्तर भारत के बहुत से तुफानों के बारे में पता लग सकेगा ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जाना चाहता हूं कि इस तरह का रडार यंत्र क्या केवल दिल्ली में ही स्थापित किया जा रहा है या देश के अन्य स्थानों में भी उसे स्थापित करने की कोई योजना है ?

श्री मुहीउद्दीन : इस किस्म का यह रैथेन रडार एक ही है लेकिन दूसरे क़िस्म के सात रडार यंत्र हमने ख़रीदे हैं जिन में से दमदम और मैट्रालिजकल आफ़िस नई दिल्ली इन दो स्थानों पर यह रडार फ़िट हो चुके हैं और बाक़ी शान्ताक्रुज, नागपुर, मद्रास, गया और गौहाटी इन पांच जगहों पर और लगाये जायेंगे ।

दिल्ली में परिवहन सुविधाएं

+

†*२७७. **श्री अ० मु० तारिक** :
श्री विभुति मिश्र :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में परिवहन सुविधायें बहुत कम हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं में सुधार करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली में दो सीट वाले स्कूटरों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां । परिवहन के सस्ते साधनों की कमी है ।

(ख) दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है । राज्य परिवहन प्राधिकार, दिल्ली टैक्सियों और दो सीट वाले स्कूटरों को और पर्मिट दे रहा है ।

(ग) जब कभी दो सीट वाले स्कूटर उपलब्ध होते हैं राज्य परिवहन प्राधिकार, दिल्ली उन्हें पर्मिट दे देता है ।

श्री अ० मु० तारिक : क्या हुकूमत को यह इल्म है कि दिल्ली में जो टू सीटर स्कूटर्स चलते हैं उन में से ९० फ़ी सदी ऐसे हैं जिनका माइलेज मीटर हमेशा खराब रहता है और क्या उनको पता है कि इन टू सीटर स्कूटर्स के ड्राइवर्स अपनी मरज़ी से जहां जाना चाहें जाते हैं और पैसेंजर्स को भी वह इसके लिए मजबूर करते हैं कि वे भी वहीं जांय जहां कि वे जाना चाहते हैं ?

श्री स० का० पाटिल : यह जानकारी मैं आनरेबुल मम्बर से लेता हूं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि नई दिल्ली में सरकार यह टू सीटर्स आटो रिक्शा चलाने के लिए क्या इंतजाम कर रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : श्रीमान् यह उस सरकार का और मुख्य आयुक्त की जिम्मेदारी है और उन्हों ने परिवहन की सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बना रखी है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैंने पूछा था कि क्या यह हक़ीक़त है कि दिल्ली में जो स्कूटर्स चलते हैं उन में से ९० फ़ीसदी ऐसे हैं जिनका कि माइलेज मीटर हमेशा खराब रहता है और इस बारे में हुकूमत ने क्या पालिसी अख़्तियार की है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी म

श्री स० का० पाटिल : मैंने कहा कि वह चीज़ तो अभी इस सवाल से नहीं उठती है लकिन पता है और वह जानकारी मुझे मिली है और मैं उसे राइट क्वार्टर्स में भेज दूंगा।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या परिवहन सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिये कुछ मार्गों पर प्राइवेट बसें चलाने की अनुमति देने का विचार है ?

श्री स० का० पाटिल : माननीय सदस्य को समाचार पत्रों से यह जानकारी मिली होगी; मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि निगम किसी ऐसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है।

श्री राम कृष्ण : क्या सरकार को यह शिकायत मिली है कि स्कूटर वाले कुछ मार्गों पर जाने से इनकार कर देते हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल :** ऐसी शिकायतें प्राय: मुख्य आयुक्त और निगम के पास भेजी जाती हैं । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन से पूछ ताछ कर के जानकारी सभा-पटल पर रख सकता हूं ।

†**श्री तंगामणि :** चार सीट वाले स्कूटरों की संख्या ५५० है और सरकार और लाइसेंस नहीं देना चाहती। यह देखते हुए कि गरीब लोग अधिकतर उन्हीं का प्रयोग करते हैं क्या सरकार लाइसेंस देने के प्रश्न पर पुन: विचार करेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल :** इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

†**श्री वाजपेयी :** मुझे पता चला है कि दिल्ली परिवहन प्राधिकार ने १३ लाख रुपये में पुर्जों का आयात करने के लिये केन्द्रीय सरकार से लाईसेंस मांगा था परन्तु केवल ३ लाख रुपये का लाइसेंस दिया गया। क्या यह सही है और यदि हां, तो क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने के बारे में विचार करेगी जिस से कि पुर्ज़े मंगवाये जा सकें ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह सही है कि पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं और परिवहन में कठिनाई पैदा हो रही है इस लिये हम इस बारे में विचार कर रहे हैं।

डकोटा

†*२७८. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न मार्गों पर जो अधिक पुराने डकोटा विमान चल रहे हैं क्या सरकार ने उन्हें बदलने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** जैसा कि मैं २१–११–१९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८ के भाग (ग) के उत्तर में पहले बता चुका हूं डकोटा विमानों को बदलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या सभी वर्तमान डकोटा विमान और स्काईमास्टर विमान काम दे सकते हैं और कौन प्राधिकारी यह देखता है कि कहीं इन की हालत अधिक खराब तो नहीं और इन्हें किन आधारों पर रद्द किया जाता है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : 'डकोटा' और 'स्काईमास्टर' विमान बिल्कुल अच्छी हालत में हैं। वे उड़ान के योग्य हैं। असैनिक उड्डयन का डायरेक्टर जनरल ही उनके उड़ान के योग्य होने का

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रमाण पत्र जारी करता है । इस के लिये बहुत बड़े नियम हैं जिन के अनुसार मशीन के हर पुर्जे और इंजन को देखा जाता है और ठीक समय पर बदला जाता है और उसके बाद उनके उड़ान योग्य होने के प्रमाण पत्र दिये जाते हैं । तभी वे उड़ान कर सकते हैं।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

एयर इंडिया इंटरनेशनल की साप्ताहिक मालवाही विमान सेवा

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या २. श्री गोरे :
श्री बसुमतारी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार अ० सिंह० सहगल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल ने यह घोषणा की है कि वह इस मास की १७ तारीख से योरुप के देशों और भारत के बीच और भारत में ही एक साप्ताहिक मालवाही विमान सेवा चालू करेगा ;

(ख) क्या उन्होंने यह काम एक अमरीकन कम्पनी को सौंपा है ; और

(ग) यदि हां, तो संविदा की शर्तें क्या हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां ; परन्तु उस सेवा द्वारा भारत में ही एक से दूसरे स्थान तक माल नहीं ले जाया जायेगा।

(ख) वह सेवा एयर इंडिया इंटरनेशनल के नाम पर होगी और उड़ान संख्या भी ए० आई० आई० की होगी। परन्तु विमान और विमान चालक कर्मचारी एक अमरीकन माल वाहक समवाय सी बोर्ड एण्ड वैस्ट्रर्न एयरलाइन्स के ही होंगे ।

(ग) दोनों एयरलाइन्स में करार तो अभी नहीं हुआ है परन्तु संविदा की शर्तें मोटे तौर पर हैं :

(१) संचालन का सारा व्यय सी बोर्ड एंड वैस्टर्न एयरलाइन्स करेगा ।

(२) भारत से ब्रिटेन तक के मार्ग से जो सकल आय होगी उसमें ८० प्रतिशत अंश सी बोर्ड एंड वैस्टर्न एयरलाइन्स का और २० प्रतिशत एयर इंडिया इंटरनेशनल का होगा ।

(३) लन्दन और न्यूयार्क के बीच वर्तमान अनुसूचित मालवाही विमान सेवा द्वारा जो सम्पर्क होंगे उन पर एयर इंडिया इंटरनेशनल को साढ़े सात प्रतिशत अभिकर्ता की कमीशन के तौर पर मिलेगी ।

(४) यह व्यवस्था ३१ मार्च, १९६० तक चलेगी ।

†**श्री गोरे** : क्या यह पता लगाया गया था कि क्या कोई भारतीय समवाय इन्हीं शर्तों पर इस काम को करने के लिये तैयार था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस प्रश्न पर विचार किया गया था परन्तु एयर इंडिया इंटरनेशनल ने यह निश्चय किया कि यह एयर लाइन्स अधिक उपयोगी सिद्ध होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गोरे** : क्या कालिंगा एयरलाइन्स इन शर्तों पर यह सेवा चलाने के लिये तैयार थीं ?

†**श्री महीउद्दीन** : कालिंगा एयरलाइन्स ने सरकार और एयर इंडिया इंटरनेशनल को सूचित किया था कि वह इस काम को अपने हाथ में लेंगे परन्तु माननीय सदस्य को मालूम ही होगा कि उनके पास लम्बी यात्रा के लिये उपयुक्त कोई माल वाहक विमान नहीं है ।

†**श्री बसुमतारी** : इसका मुख्य नियंत्रक कौन है—श्री जे० आर० डी० टाटा अथवा असैनिक उड्डयन के डायरेक्टर जनरल ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह तो दो एयरलाइन्स में कुछ शर्तों पर करार हुआ है इसमें 'मुख्य नियंत्रक' का क्या अर्थ है ?

†**श्री जोकीम आल्वा** : सरकार ने अपना एक विमान क्यों नहीं खरीद लिया जिस पर ७० लाख रुपये खर्च होते और उसने माल पर साढ़े सात प्रतिशत कमीशन लेना क्यों स्वीकार कर लिया ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह केवल साढ़े सात प्रतिशत ही नहीं है । मैंने बताया कि यह सकल आय का २० प्रतिशत होगा । जहां तक स्वयं विमान खरीदने का सम्बन्ध है इस समय एयर इंडिया इंटरनेशनल के पास इस समय १० या ११ सुपर कांस्टलेशन हैं। १९६० के प्रारम्भ में बोइंग्ज़ पहुंच जायेंगे जिससे विमानों की संख्या में १०० प्रतिशत वृद्धि हो जायगी और एयर इंडिया इन्टर-नेशनल का पिस्टन इंजन विमान भी फाल्तू हो जायेगा । अब वे इस प्रकार प्रबन्ध कर रहे हैं कि मार्च १९६० तक जब बोइंग्ज़ प्राप्त हो जायेंगे तब तक माल व्यापार बढ़ जायेगा और जो सुपर कांस्टलेशन फाल्तू हो जायेंगे उनका प्रयोग किया जा सकेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इसका यह अर्थ है कि विमानों की कमी के कारण यह व्यवस्था अस्थायी तौर पर की जा रही है और अनुसूचित अथवा प्राईवेट समवायों को भारत आने वाली सेवाओं में अपने विमान चलाने से रोकने की नीति को १९६० के बाद उच्छेदित नहीं किया जायेगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह प्रबन्ध अस्थायी तौर पर मार्च, १९६० तक के लिये ही किया गया है । इस करार में एक यह शर्त भी बढ़ाई जायेगी कि तीन मास का नोटिस देकर इसे समाप्त किया जा सकता है ताकि जब सुपर कांस्टलेशन फाल्तू हो जायें तो उनका प्रयोग किया जा सके ।

†**श्री बसुमतारी** : इस अमरीकन कम्पनी में कौन-कौन से कर्मचारी हैं और इस कम्पनी का श्री जे० आर० डी० टाटा से क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : सीबोर्ड एंड वैस्टर्न एयरलाइन्स विमान द्वारा माल का परिवहन करने की प्रसिद्ध कम्पनी है और इसे सभी जानते हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या यह सच है कि जब कालिंगा से बात चीत चल रही थी तब उन्होंने इस कार्य के लिये एक नया फ्रांसीसी माल वाहक विमान खरीदने का वायदा किया था जिससे यह काम बिना विदेशी मुद्रा खर्च किये किया जा सकता था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : उन्होंने कहा था और वास्तव में उन्होंने एक विमान मंगवाया भी था । परन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाई थी और दूसरी कठिनाई यह थी कि १९६० के बाद एयर

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडिया इंटरनेशनल के पास काफी विमान फालतू हो जायेंगे और यदि एक विमान खरीदा जाता है तो वह भी फालतू हो जायेगा। १९५८—६० के बीच की अवधि में हमारे सामने एक और भी कठिनाई रहेगी। वह यह कि इस लाइन का संचालन वह अमरीकन कम्पनी को ही करना पड़ेगा। एयर इंडिया इंटरनेशनल की कोई आर्थिक जिम्मेदारी नहीं होगी यदि किसी नये समवाय को काम सौंपा जाये तो लन्दन से वापस भारत आने पर लदान के लिये माल मिलने में कठिनाई होगी। बर्तमान परिस्थितियों में जब कि आयात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है यह और भी कठिन था और शायद कम्पनी को पर्याप्त लाभ न होता।

†**श्री जयपाल सिंह :** शायद माननीय उपमंत्री ने मेरे प्रश्न को ठीक से नहीं समझा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि यह समवाय वह विमान खरीदने को तैयार था जिसकी प्रतिरक्षा मंत्रालय बड़ी प्रशंसा करता है और इसमें विदेशी मुद्रा की भी कोई कठिनाई नहीं होती। वास्तव में मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में प्रतिरक्षा और असैनिक उड्डयन ताल मेल से काम क्यों नहीं करते। डकोटा विमानों को बदलने के बारे में भी यही देखा गया है कि प्रतिरक्षा और असैनिक उड्डयन में कोई सम्पर्क नहीं है।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल):** इसमें सम्पर्क का कोई सवाल नहीं है यह तो कुछ समय के लिये माल परिवहन की व्यवस्था करने से सम्बन्ध रखता है। मैं इसके महत्व को समझता हूं परन्तु इस प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हेम बरुआ :** जब इस समवाय ने सरकार से कहा था कि वह फ्रांसीसी नौर्ड एटलस, अमरीकन स्काईमास्टर और ब्रिटिश विमान खरीदने के लिये तैयार हैं जिससे १०० प्रतिशत आय हमारे देश को होगी तो सरकार ने सकल आय के २० प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत कमीशन के लिये हमारे अधिकार अमरीकी समवाय को क्यों सौंप दिये ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** यह तो अपनी-अपनी राय है कि लाभ अधिक होता था १०० प्रतिशत आयात पर प्रतिबन्ध होने के कारण और योरूप में यह व्यापार करने की हमारी व्यवस्था ठीक न होने के कारण एयर इंडिया इंटरनेशनल का यह विचार था कि इस प्रयोजन के लिये विमान खरीदना लाभप्रद न होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग्रामदान तथा सामुदायिक परियोजनाओं का एकीकरण

†*२६२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री २८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामदान और सामुदायिक परियोजनाओं का एकीकरण करने के काम में क्या प्रगति हुई है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** एक आदर्श ग्रामदान अधिनियम तैयार किया जा रहा है।

अधिकतर राज्यों को खंड मुख्यालय पुस्तकालयों के लिये ग्रथमदान साहित्य बांटा गया है उन पुस्तकालयों और ग्राम पुस्तकालयों के लिये ग्राम दान पत्रिकायें और-और बुनियादी ग्रामदान साहित्य के सेट भी भेजे जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ ने सामुदायिक विकास कार्यकर्ताओं के सहयोग से कोरापट (उड़ीसा) के अतिरिक्त त्रिमंगलम (मद्रास) और लखीमपुर (आसाम) में कार्य आरम्भ किया है । वे सरगुजा (मध्य प्रदेश) और डूंगरपुर (राजस्थान) में इसी प्रकार कार्य करना चाहते हैं ।

कटक में टेलीफोन व्यवस्था

†*२६४. **श्री संगण्णा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक की वर्तमान टेलीफोन प्रणाली को स्वचालित प्रणाली में बदल दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी नहीं ।

(ख) १२०० लाइनों के एक आटोमैटिक एक्सचेंज की योजना विचाराधीन है।

रेल के सवारी और माल डिब्बों के गैर-सरकारी निर्माता

†*२७९. **श्री वाजपेयी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अगाड़ी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल के डिब्बों तथा माल डिब्बों के गैर-सरकारी निर्माताओं ने हाल ही में अपने कारखानों के भविष्य के बारे में सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या कठिनाइयां बताई गईं और क्या मांगें की गईं ; और

(ग) सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां ।

(ख) उत्तर-पूर्व रेलवे ने जो डिब्बों की मांग भेज रखी है वह उसके इलावा और काम मांग रहे हैं ।

(ग) द्वितीय योजना में डिब्बे हासिल करने के कार्यक्रम में कमी हो जाने के कारण रेलवे प्रशासन और आदेश नहीं दे सकता ।

उर्वरक

†*२८०. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष की शेष अवधि में उर्वरक का कितना आयात करने का विचार है;

(ख) अब तक कितना आयात किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ऊपर के भाग (क) और (ख) में निर्दिष्ट मात्राओं का मूल्य क्या है ;

(घ) अब तक कितना भुगतान किया गया है ; और

(ङ) शेष भुगतान कैसे किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८**]

राष्ट्रीय राजपथों का विकास

†*२८१. **श्री आचार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीमेंट पर उत्पादन शुल्क में से ५ करोड़ रुपये 'राष्ट्रीय राजपथों' के विकास के लिये अलग रख रही है ; और

(ख) क्या सरकार देश के पिछड़े हुये क्षेत्रों में गांवों में सड़कों के निर्माण के लिये इतनी ही राशि अलग रख रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख), एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८-क**]

दिल्ली में परिवहन सुविधाएं

†*२८२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो :

(क) दिल्ली में टैक्सियों, दो सीट वाले स्कूटरों, मोटर साइकल रिक्शों और डी० टी० यू० की बसों की संख्या ३० सितम्बर, १९५८ को क्या थी ;

(ख) राजधानी में 'भारत-१९५८' प्रदर्शनी के कारण जो मांग बढी हुई है क्या इन से वह पूरी हो जाती है ;

(ग) यदि नहीं, तो अतिरिक्त परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) प्रदर्शनी की अवधि के लिये यदि टैक्सियों, दो सीट वाले स्कूटरों, मोटर साइकल रिक्शों को कोई पर्मिट दिये गये हैं तो उनकी संख्या अलग-अलग क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९**]

सड़क तथा अन्तर्देशीय परिवहन का विकास

†*२८३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० च० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने परिवहन तथा अन्तर्देशीय परिवहन के विकास के लिये राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं से सुझाव मांगे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार को अब तक कितने सुझाव मिले हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]**

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का लागत ढांचा

†*२८४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लागत ढांचे का परीक्षण करने के लिये जो समिति नियुक्त की थी उसने अपने कार्य में कितनी प्रगति की है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लागत ढांचे का परीक्षण करने के लिये प्रस्तावित समिति अभी स्थापित नहीं की गई है।

रेलगाड़ी पर आक्रमण

*२८५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १० अक्तूबर, १९५८ को भरतपुर रानी स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर लगभग एक हजार विद्यार्थियों ने लखनऊ जाने वाली एक अप गाड़ी पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप एक भोजन गाड़ी टूट गई और यात्रियों के चोटें आईं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): जी हां। ४०० विद्यार्थियों की भीड़ में से एक ने गाड़ी पर पत्थर मारे जिससे डाइनिंग कार को थोड़ा नुकसान पहुंचा। डाइनिंग कार के एक वेटर और एक रेलवे अफसर को चोटें आयीं।

यगोस्लाविया से जहाजों की खरीद

†*२८६. **श्री पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया के साथ जहाज खरीदने की जो बातचीत हो रही थी वह पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) अभी यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

'बोस्टा रिका' भारवाही पोत का डूबना

†*२८७. **श्री वाजपेयी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'बोस्टा रिका' नामक भारवाही पोत, जिसमें भारत का छः लाख रुपये का लौह अयस्क चेकोस्लोवाकिया भेजा जा रहा था, अक्तूबर, १९५८ के महीने में अदन की खाड़ी में डूब गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]**

'टेल्को' इंजन

†*२८८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री राम कृष्ण :

क्या **रेलवे** मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या मध्यस्थ ने १ अप्रैल, १९५८ से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिये टेल्को इंजनों की कीमत के बारे में इस बीच अपना निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक इंजन के लिये अन्तिम रूप से क्या कीमत देना तय हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में जल संभरण और जल निस्सारण योजनायें

†*२८९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के जल संभरण और जल निस्सारण संबंधी समस्याओं के शीघ्र हल हेतु संघ सरकार एक विशेष समिति गठित करने जा रही है जिसमें संघ, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मंत्री और दिली के निगमाध्यक्ष होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्थापना इस समय किस अवस्था में है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). ऐसी एक प्रस्थापना विचाराधीन है ।

अमरीकी विकास ऋण निधि

†*२९०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने उन परियोजनाओं के ब्यौरे तैयार कर लिये हैं जिनमें उसे अमरीकी विकास ऋण निधि से प्राप्त राशि लगाई जायेगी ; और

(ख) क्या इस ऋण निधि से रेलवे के लिये खरीदी जाने वाली सामग्री के लिये नये टेंडर आमंत्रित किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). रेलवे को विकास ऋण निधि से दो ऋण प्राप्त हुये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रथम ऋण के बारे में परियोजनाओं के ब्यौरे तैयार कर लिये गये हैं और इस राशि के एक बड़े हिस्से के संबंध में टेंडर भी आमंत्रित किये गये हैं।

दूसरे ऋण के बारे में, जिसकी शर्तें सितम्बर, १९५८ में ही निश्चित हुई हैं, अमरीकी अधिकारियों के परामर्श से ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

मेसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी

†४४२. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहिब गंज स्टेशन पर माल को चढ़ाने व उतारने के लिये पूर्व रेलवे के ठेकेदार मेसर्स बर्ड एंड कम्पनी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि इन ठेकेदारों ने अपना ठेका कुछ प्रतिशत राशि लेकर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया है ;

(ग) क्या इस प्रकार ठेका किसी अन्य व्यक्ति को दे देना मेसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी को प्रदत्त ठेके की शर्तों के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) यह पता लगा है कि इस फर्म को काम के लिये मजदूर एक सरदार द्वारा दिये जाते हैं और उन्हें किये गये काम के आधार पर मजूरी दी जाती है। काम पर निगरानी रखने के लिये यह फर्म आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करती है और आवश्यक सामग्री तथा सुविधाओं की जैसे फावड़े, टोकरियां, पीने का पानी आदि की व्यवस्था भी करती है।

(ग) और (घ). करार को देखते हुये ठेकेदार का कार्य और इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही की जाये ये बातें रेलवे प्रशासन के विचाराधीन हैं।

डाक और तार कर्मचारियों के लिये अवकाश गृह

†४४३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत में डाक और तार कर्मचारियों के लिये अवकाश गृह खुल गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें खोलने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) शिमला में।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Holiday Homes.

पंजाब से खाद्यान्नों का ले जाया जाना

†४४४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ मई से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक पंजाब से कुल कितना खाद्यान्न लाया और ले जाया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** १ मई से ३१ अक्तूबर, १९५८ के बीच १९,२६० बड़ी लाइन के मालगाड़ी के डिब्बे तथा १३,३९५ छोटी लाइन के मालगाड़ी के डिब्बों पर खाद्यान्न पंजाब से ले जाया गया था।

टिप्पण :—खाद्यान्नों में गेहूं और उसके उत्पाद, चावल, मोटे अनाज, चने और दालें शामिल हैं।

रेलों पर बिना टिकट यात्रा

†४४५. **श्री दी०चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा में कमी करने के लिये की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]**

हिमाचल प्रदेश में मूल ग्राम केन्द्र[1]

४४६. **श्री पद्म देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने मूल ग्राम केन्द्र चालू हैं और कहां-कहां ;

(ख) उन केन्द्रों में किस प्रकार का काम किया जाता है ; और

(ग) चालू वर्ष के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) से (ग). एक विवरण नत्थी कर दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध सँख्या ३३]**

गाड़ी का पटरी से उतर जाना

४७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ अक्तूबर, १९५८ को बरेली–कासगंज सेक्शन पर घटपुरी और मकरन्दपुर स्टेशनों के बीच जाते समय ६५ अप कासगंज काठगोदाम सवारी गाड़ी का इंजन और उसके छै डिब्बे पटरी से उतर गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Key Village Centre.

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का विवरण क्या है ; और

(ग) दुर्घटना के कारण क्या थे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). ६-१०-५८ को सुबह लगभग ८ बजकर ३० मिनट पर जब ६५ अप कासगंज काठगोदाम सवारी गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के घाटपुरी और मकरन्दपुर स्टेशनों के बीच जा रही थी, उसके इंजन का टेंडर और साथ के ६ सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये । इस दुर्घटना के फलस्वरूप ३ १/२ साल के एक बच्चे को मामूली चोट आयी। डाक्टरी देख-भाल के बाद बच्चे का सफर जारी रहा। अनुमान है कि रेलवे सम्पत्ति को लगभग ९०० रु० का नुकसान हुआ ।

(ग) रेलवे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों द्वारा इसकी जांच करा रही है । रेलवे से इस दुर्घटना की ब्यौरेवार रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा है ।

उड़ीसा में बहुप्रयोजनीय खण्ड

†४४८. **श्री पाणिग्रही** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में १९५७-५८ में कितने बहुप्रयोजनीय खंड आवंटित किये गये हैं ;

(ख) क्या ये खंड खोल दिये गये हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा को १९५८-५९ में कोई बहु प्रयोजनीय खंड आवंटित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने और उसमें कितना क्षेत्र शामिल किया गया है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मु० कु० डे)** : (क) चार।

(ख) ये खंड निम्न स्थानों में खोले गये हैं :—

(१) भुयापीढ़—मयूरभंज जिला

(२) काशीपुर—कालाहांडी जिला

(३) नारायण पटना—कोरापट जिला

(४) रूआं—मयूरभंज जिला ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टेलीफोन के कनेक्शन

†४४९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के मोहिन्दरगढ़ और हिसार जिले के नगरों के इस समय टेलीफोन कनेक्शन के कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सबसे पहला आवेदनपत्र किस तारीख का है ; और

(ग) कनेक्शन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) ११२–मोहिन्दरगढ़ जिले में ९ और हिसार जिले में १०३

(ख) १२-४-१९५७ ।

(ग) मुख्यतः एक्सचेंज की क्षमता और स्टोर के कारण । एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने और कनेक्शनों की व्यवस्था शीघ्र ही करने के लिये कार्यवाही की गई है ।

उड़ीसा में अनाज के गोदाम

†४५०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितने अनाज के गोदाम बनवाये गये हैं, उनमें से प्रत्येक में कितना कितना अनाज रखा जा सकता है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा में संघ सरकार कितने गोदाम बनवायेगी ;

(ग) इस प्रयोजन के लिये उड़ीसा को अब तक कितनी राशि दी गई है ; और

(घ) प्रस्तावित गोदामों में से कितने गोदाम बन कर तैयार हो गये हैं और वे कहां-कहां पर हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) एक भी नहीं ।

(ख) अभी निश्चय नहीं है ।

(ग) निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा और राज्य सरकार को भुगतान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) एक भी नहीं ।

उड़ीसा में स्वास्थ्य योजनाओं के लिये सहायता

†४५१. **श्री पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका से निम्न परियोजनाओं के अधीन १९५७–५८ और १९५८–५९ में प्राप्त सहायता में से उड़ीसा को कितनी राशि सहायता स्वरूप दी गई है ;

(ख) मेडिकल कालेजों और संबंधित संस्थाओं को दी गई सहायता ;

(ग) अनुस्थापन[1] प्रशिक्षण परियोजना को दी गई सहायता;

(घ) राष्ट्रीय जल संभरण और सफाई कार्यक्रम को दी गई सहायता ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Orientation Training Project.

(ङ) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को दी गई सहायता;

(च) रास्ट्रीय फाइलरिया कार्यक्रम को दी गई सहायता

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५७–५८ में ६००,५७७·०० अमरीकी डालर १९५८–५९ में ३८४,३४८·०० अमरीकी डालर ।

(ख) १९५७–५८ में 'कुछ नहीं' ।

(ग) १९५८–५९ में ५६,८७८·०० अमरीकी डालर ।

(घ) कुछ नहीं ।

(ङ) १९५७–५८ में ४३८,१८२·०० अमरीकी डालर १९५८–५९ में ३२७,४७०·०० अमरीकी डालर ।

(च) १९५७–५८ में १६२,३९५·०० अमरीकी डालर १९५८–५९ में कुछ नहीं ।

उड़ीसा में कृषि योजनायें

†४५२. **श्री कुम्भार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य की विभिन्न कृषि योजनाओं के विकास के लिये उक्त राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :

	(लाख रुपये)
प्रथम पंचवर्षीय योजना	३६.४५
द्वितीय पंचवर्षीय योजना अब तक	८७.४३
योग	१२३.८८

छूटा हुआ सामान

†४५३. **श्री कुम्भार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे पर १९५८ में गन्तव्य स्टेशनों पर किस-किस प्रकार का कुल कितना छूटा हुआ सामान मिला ;

(ख) अभ्यावेदन करने पर मालिकों को कितना ऐसा सामान लौटा दिया गया ; और

(ग) सार्वजनिक नीलाम के द्वारा कितना सामान बेचा गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : (क) २५४ पैकेज ।

(ख) १०६ पैकेज ।

(ग) २४ पैकेज ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में नदियों पर पुल

†४५४. **श्री कुम्भार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा में नदियों पर पुल बनवाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) बनवाये गये तथा जो पुल बनवाये जा रहे हैं उनकी जिलेवार संख्या कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) ३३·३३ लाख रुपये (अन्य सड़कों पर पुलों के बनवाने के लिये २६·७८ लाख रुपये और राष्ट्रीय राजपथ के लिये ६·५५ लाख रुपये)।

(ख) प्रत्येक परियोजना की प्रगति संबंधी विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]**

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर नैमित्तिक श्रमिक

†४५५. **श्री कुम्भार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में १९५८ में अब तक कितने नैमित्तिक श्रमिक भर्ती किये गये हैं ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के मज़दूरों की संख्या क्या है ; और

(ग) उनकी नौकरी की शर्तें क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ६१,२५७।

(ख) कोई रिकार्ड न रखे जाने के कारण जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) उन्हें या तो बाजार में प्रचलित मजूरी या न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजूरी दी जाती है।

विभागातिरिक्त डाक कर्मचारी

†४५६. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में निम्न श्रेणियों के विभागातिरिक्त कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है तथा प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी का वेतन क्रम क्या है ;

(१) विभागातिरिक्त सब पोस्टमास्टर ;

(२) विभागातिरिक्त ब्रांच पोस्टमास्टर ;

(३) विभागातिरिक्त हरकारे ;

(४) विभागातिरिक्त डिलीवरी एजेन्ट ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Casual Labour.

(५) विभागातिरिक्त पैकर ; और

(६) विभागातिरिक्त सन्देशवाहक (मैसेंजर) ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मांगी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५]**

बम्बई में भू-संरक्षण

†**४५७. श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २३ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६३१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य में १९५८-५९ में भू-संरक्षण की कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : राज्य सरकार द्वारा दी गई सूची के अनुसार १९५८-५९ में उसने निम्न योजनाओं की स्वीकृति दी है :—

१. भूमि कटाव विरोधी तथा वन रोपण कार्य ।

२. कृषि पदाधिकारियों के लिये पुनरध्ययन पाठ्यक्रम ।

३. भू-संरक्षण का सर्वेक्षण और गवेषणा ।

४. चारागाह और चराई पर जांच-पड़ताल ।

५. भू-संरक्षण कार्य ।

६. जलमग्न क्षेत्रों में भू-संरक्षण ।

७. नमी बनाये रखने के लिये बांध और तालाब ।

८. भू-संरक्षण ।

९. धरातल ऊंचा करने की योजनाएं ।

१०. क्षेत्रीय बांधों का निर्माण ।

११. जलमग्न क्षेत्रों में वन लगाना ।

१२. कटाव पर नियंत्रण लगाने के लिये बांध और बन्द लगाना ।

१३. धरातल ऊंचा करने के लिये कर्मचारी ।

१४. धरातल ऊंचा करना ।

१५. बालू के टीले बनाना ।

१६. भू-संरक्षण प्रदर्शन केन्द्र खोलना ।

१७. रत्नागिरी जिले में भू-संरक्षण योजनाएं ।

१८. कच्छ की खाड़ी और राजस्थान की स्थिरता ।

सिंचाई परियोजनायें

†**४५८. श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में जांच की जाने वाली सिंचाई की छोटी परियोजनाओं के बारे में क्या प्रस्ताव है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकार की टेक्निकल कर्मचारियों की कठिनाई दूर करन के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जांच-पड़ताल के आधार पर राज्य सरकार सिंचाई की छोटी उपयुक्त परियोजनाएं बनाकर उनको सहायता के लिये भारत सरकार के पास भेज देती है। अतः बम्बई में जिन परियोजनाओं की जांच की जा रही है, उसके बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। प्रविधिक सहयोग मिशन के कार्यकारी करार संख्या ४२ के अधीन बम्बई राज्य द्वारा एक जल संसाधन सर्वेक्षण संबंधी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस प्रयोजन के लिये राज्य को एक प्रविधिक सहयोग मिशन के विशेषज्ञ की सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं।

परिवार नियोजन

†**४५९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक कितने प्रादेशिक परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं।

(ख) ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं ; और

(ग) इन केन्द्रों पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). पटियाला में एक प्रादेशिक केन्द्र खोला गया है किन्तु वहां प्रशिक्षण अभी आरम्भ नहीं हुआ है। कलकत्ता और मद्रास में भी एक-एक प्रादेशिक केन्द्र कार्य कर रहा है जिनके औपचारिक रूप से शीघ्र ही खुलने की आशा है।

(ग) किये गये व्यय के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ?

टिकट चैक करने वाले कर्मचारी

†**४६०. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-रेवाड़ी-फ़ाजिल्का सेक्शन पर टिकट चैक करने वाले कर्मचारियों के स्थायी बनाये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं और उनकी पदोन्नति के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो उनके कब तक स्थायी बनाये जाने की आशा है और उनकी पदोन्नति के प्रश्न पर कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : (क) रेलवे द्वारा अस्थायी पुष्टिकरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। पदोन्नति के बारे में आदेश कार्यान्वित किये जाने वाले हैं तथा उस पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) पदोन्नति के बारे में कुछ समय बाद अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

दाई के काम और स्वास्थ्य निरीक्षण में प्रशिक्षण

†४६१. **श्री कुम्भार** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ क्षेत्रों और राज्यों के दाई के काम और स्वास्थ्य निरीक्षण के लिये स्वास्थ्य स्कूलों के सम्मिलित पाठ्यक्रम में इस समय अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की कितनी माहिला छात्रायें हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

दामोदर घाटी निगम का जलकर

†४६२. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी का जलकर अन्य राज्यों में सिंचाई की इसी प्रकार की परियोजनाओं के लिये कहीं अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में बहूड़ा नदी परियोजना

†४६३. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के अतांरिकित प्रश्न संख्या २९९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बहूड़ा नदी परियोजना के संबंध में योजना और प्राक्कलन वहां की राज्य सरकार से प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में मालियों को प्रशिक्षण

४६४. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७ और १९५८ में अब तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितने मालियों को प्रशिक्षित किया है ; और

(ख) इस संबंध में दो वर्षों में कितना व्यय हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) ६५ को प्रशिक्षित किया गया है। २७ अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५७–५८ में १२,३०० रुपये खर्च हुए। अप्रैल-सितम्बर, १९५८ के समय में योजना पर ३,१८३·०४ रुपये खर्च किये गये। बाद के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

खाद्यान्नों के भाव

†४६५. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में गत वर्ष उसी काल की तुलना में विभिन्न राज्यों के महत्व-पूर्ण केन्द्रों में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के क्या मूल्य थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** विभिन्न राज्यों के कुछ चुने हुये केन्द्रों में १९५७ और १९५८ के अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर में भिन्न-भिन्न खाद्यान्नों के प्रतिमास के तुलनात्मक थोक-भाव बताने वाला एक संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६]**

भारी बांधों[1] के लिये डिजाइन

†४६६. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक इंजीनियर ने योजना आयोग को भारी बांधों के लिये एक ऐसा पेटेंट डिजाइन दिया है जो पुराने डिजाइन से ३० प्रतिशत सस्ता होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जांच कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) श्री श्याम लाल (अवकाश प्राप्त सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर) ने भारी बांधों का एक पेटेंट डिजाइन तैयार किया है। उनके कथनानुसार इस डिजाइन से सामान और मजदूर में ३० प्रतिशत कमी हो सकेगी।

(ख) जी हां।

(ग) परीक्षा से पता लगता है कि यह डिजाइन स्टैंडर्ड बांध वाले डिजाइन का विस्तार मात्र है। 'बट्रेस डैम' सब स्थानों के लिये उपयुक्त नहीं रहता। जहां पानी का प्रवाह कुछ ऊंचाई पर होता है, वहां उपरोक्त बांध मितव्ययी सिद्ध नहीं होते क्योंकि अतिरिक्त जल प्रवाह के लिये इन बांधों में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। ऊपरी भाग पर पत्थर का काम तथा रूप संबंधी अन्य कार्यों पर व्यय बढ़ जाने से सामान और मजूरी में बचत की आशा निर्मूल सिद्ध हुई है।

रेलों को कोयले का संभरण

†४६७. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों को संभरण किया गया कोयला वांछित किस्म से घटिया किस्म का पाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो घटिया किस्म का कोयला संभरण किये जाने के परिणामस्वरूप १९५७–५८ में रेलों को कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Gravity Dams.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : जी हां, कुछ हद तक।

(ख) ठीक-ठीक आंकड़े बता सकना संभव नहीं क्योंकि रेलों को कोयले के जो डिब्बे मिलते हैं उनकी प्राप्त होने वाले स्टेशनों पर एक प्रतिशत जांच की जाती है। १९५७–५८ में रेलों द्वारा किस्म के दो विशेष रूप से किये गये सर्वेक्षणों से पता लगा कि बंगाल और बिहार की कोयला खानों से विशिष्ट किस्म से घटिया किस्म का कोयला रेलों को संभरण किये जाने से कोयले की उपभोग की जाने वाली मात्रा में लगभग ११ प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके आधार पर १९५७–५८ में कितनी हानि हुई इसका हिसाब लगाना उचित नहीं होगा।

विजगापट्टम पत्तन

†४६८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजगापट्टम पत्तन का टी० वी० एस० कुट्टी नामक एक पायलट एक तेल के टैंकर और रग के बीच अक्टूबर, १९५८ में दब कर मर गया था ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). ८–१०–५८ को लगभग ११.३० पर श्री कुट्टि, पाइलट एम० वी० "काल्टेक्स केपटाउन" पर उसे पत्तन से बाहर ले जाने के लिये सवार हुआ। जब कि जहाज बाहरी चैनेल में चलने ही वाला था, श्री कुट्टि ने जहाज से उतरना चाहा। पाइलट वाली बड़ी नाव उस समय स्टारबोर्ड की ओर थी और उसके सिरे पर पानी की धारा अधिक तेज होने और समुद्र में उथल पुथल के परिणामस्वरूप नाव नीचे बैठ गई। श्री कुट्टि 'पाइलट लैडर' से उतर चुके थे और जब वह उस बड़ी नाव में सवार होने ही वाले थे कि वह चल पड़ी। वह फिर हाथ से पकड़ने वाली रस्सी पर से भी फिसल गये और फिर दुबारा न उठ सके, जब वह नाव दुबारा आई तो वह नाव और जहाज के बीच दब चुके थे। पाइलट की बड़ी नाव के खलासियों ने तत्काल ही उन्हें पकड़ा और ऊपर चढ़ाया। श्री कुट्टि नाव के अन्दर तक होश में थे जहां उन्होंने थोड़ा सा पानी मांगा जो उन्हें दे दिया गया। उसके पश्चात् नाव में से उन्हें जेट्टी में ले जाया गया और तत्पश्चात एक एम्बुलेंस में वह पत्तन की डिस्पेंसरी ले जाये गये। पत्तन के डाक्टर द्वारा परीक्षा करने पर दुर्भाग्यवश वह मरे पाये गये।

बिजली के पंखों वाले तीसरी श्रेणी के डिब्बे

†४६९. **श्री हेम राज :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **रेलवे** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :—

(क) भारतीय रेलों पर तीसरी श्रेणी के कुल कितने डिब्बे हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) ३१ अक्तूबर, १९५८ तक ऐसे कुल कितने डिब्बों में बिजली की व्यवस्था हो गई है ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितने डिब्बों में बिजली लगाने का विचार है ;

(घ) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के आसाम सेक्शन पर ऐसे कितने डिब्बे चल रहे हैं ; और

(ङ) ३१ अक्तूबर १९५८, तक आसाम सेक्शन पर ऐसे कितने डिब्बों में बिजली लग गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १५–१०–१९५८ को १५७१४।

(ख) १५–१०–१९५८ को १०१५३।

(ग) ४४९९।

(घ) और (ङ). डिब्बे केवल आसाम सेक्शन पर इस्तेमाल करने के लिये ही नहीं निश्चित कर दिये गये हैं। १५–१०–१९५८ को उत्तर सीमान्त रेलवे पर तीसरी श्रेणी के ७३१ डिब्बे थे जिनमें से ५५१ डिब्बों में बिजली लगी हुई थी ।

मालगाड़ियों के पुराने डिब्बों की बिक्री

†४७०. **श्री डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें १९५३–५४, १९५४–५५, १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में बेचे गये पुराने मालगाड़ी के डिब्बों की संख्या तथा प्रत्येक वर्ष में प्रति डिब्बे का वसूल किया गया मूल्य दिखाया गया हो ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३७]**

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन

†४७१. **श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के खाते में १९४३ में उड़ीसा सरकार को कुछ ऋण दिया गया था ;

(ख) यदि हां तो कितनी राशि दी गई थी ? और]

(ग) क्या उड़ीसा की सरकार ने संघ सरकार की उस राशि का भुगतान कर दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). १९४३–४४ में किसानों को ऋण देने के लिये उड़ीसा को १४.३२ लाख रुपये दिये गये थे।

(ग) जी हां, ऋण का भुगतान किया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण के लिये महा योजना[1]

†४७२. **श्री पाणिग्रही :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा राज्य में बाढ़ नियन्त्रण कार्य सम्बन्धी एक महा योजना का बाढ़ सम्बन्धी समिति द्वारा परीक्षण कर लिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी एक दीर्घकालीन योजना के बारे में उड़ीसा सरकार ने एक टिप्पण तैयार किया है। यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के बाद पन्द्रह वर्ष तक रहेगी। बाढ़ सम्बन्धी उच्च स्तर समिति ने इस टिप्पण का परीक्षण कर लिया है।

रेलवे कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना

†४७३. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) सब भारतीय रेलों में १ जनवरी, १९५८ से अब तक कुल कितने रेलवे कर्मचारी मुअत्तिल किये गये ;

(ख) मुअत्तिल कर्मचारियों में से कितने व्यक्तियों को दण्ड निर्णय दिया जा चुका है इनके दण्ड का स्वरूप और विचाराधीन मामलों की संख्या क्या है ; और

(ग) भाग (क) और (ख) में मांगी गई जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे में जिलेवार अलग-अलग कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८]**

स्वास्थ्य निरीक्षकों[2] की ट्रेनिंग

†४७४. **श्री राम कृष्ण :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने स्वास्थ्य निरीक्षकों की ट्रेनिंग के स्कूल खोलने के लिये भारत सरकार की मंजूरी के लिये योजनाएं प्रस्तुत की हैं ;

(ख) क्या यह योजनाएं मंजूर कर दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में इनका क्या ब्योरा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) निम्न राज्यों ने योजनाएं प्रस्तुत की हैं :—

१. बम्बई

२. बिहार

३. जम्मू और काश्मीर

४. केरल

५. मैसूर

६. मध्य प्रदेश

७. उत्तर प्रदेश

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Master Plan.

[2]Health Visitors.

८. मद्रास

९. पंजाब

१०. पश्चिम बंगाल ।

(ख) क्रम संख्या १ से ७ के राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत योजनाएं स्वीकार कर दी गई हैं। और क्रम संख्या ८—१० तक की राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत योजनाएं अभी विचाराधीन हैं ।

(ग) इन योजनायों का राज्यवार ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

राज्य का नाम	स्कूल की स्थापना	वार्षिक रूप में भरती किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
बम्बई . . .	राजकोट	२५
बिहार . . .	रांची . .	३०
जम्मू और काश्मीर .	श्रीनगर . .	१५
केरल . . .	त्रिवेन्द्रम . .	३७ प्रथम बैच में और बाद के प्रत्येक बैच में २० उम्मीदवार ।
मध्य प्रदेश . .	इन्दौर .	६०
उत्तर प्रदेश . .	(१) इलाहाबाद	६०
	(२) बरेली .	६०
मद्रास . . .	मदूरै .	३०
पंजाब . .	पटियाला .	३०
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता .	३०

पाठ्यक्रम की अवधि २½ वर्ष है। इण्डियन नर्सिग कौंसिल इसके पाठ्यक्रम का अनुमोदन करेगी। ट्रेनिंग की अवधि में विद्यार्थियों को पचास रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जायेगी। मंजूरशुदा योजना के लिये केन्द्रीय सहाय्य प्रदान किया जायेगा।

आंध्र में कृष्कों को ऋण

†४७५. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में कृष्कों को ऋण देने के लिये आंध्र प्रदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी रकम आवंटित की गई है और द्वितीय योजना अवधि के लिये कितनी रकम निर्धारित की गई है ; और

(ख) किन किन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत यह रकम आवंटित की गई थी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश की रचना काल से ही अधिक अन्न उपजाओ सम्बन्धी योजनाओं के लिये अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३९]**

भद्रावती रेलवे स्टेशन

†**४७६. श्री मोहम्मद इमाम** : क्या रेलवे मंत्री २५ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भद्रावती स्टेशन के नवीकरण से सम्बन्धित कार्य के बारे में अब कितनी प्रगति हुई है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : प्लेटफार्म की सतह को ठीक करने और प्लेटफार्म पर छत डालने का काम प्रगति पर है। इसके फरवरी १९५९ तक पूरा होने की सम्भावना है।

मध्य रेलवे में रेलवे संरक्षण बल

†**४७७. श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में ३१ अक्टूबर, १९५८ तक रेलवे संरक्षण बल में कितने कर्मचारी थे ;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

श्रेणी	पदों की संख्या	अनुसूचित जातियों की संख्या	अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या
मुख्य सुरक्षाधिकारी	१	एक भी नहीं	एक भी नहीं
सुरक्षा अधिकारी	१	एक भी नहीं	एक भी नहीं
सहायक सुरक्षाधिकारी	९	एक भी नहीं	एक भी नहीं
तृतीय श्रेणी के कर्मचारी	४०३	१९	१
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	६३९२	९६४	५४

टेलीफोन

†**४७८. श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर में टेलीफोन लगाने वालों की प्रतीक्षा सूची में ३१ अक्टूबर, १९५८ को आवेदकों की कितनी संख्या थी ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वहां टेलीफोन कब तक लग जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) अमृतसर जिले में तीन एक्सचेंज हैं। प्रत्येक एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची की संख्या नीचे दी जाती है :—

अमृतसर	१२६४
छैहड़टा	१२
पट्टी	५

(ख) अधिकांश आवेदकों को १९५९ में टेलीफोन कनैक्शन मिल जायेंगे। १९६० में सब कनैक्शन दे दिये जायेंगे।

छैहड़टा	अप्रैल, १९५९ तक।
पट्टी	१९५९ में।

तूतीकोरिन पत्तन

†**४७९. श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के आतरांकित प्रश्न संख्या २९३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन पत्तन का परिवहन सर्वेक्षण पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट मिल गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

स्थगन प्रस्ताव

रात की गाड़ी में हत्या

†**अध्यक्ष महोदय** : २५ नवम्बर, १९५८ को श्री ब्रजराज सिंह ने २३ नवम्बर, १९५८ की रात को होशियारपुर से चलने वाली गाड़ी में एक महिला यात्री की कथित हत्या के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। उस पर विचार स्थगित कर दिया था। माननीय रेलवे मंत्री अब वह वक्तव्य देंगे जिसका उन्होंने वादा किया था।

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : श्रीमती हरजीत कौर होशियारपुर से १३ मील की दूरी पर जानौरी गांव में एक मुख्याध्यापिका के रूप में काम करती थीं। उन्होंने अपने पति श्री बरयाम सिंह, जो जालन्धर में पंजाब सशस्त्र पुलिस में पुलिस इन्स्पैक्टर हैं, के पास जाने के लिए दो दिन यानी सोमवार तथा मंगलवार की आकस्मिक छुट्टी ली थी। बताया जाता है कि वह २२ नवम्बर, १९५८ को दोपहर के तीन बजे होशियारपुर पहुंच गई थीं। उन्होंने आउट ऐजन्सी से टिकट खरीदा तथा होशियारपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग ९ बजे रात को पहुंची। इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि वह १५.०० तथा २१.०० बजे के बीच के समय में कहां रहीं। उनके ससुर होशियारपुर में रहते हैं परन्तु

---

†मूल अंग्रेज़ी में

क्योंकि उनके ससुर के यहां कोई स्त्री नहीं रहती है इसलिए वह ससुर के यहां नहीं गई। वह पहले सवारी गाड़ी के एक मिले-जुले डिब्बे में बैठीं जिसमें चार पुरुष यात्री थे, परन्तु बाद में महिलाओं के डिब्बे में चली गईं। डिब्बे के दोनों दरवाजों में सुरक्षात्मक सिटकिनी लगी हुई थीं तथा खिड़कियों पर लोहे की छड़ें भी लगी हुई थीं। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने अकेले ही यात्रा की क्योंकि उस डिब्बे में अन्य कोई महिला यात्री यात्रा कर रही हो, इसका पता नहीं लगता है। मृत माहिला ने डिब्बे में आवश्यक सुरक्षात्मक सिटकनियों आदि लगे होने के कारण गाड़ी के गार्ड से विशेष सहायता नहीं मांगी मालूम होती है।

अपराध का पता सब से पहले गार्ड, श्री के० सी० ग्रोवर को जालन्धर में उस समय लगा जब वह इंजन की ओर जा रहे थे। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार गार्ड ने दरवाजा खोलने की कोशिश की परन्तु उसमें अन्दर से ताला लगा हुआ था। बिजली जली होने के कारण दरवाजे की दरार से झांकने पर उन्हें खून दिखाई दिया। उसके बाद वह गाड़ी के दूसरी ओर गये। दूसरी तरफ का दरवाजा जिसमें ताला नहीं लगा था, खोलने पर उन्होंने एक कत्ल की गई महिला को देखा।

यह हत्या २२–११–१९५८ को ११ जे एच गाड़ी के एस० अल० आर० ११८८ में, जो इंजन से दूसरे नम्बर पर थी हुई। यह गाड़ी होशियारपुर स्टेशन से ठीक समय अर्थात् रात के ९ बजकर २५ मिनट पर छूटी थी और जालन्धर में भी ठीक समय पर यानी १० बज कर ५० मिनट पर पहुंची थी।

शव-परीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु खोपड़ी में जोर का धक्का और चोट लग जाने के कारण अधिक रक्त बह जाने से हुई। मृत महिला की आयु लगभग २५ वर्ष थी। आत्म रक्षा के लिए वह सर्वदा एक चाकू अपने पास रखती थीं परन्तु गाड़ी में हुए इस दुखद हमले में वह उसको काम में नहीं ला सकीं।

पुलिस जांच कर रही है और उस मामले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मालूम हुई हैं। असिस्टेंट इन्स्पैक्टर जनरल, जी० आर० पी० घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और पुलिस की जांच का अधीकरण कर रहे हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): वक्तव्य से ऐसा पता लगता है कि रेलवे प्राधिकारियों ने सुरक्षात्मक उपाय पूरी तरह नहीं किये थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विचार माननीय सदस्य का है। माननीय उपमंत्री ने बताया कि सिटकिनी वगैरा सब ठीक थीं।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : उन्होंने बताया कि महिला ने अतिरिक्त सहायता की मांग नहीं की थी।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : क्या शव-परीक्षा की जा चुकी है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : शव-परीक्षा रिपोर्ट में दिया है कि खोपड़ी में बहुत अधिक चोट आई थी। मृत्यु धक्का पहुंचने और गला दबोचने के कारण दम घुटने से हुई है।

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : क्या उस गाड़ी में कुछ पुलिस के सिपाही भी यात्रा कर रहे थे तथा क्या सिपाहियों का यह कर्तव्य होता है कि प्रत्येक स्टेशन पर प्रत्येक डिब्बे को देखें ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : उस गाड़ी में सिपाही यात्रा नहीं कर रहे थे।

†**श्री स० म० बनर्जी** : सभा में हमें आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं किन कारणों से इसमें सिपाही नहीं थे ?

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : हाल में ही माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि रेलवे संरक्षण पुलिस मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नहीं है अपितु सम्पत्ति की रक्षा के लिए है। हम देखते हैं कि बहुत सी गाड़ियों में रात के समय पुलिस का कोई प्रबन्ध नहीं होता। जब रेलवे संरक्षण पुलिस लोगों की रक्षा के लिये ही है तो क्या रात के चलने वाली गाड़ियों में राज्य की पुलिस द्वारा संरक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैंने यह कभी नहीं कहा था कि सभी विभागों पर, सभी गाड़ियों में पुलिस संरक्षण दिया जायेगा। मैंने यह कहा था कि जहां कहीं पर पुलिस संरक्षण देने की आवश्यकता होगी उन गाड़ियों में पुलिस की टुकड़ी रखी जायेगी। इस गाड़ी में उस दिन पुलिस की टुकड़ी नहीं थी।

प्रत्येक स्टेशन पर पुलिस द्वारा जांच करने के प्रश्न के सम्बन्ध में, उत्तर में स्पष्टतया बता दिया गया है कि गाड़ी चलने के बाद अगले स्टेशन पर रुकने पर ही अपराध का पता गार्ड को लग गया। इसलिये इसमें कोई गलती नहीं हुई है।

†**श्री गोरे** (पूना) : इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है क्योंकि छः महीने पहले भी एक सैनिक पदाधिकारी की ऐसी ही निर्मम हत्या की गई थी। मेरा सुझाव है कि जब प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कोई अकेला यात्रा करे तो गार्ड अथवा कन्डक्टर द्वारा उसको चेतावनी दे दी जानी चाहिए कि वह अपनी जिम्मेदारी पर ही अकेले यात्रा कर रहे हैं और उनसे अन्दर से सिटकनी आदि लगा लेने के लिये भी कह देना चाहिये।

†**श्री जगजीवन राम** : क्या प्रभावोत्पादक उपाय किए जा सकते हैं, मैं उनकी जांच करूंगा। संभवतया प्रत्येक डिब्बे में एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए जिस पर लिखा हो कि डिब्बे के दरवाजे ठीक प्रकार से बन्द कर लिए जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्य सभी प्रकार के उपाय करेंगे तथा सुझावों पर विचार करेंगे। इसलिए स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आसाम के वर्जित क्षेत्रों के लिये मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत आसाम के वर्जित क्षेत्रों के लिए मोटर गाड़ी

---

†मूल अंग्रेजी में

नियम, १९४२ में कुछ संशोधन करने वाली आसाम गजट में प्रकाशित दिनांक २१ मई, १९५८ की अधिसूचना संख्या एम० वी० २२/५५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।'

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—१०४८/५८]

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि चाय (सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में परिवर्तन) विधेयक, १९५८ के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

दसवां तिवेदन

†**श्री मूलचंद दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

मैं उन सदस्यों के नामों के विवरण की एक प्रति भी सभा-पटल पर रखता हूँ जो गत सत्र में साठ अथवा अधिक दिन अनुपस्थिति रहे हों।

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

मिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

†**श्री राम कृष्ण** (महेन्द्रगढ़) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"भारत के खनिज संसाधनों का उपयोग करने के लिए स्थापित किए गए निगम का गठन और कृत्य।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : राष्ट्रीय खनिज विकास निगम १५ नवम्बर, १९५८ को १५ करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी से बनाया गया था। औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प की अनुसूची 'ए' में दिए गए खनिज पदार्थों की खोज की जिम्मेदारी उक्त संकल्प द्वारा राज्य पर डाली गई है। इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने उन कुछ खनिजों का पूरा सर्वेक्षण किया है जिनका विकास राज्य द्वारा हो सकता है। प्रारंभ में निगम उड़ीसा तथा बिहार राज्यों की सीमा पर स्थित कीरीबूरू में लौह अयस्क निकालने का काम लेगा इस लोह अयस्क का जापान को २० लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से निर्यात किया जायेगा। अन्य स्थानों में लोहा, तांबा, हीरा और पाइराइट के निक्षेपों की ज्यूंही पूरी खोज हो जायेगी वैसे ही निगम इनको निकालने का काम शुरू कर देगा। निक्षेपों के विकास में सरकार का सहयोग देने के लिए उत्सुक गैर-सरकारी दलों तथा राज्य सरकारों को बढ़ावा देने के लिए निगम को सहायक समवाय बनाने तथा प्रत्येक मामले में उचित सीमा तक भागीदारी की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है।

इस समय, कुछ सरकारी पदाधिकारियों तथा कुछ गैर-सरकारी पदाधिकारियों का एक निदेशक बोर्ड, जिसका एक सभापति होगा, बनाने का विचार है। ज्यूंही निगम का काम बढ़ जायेगा और कीरीबूरू के अलावा अन्य परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो जायेगा, वैसे ही निगम के सभापति पद पर पूरे समय के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को नियुक्त करने के प्रश्न पर निर्णय किया जायेगा।

संस्था का ज्ञापन तथा अर्न्तनियम सभा के पुस्तकालय को अलग से भेज दिये गये हैं।

लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री हजारनवीस** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २ दिनांक २७–११–५८ में प्रकाशित।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय:** अब सभा श्री मी० रु० मसानी द्वारा २७ सितम्बर, १९५८ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव तथा तत्संबंधी संशोधन पर, जिसे डा० क० ब० मेनन ने प्रस्तुत किया था, अग्रेतर चर्चा करेगी :—

"कि २३ सितम्बर को एक माननीय सदस्य द्वारा सभा का ध्यान केरल के मुख्य मंत्री श्री ई० एम० एस० नम्बूद्रीपाद द्वारा गृह-कार्य मंत्री, पंडित गो० ब० पन्त को भेजे गये उस तार की ओर आकर्षित किये जाने पर, जिस के कुछ अंश २० सितम्बर को पी० टी० आई० द्वारा त्रिवन्द्रम से भेजे गये एक समाचार में, जो अधिकारिक सूत्रों पर आधारित बताया जाता हैं, दिये गये हैं तथा जो २१ सितम्बर को 'टाइम्स आफ इंडिया' दिल्ली और 'अमृत बाजार पत्रिका', कलकत्ता में प्रकाशित हुआ है, जिसमें श्री नम्बूद्रीपाद ने इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों पर अपमान वचन का आरोप लगाया है ;

और श्री नम्बूद्रीपाद द्वारा बाद में पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त को भेजे गये उस तार को ध्यान में रखते हुये, जिसे माननीय अध्यक्ष ने इस सभा में २३ सितम्बर, को पढ़कर सुनाया ;

यह सभा संकल्प करती है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये जो इस बात की जांच करे कि इस सभा का और संबंधित सदस्यों का विशेषाधिकार भंग हुआ है अथवा नहीं तथा इस प्रकार सभा की हुई किसी मानहानि का पर्याप्त परिमार्जन हो गया है अथवा नहीं, और समिति से प्रार्थना की जाये कि इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिये वह अपना प्रतिवेदन व सिफारिशें लोक-सभा के अगले सत्र के पहले दिन प्रस्तुत करे ।"

तत्पश्चात मुझे श्री नारायणन कुट्टि मेनन का एक और संशोधन प्राप्त हुआ है । क्या वह उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : जी हां ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैंने एक संशोधन की सूचना दी है । मुझे भी प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उसकी सूचना मुझे आज बहुत विलम्ब से मिली है । अत: मैं उसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि २३ सितम्बर को एक माननीय सदस्य द्वारा सभा का ध्यान केरल के मुख्य मंत्री, श्री ई० एम० एस० नम्बूद्रीपाद द्वारा गृह-कार्य मंत्री, पंडित गो० ब० पन्त, को भेजे गये तथाकथित तार की सूचना की ओर आकृष्ट किये जाने पर, जिसके उद्धरण दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन]

और बाद में श्री नम्बूदीपाद द्वारा पंडित गो० ब० पन्त को भेजे गये उस तार को ध्यान में रखते हुये जिसे माननीय अध्यक्ष ने इस सभा में २३ सितम्बर को पढ़कर सुनाया था ;

और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि श्री ई० एम० एस० नम्बूदीपाद द्वारा भेजा गया पहला तार एक गोपनीय अभिलेख था तथा भेजने वाले ने उसे गोपनीय रखने के इरादे से ही भेजा था ;

और इस बात पर सन्तुष्ट हो जाने के बाद कि एक गोपनीय अभिलेख के, जिसे कभी भी प्रकाशित करने का इरादा नहीं था, आधार पर इस सभा के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना अनुचित व अनुपयुक्त होगा।

यह सभा निश्चय करती है कि उक्त तार के सम्बन्ध में कोई अग्रेतर कार्यवाही न की जाये और सम्पूर्ण मामले को तथा तत्सम्बन्धी सभी कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाये।"

मेरा स्थानापन्न प्रस्ताव इस आधार पर है कि माननीय सदस्य का विशेषाधिकार एक ऐसे समाचार पर आधारित था, जो कि एक राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा माननीय गृह-कार्य मंत्री के पास भेजा गया था। किसी भी राज्य के मुख्य मंत्री तथा केन्द्र के किसी मंत्री के बीच जो पत्र व्यवहार होता है वह संविधान के नियमों के अनुसार गोपनीय होता है अन्यथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारों तथा केन्द्रीय सरकार व इस संसद् के अधिकार में संघर्ष पैदा हो जायेगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अभी उस दिन प्रधान मंत्री ने उस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये कहा था कि राज्य विधान-मंडलों तथा संसद् के अधिकारों के वास्तविक संबंधों को संविधान के कुछ अनुच्छेदों में रखा गया है जिनका विस्तृत विवेचन पर्याप्त चर्चा तथा विचार के बाद ही किया जा सकता है। क्योंकि इस संबंध में परिपाटियों का निर्माण हमें स्वस्थ्य रूप में करना चाहिये। हमारा संविधान संघीय स्वरूप का है। अतः यदि संसद् राज्य विधान मंडलों का सम्मान नहीं करेगी तो देश व संविधान के गौरव की रक्षा कैसे होगी।

आज हमें जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वे उन घटनाओं के आधार पर हैं जो भूतकाल में हुई हैं। कोई भी विशेषाधिकार जो किसी माननीय सदस्य को प्राप्त है, ऐसा होना चाहिये जिसे देश की जनता हमें प्रदान करती है। जनता को यह महसूस होना चाहिये कि हमारे किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। पर इस मामले में, जब कि राज्य के मुख्य मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री के बीच पत्र व्यवहार के अभिलेख को हम आधार बना रहे ह, हमारे गृह-कार्य मंत्री का कर्तव्य है कि वह अभिलेख की सदाशयता की व्याख्या करे। यदि हमारे माननीय सदस्य उस गोपनीय अभिलेख की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचायेंगे तो वह दिन हमारे लिये बहुत दुख का होगा।

आज यह बात केरल के मुख्य मंत्री की है, यदि शेष १४ राज्यों के पत्र-व्यवहार के संबंध में इसी प्रकार की बातें होंगी तो क्या हम उनको भी इस सभा के सामने बुलायेंगे तथा उनकी भी छीछालेदर करेंगे। हमें ध्यान रखना चाहिये कि हमें संविधान के प्रत्येक शब्द का समुचित पालन करना चाहिये। संविधान में कहा गया है कि राज्यों के बीच तथा राज्य व केन्द्र के बीच ऐसे संबंध होने

चाहियें जिनमें कोई संघर्ष न हो। यदि हम संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं तो प्रत्येक माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है कि वह ध्यान रखें कि हमारा कोई भी कार्य ऐसा न हो जो संविधान की भावना को ठेस पहुंचाये।

अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव अर्थात् पत्र व्यवहार की गोपनीयता की बात को लूंगा। यह पत्र व्यवहार जो केरल के मुख्य मंत्री और गृह-कार्य मंत्री के बीच हुआ है, गोपनीय है। हमारे प्रक्रिया नियमों में भी नियम ४२ में कहा गया है कि गोपनीय विषयों के बारे में माननीय सदस्य जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। यदि गोपनीय विषयों के संबंध में माननीय सदस्यों को जानकारी दी जाने लगेगी तो इससे राज्य सरकारों तथा केन्द्र के संबधों को आघात पहुंचेगा। मैं यह बात इसलिये नहीं कह रहा हूं कि इस मामले में केरल के मुख्य मंत्री फंसे हुये हैं बल्कि मेरा अभिप्राय यह है कि कल किसी अन्य राज्य के मंत्री के संबंध में भी ऐसी बात पैदा हो सकती है। यह सिद्धांत का प्रश्न है अतः यदि हम संविधान का सम्मान करते हैं तो हमें इस सिद्धान्त का सम्मान अवश्य करना होगा।

यदि इस गोपनीय पत्र व्यवहार को सभा के सामने रखा गया तो यह ऐसी घटना होगी जिसके विस्फोट के परिणामस्वरूप बाद में हमारा संविधान नष्ट हो जायेगा। विशेषाधिकार के प्रश्न पर हमें दलबन्दी से दूर हटकर विचार करना चाहिये। यदि राजनैतिक कारणों के आधार पर ऐसी बातें होंगी तो सभी शिष्टाचार, सुन्दरता तथा सिद्धांत की हत्या हो जायेगी। उस दिन विधि मंत्री ने भी इसे गोपनीय पत्र व्यवहार बताया था और गृह-कार्य मंत्री ने भी निवेदन किया था कि उसे सभा-पटल पर रखे जाने के लिये बाध्य न किया जाये। इस सभा के सदस्यों का सब से बड़ा विशेषाधिकार है कि वे सभा के तथा जनता के हित को सामने रख कर काम करें।

अन्त में मैं एक अपील करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं इसका सब से बड़ा प्रमाण यह होगा कि क्या देश की जनता यह समझती है कि इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं। पर देश की जनता इस संबंध में चिन्तित नहीं है। यदि हम खामखाह किसी बात को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहेंगे तो यह जनता के प्रति, जिसकी शक्ति हमारे साथ है, अन्याय होगा।

†**डा० क० ब० मेनन** (बडागरा) : श्री मसानी के प्रस्ताव पर मैंने जो संशोधन रखा था उसी पर मैं बोलना चाहता हूं। श्री नारायणन कुट्टि मेनन का कथन है कि वह तार गोपनीय था पर मेरा कहना है कि वह गोपनीय नहीं था क्योंकि यदि वह तार गोपनीय होता तो वह संकेत लिपि (कोड) में भेजा गया होता पर ऐसा नहीं किया गया है। दूसरे इसी बीच मुझे त्रिवेन्द्रम् से एक तार श्री रामेश्वरम् पिल्लै का मिला है जिसमें बताया गया है कि मुख्य मंत्री के निजी सचिव ने उसकी सूचना समाचार एजेंसी को दी थी। मैं स्वयं त्रिवेन्द्रम् गया था और मैं पिल्लै से मिला। मैं समझता हूं कि निजी सचिव शर्मा ने समाचार एजेंसी को टेलीफोन पर यह समाचार दिया था। यदि मामला समिति को सौंपा जायेगा तो यह सब साक्ष्य सभा के सम्मुख उपस्थित हो सकेंगे। हमें किसी से व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। हमें तो तथ्यों का पता लगाना है। यदि सभा मूल प्रस्ताव को स्वीकार करे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रों में जो समाचार छपा है उसमें भी समाचार प्राप्त होने के साधन पर प्रकाश डाला गया है। २० तारीख को यह तार भेजा गया था और २० को ही यह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार यह कहना कुछ उचित न होगा कि किन्हीं अनुचित उपायों से यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० क० ब० मेनन]

समाचार समाचार एजेंसी को प्राप्त हुआ होगा। जो तार मैंने सभा के समक्ष रखा है उससे भी पता लगता है कि श्री शर्मा ने यह समाचार प्रेस को दिया था।

दूसरी बात यह है कि दूसरा तार क्षमायाचना का था। पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। दूसरे तार द्वारा तो स्थिति को स्पष्ट किया गया है। उसमें भी एक गलत बात कही गयी है कि यह तार प्रकाशित करने के लिये नहीं था। यदि ऐसा था तो मुख्य मंत्री ने बिना मुख्य मंत्री की अनुमति के यह समाचार प्रेस को कैसे दे दिया ? दूसरे तार में सिर्फ यह बात कही गयी है कि सभा में इस विषय पर चर्चा न की जाये क्योंकि वहां केरल राज्य को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा। अतः इस बात में गोपनीयता का कोई प्रश्न नहीं है। वैसे यह तार गह-कार्य मंत्री के पास भेजा गया है पर वह अध्यक्ष महोदय तथा सभा के लिये था। अतः पहला तार गोपनीय नहीं है। उस पर न तो 'गोपनीय' लिखा था और न तो वह कोड में भेजा गया था।

मैंने और मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके लिये हमें अपमान वचन कहने वाला कहा गया। केरल में अराजकता फैली हुई है। वहां साम्यवादी तथा गैर-साम्यवादी का भेदभाव किया जाता है। मैंने अपना कर्त्तव्य किया था। यदि सभा का यह अधिकार छीना जायेगा तो सभा की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अतः सभा से मेरी अपील है कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करे। यदि सभा मेरे संशोधन के बजाय मूल प्रस्ताव को स्वीकार करे तो भी मुझे कोई आपत्ति न होगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं आप से एक बात के संबंध में आप का निर्णय चाहती हूं कि क्या यह तार सभा-पटल पर रखा जाने योग्य है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तार को पढ़ कर सुना दिया गया है और मैं समझता हूं कि सभा-पटल पर उसे रखने में कोई हानि नहीं है। चूंकि उसका उलेख हो चुका है अतः उसे सभा-पटल पर रखा जाये।

[तदनुसार तार को सभा-पटल पर रख दिया गया पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी–१०५३/५८]

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : सभा के सम्मान की रक्षा के लिये हम किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं क्या ऐसे अवसर पर किसी पक्ष के समर्थन में बाहर से प्राप्त पत्रों को सभा-पटल पर रखने की अनुमति देना उचित है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि तार को सभा-पटल पर रखा जाये। इस बात पर अभी विचार करना होगा कि क्या इस तार को विश्वसनीय साधनों से प्राप्त माना जाये या नहीं; क्या यह तार किसी उपयोगिता का है या नहीं ?

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या आप का स्वविवेक यह अनुमति देता है कि माननीय सदस्य किसी भी पत्र को सभा-पटल पर रख दें। यदि इस परिपाटी को अपनाया जायेगा तो तरह-तरह के तार मंगाये जायेंगे और उन्हें सभा-पटल पर रखा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वह कोई भी पत्र सभा-पटल पर रख दे। नियम यह है कि माननीय सदस्य को उसकी एक प्रति अध्यक्ष को देनी चाहिये। तब अध्यक्ष निर्णय करता है कि उसे सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी जाये या नहीं। इस मामले में बात यह है कि चूंकि तार का उल्लेख भी हुआ और उसे सभा में पढ़ कर सुनाया भी गया अतः मैंने समझा कि उसे सभा-पटल पर रखने की अनुमति देने में कोई हर्ज नहीं है। इस तार को हम कोई महत्व दें या न दें, यह एक दूसरी बात है।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : मैं आप को बताना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव सभा के सामने कैसे आया। गत सत्र के आरम्भ में डा० क० ब० मेनन ने केरल की स्थिति पर चर्चा करने के लिये एक प्रस्ताव रखा क्योंकि हमारा विचार था कि केरल में स्थिति अच्छी नहीं है। उस पर आपने कहा था कि प्रस्ताव के समर्थन में कुछ तथ्य उपस्थित किये जायें। अतः आपके निदेश के अनुसार मैंने और श्री मेनन ने समय-समय पर तथ्य तथा पत्र आपके सामने रखे इसी बीच जब कि हम केरल के संबंध में हम अपने उत्तरदायित्वों की चर्चा कर रहे थे, केरल के मुख्य मंत्री ने एक तार भेजा। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा कि वह तार गोपनीय था या नहीं। उस तार में अपमान बचन कहने "स्लैंडर" का आरोप लगाया गया था। यही इस वाद विवाद की जड़ है। यही शब्द बाद में 'न्युएज' पत्र में भी इस्तेमाल किया गया है। इस पत्र में श्री मी० रु० मसानी को टाटा का नौकर भी कहा गया है। इसी प्रकार श्री अ० क० गोपालन तथा श्री ही० ना० मुकर्जी द्वारा लिखी गयी पुस्तक "कम्युनिस्ट इन पार्लियामेंट" में भी "स्लैंडर" शब्द का प्रयोग किया गया है।

जब भी कभी साम्यवादियों को कुछ कहा जाता है या उनकी आलोचना की जाती है तो उन्हें बुरा लगता है और वे आलोचना करने वालों पर इसी प्रकार का आरोप लगाते हैं। उच्च न्यायालय के गौरव पर भी केरल के मुख्य मंत्री ने इसी प्रकार के शब्द प्रयोग किये थे जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उच्च न्यायालय में क्षमा याचना करनी पड़ी थी। इस सभा को भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिये जागरूक रहना चाहिये।

आज सब लोगों की धारणा यही है कि केरल में लोगों को तरह-तरह की धमकी दी जा रही है और उन्हें दबाया जा रहा है। धमकी देना तथा बदनाम करना साम्यवादियों का पुराना तथा पक्का रवैया है। आज सभा में $^{1}/_{10}$ सदस्यों की बात यदि $^{1}/_{10}$ सदस्य नहीं मानते तो उन्हें बदनाम किया जाता है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को अवश्य सौंपा जाये ताकि देश के किसी भाग में ऐसी बात न होने पाये।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर–मध्य) : मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं कि यह बात पैदा कैसे हुई। इसके पीछे एक सुयोजित षड़यंत्र है कि केरल सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाये। मैं श्री अशोक मेहता को बता देना चाहता हूं कि यदि कभी सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उनके दल की सरकार कहीं बनी तो उनको भी इसी स्थिति का सामना करना होगा।

मैं इस प्रस्ताव को राजनैतिक दष्टिकोण से देखता हूं और यदि यह प्रस्ताव पारित भी हो जाता है तो देश के राजनैतिक विकास में बाधा पैदा होगी। ब्रिटेन में भी ऐसा समय था जब हाउस आफ कामन्स के सदस्य वहां के सम्राट की आलोचना करते थे तो उन्हें फांसी दे दी जाती थी। उसी प्रकार हम भी अपने को परमात्मा या भगवान समझते हैं और आज यदि कोई हमारी आलोचना करता है तो हम उसे दबाने या दण्ड देने को तैयार हैं। क्या जनता को अधिकार नहीं है कि वह हमारी आलोचना करे। यदि ऐसी आलोचना को विशेषाधिकार का विषय बनाया जायेगा तो जनता की भावनाओं तथा सभा के विशेषाधिकार में संघर्ष पैदा हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्री० अ० डांगे]

ब्रिटेन में संघीय सरकार नहीं है भारत में है। अतः राज्य के विधान मंडलों के विशेषाधिकार को भी कुछ विशेषाधिकार दिये जाने चाहियें। यदि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के विशेषाधिकारों में संघर्ष होता है तो इस संबंध में भी हमें कुछ निर्णय अवश्य करना होगा। जहां तक श्री अशोक मेहता का संबंध है वह इस प्रश्न को जो रूप देना चाहते हैं उससे तो यह पता लगता है कि वह समाजवाद का अपमान (स्लैण्डर) कर रहे हैं।

†**श्री अशोक मेहता** : श्रीमान्, श्री नम्बूद्रीपाद के बचाव में बोलते हुये माननीय सदस्य, मुझे "स्लैण्डर" कह रहे हैं। यह कहां तक उचित है ?

†**श्री श्री० अ० डांगे** : जी हां, आप समाजवाद का अपमान करने वाले हैं, समाजवाद के लिये "स्लैण्डर" हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को आवेश में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि वह समाजवाद का अपमान कर रहे हैं। समाजवाद के लिये "स्लैण्डर" हैं। इस बात से माननीय सदस्य का कोई अपमान नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि एक समूह के नेता ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार किया जाये। मैं बता रहा हूं कि यदि इस प्रस्ताव पर किसी अन्य दृष्टिकोण से विचार किया जायेगा या इसे किसी ऐसे मंत्री के विरूद्ध समझा जायेगा जिसे आप पसन्द नहीं करते, तो हमारे देश में एक बुरी परम्परा का विकास होगा। जैसा कि श्री अशोक मेहता तथा मेनन ने कहा कि तदर्थ कांग्रेस समिति के सभापति का जो तार आया है उसे अधिकृत नहीं माना जा सकता।

मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को राजनैतिक दलबन्दी के आधार पर न रखा जाये। यदि ऐसा किया गया तो तनाव की स्थिति पैदा हो जायेगी और इसका परिणाम हम सब के लिये बुरा होगा। आप एक ऐसे मंत्रिमंडल को उखाड़ फेंकना चाहते हैं जिसे आप पसन्द नहीं करते। यदि जनता के सामने यह धारणा स्पष्ट हो जायगी कि लोकतंत्रात्मक ढंग से निर्मित सरकार को इस प्रकार उखाड़ कर फेंकने का प्रयत्न किया जा रहा है तो वह कांग्रेस दल के बारे में क्या धारणा बनायेगी ? अतः मेरा निवेदन है कि आप व्यर्थ में ऐसा वातावरण निर्माण करने की कोशिश न करें कि केरल में असुरक्षा तथा अराजकता है।

अतः मेरा निवेदन है कि यदि ऐसे उपायों को काम में लाया जायेगा तो उसका नतीजा देश के सभी राजनैतिक दलों के लिये बहुत बुरा होगा। यदि निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने के लिये ऐसे उपायों का सहारा लिया जायेगा तो कोई भी निर्वाचित सरकार स्थायी नहीं रह पायेगी। अतः इस विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य को यदि केरल सरकार के विरुद्ध कुछ शिकायत थी तो उन्हें चाहिये था कि वह हमारे साथ बैठ कर सारी बातों पर विचार करते। इसी में हम सब का हित है।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल—भारतीय) : वैधानिक दृष्टि से अवस्था यह है कि प्रस्ताव पर विचार करने के बाद आपने उस पर चर्चा करने की अनुमति दे दी है। अब प्रश्न यह है कि सभा या तो इस प्रस्ताव को चर्चा करने के बाद समाप्त कर दे या प्रस्ताव को विशेषाधिकार

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति को सौंपा जाये। चूंकि साम्यवादी दल के सदस्यों ने तरह-तरह की बातें कहीं हैं कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है और उन पर राजनैतिक बहुमत थोपा जा रहा है अतः मेरा निवेदन है कि यह अच्छा होगा कि प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये जो छानबीन करके पता लगाये कि क्या सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

यह सभा सदस्यों के विशेषाधिकारों की अभिरक्षक है। श्री डांगे ने बहुत नाराजी प्रकट की है। उन्हें संसदीय परिपाटी के अधीन काम करना चाहिये। श्री मेनन ने कहा कि गोपनीय पत्र पर कैसे कोई कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, पर दूसरे तार में केरल के मुख्य मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि "स्लैण्डर" शब्द का प्रयोग किया गया है।

यह बात तो सच है कि हमारे साम्यवादियों के विरुद्ध जब कोई बात कही जाती है तो वे बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, स्वयं किसी की आलोचना करने में वे बहुत तेज हैं। अतः स्पष्ट है कि दूसरे तार में जिस स्लैण्डर शब्द का प्रयोग किया गया है वह डा० क० ब० मेनन के ही संबंध में ही है। अतः बात स्पष्ट है और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना उचित ही होगा। मैं समझता हूं कि इस बात से माननीय सदस्यों (साम्यवादियों) को बहुत रोष होगा पर फिर भी यह तो एक परिपाटी का सवाल है अतः हमें समुचित कार्यवाही करनी ही चाहिये। इसमें केन्द्र तथा राज्य के संबंध का कोई सवाल नहीं है और न यही सवाल है कि यह मामला केरल के मुख्य मंत्री का है। यह तो प्रक्रिया का प्रश्न है। जब आप किसी व्यक्ति के मामले में एक प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के मामले में आप उस प्रक्रिया का अनुसरन क्यों नहीं करते।

चूंकि यह मामला स्पष्ट रूप से डा० क० ब० मेनन के विशेषाधिकार के उल्लंघन का है। और हमारे पास यथेष्ट प्रमाण भी हैं तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें न कि सभा को इस पर निर्णय करने का अवसर दिया जाये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पिछली बार जब यह मामला सभा में चर्चा के लिये आया था, उस समय मैं उपस्थित नहीं था पर मैंने समझने की कोशिश की है कि उस दिन क्या चर्चा हुई थी क्योंकि यह मामला अनेक दृष्टिकोणों से गम्भीर परिणामों का है।

मैं समझता हूं कि जब ऐसा कोई मामला आता है तो सभा के सदस्यों के लिये यह कठिन होता है कि वे अपने दलीय स्वरूप या पूर्वधारित विचारों को एक दम छोड़ दें। यह कोई आसान बात नहीं है। फिर भी मैं श्री एंथनी की इस बात से सहमत हूं कि इस मामले का किसी दल समूह या राजनैतिक विचार धारा से कोई संबंध न है न होना चाहिये।

फिर भी मैं समझता हूं कि हमें इस बात को बिल्कुल ही भूल नहीं जाना चाहिये कि जिस व्यक्ति पर कोई अनुचित कार्य करने का आरोप लगाया गया है वह एक राज्य सरकार का प्रधान है। मैं नहीं समझता कि हम यह क्यों सोचते हैं कि यह मामला केवल एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच का मामूली सा मामला है; वैसे तो यह ठीक ही है कि अन्ततः यह मामला भी दो नागरिकों के बीच का है, लेकिन इन विशेष बातों का बहुत कुछ महत्व है।

मैं समझता हूं कि इस बात से हम सभी सहमत होंगे कि यदि इस सभा के किसी सदस्य के प्रति अपमान वचन कहे जाते हैं या ऐसी कोई बात होती है जिससे सभा के विशेषाधिकारों पर आघात

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

होता है तो इस सभा के प्रत्येक समूह तथा दल का यह कर्त्तव्य है कि वह सभा की रक्षा करे और ऐसी बातों को होने से रोकने के लिये कदम उठाये। हम सभी इस सभा के सम्मान से स्पर्द्धा करते हैं। इस बात में कोई सन्देह नहीं है वैसे चाहे हममें कितना भी मतभेद क्यों न हो।

कभी-कभी ऐसा होता है कि इस सभा के विशेषाधिकार की रक्षा करने के नाम पर हम शांति और गम्भीरतापूर्वक बात नहीं करते और मुख्य बात को छोड़ कर अन्य बातों में फंस जाते हैं। अन्य बातों को लाने का प्रलोभन कोई भी नहीं छोड़ सकता, कुछ हद तक, यह मैं जानता हूं। पर मामले पर निर्णय इन सब बातों को अलग रख कर किया जाना चाहिये।

श्री अशोक मेहता ने कुछ अन्य बातों तथा धारणाओं को व्यक्त किया तथा तनाव की बात कहते हुये श्री डांगे ने जो कुछ कहा, उन बातों से मैं सहमत नहीं हूं। तनाव के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस को पसन्द नहीं करता चाहे यह संसार के किसी भाग में हो और अपने देश तथा इस सभा में तो यह बात बिल्कुल ही पसन्द नहीं करता। मैं ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये अपने को सक्षम भी नहीं पाता अतः मैं समझता हूं कि इस बात को बीच में लाना उचित नहीं है। अतः मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना चाहता यद्यपि इस संबंध में सरकार के प्रति कही गई उनकी कुछ बातें बहुत ही अनुदार तथा कठोर थीं।

मैं जानता हूं कि मेरे सहकारी गृह-कार्य मंत्री ने तथा मैंने जिन्हें राज्य सरकारों के साथ सबसे अधिक व्यवहार करना पड़ता है, यथाशक्ति केरल के साथ वैसा ही व्यवहार किया है जैसा कि हम अन्य राज्य सरकारों के साथ करते हैं। हो सकता है हमसे कोई गलती हो गयी हो क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता पर कम से कम हमने ऐसा ही करने की कोशिश अवश्य की है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें हमारा उनसे मतभेद है पर हमने उनके साथ ऐसी कोई भी बात नहीं की है जो किसी अन्य राज्य सरकार के साथ, जो ऐसी ही स्थिति में होती, हम न करते। सच पूछा जाये तो कभी-कभी इस मामले में हम कुछ दब भी गये हैं ताकि हमारे ऊपर यह संदेह न किया जाये कि हमने एक ऐसी सरकार के साथ कुछ अन्याय किया है जहां किसी दूसरे दल की सरकार है जो कि हमारे दल के विरुद्ध है। फिर भी मैं यह दावा नहीं करता कि मेरे अन्दर कोई विशेष गुण हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमसे कोई गलती नहीं हुई होगी या हमने कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जो कि नहीं कहनी चाहिये थी। चूंकि हमारा यही रवैया रहा है अतः मुझे भी डांगे की इस बात से बहुत दुख हुआ कि हमने केरल सरकार के विरुद्ध धर्मयुद्ध खड़ा कर रखा है। फिर भी मैं इस मामले में इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं कि यह सभा तथा माननीय सदस्य इन बातों का जिक्र इस प्रसंग में न करें, चाहे अन्य प्रसंगों में वे बातें कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हों।

मैं समझता हूं कि इस मामले में हमें सरकार के रूप में कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। व्यक्तिगत सदस्य के रूप में हमें अन्य सदस्यों के समान अधिकार प्राप्त हैं। दल के रूप में भी मैं नहीं समझता कि यह किसी दल का मामला है जिसमें कोई विशेष दल कोई विशेष प्रकार का आचरण करे। अतः इस सभा के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इस मामले में वे अपनी पूर्वधारणाओं को न आने दे, चाहे उन की पूर्वधारणायें केरल राज्य के संबंध में कुछ भी हों। इन बातों को अलग रख कर उन्हें इस मामले पर, हमारे सामने उपस्थित तथ्यों के आधार पर ही विचार करना चाहिए।

मैं स्पष्ट रूप से सभा को बता देना चाहता हूं कि अच्छा होता कि यह प्रस्ताव सभा के सामने न लाया जाता ; इसलिए नहीं कि मैं केरल के मुख्यमंत्री की रक्षा करना चाहता हूँ—वैसे तो मेरा कर्त्तव्य है कि मैं उनकी रक्षा करूं—बल्कि इसलिए कि मुझे भय है कि हम लोग ऐसे मामलों में संघर्ष न पैदा कर लें और इसकी अति न हो जाये। कई बार ऐसी बात कही जाती हैं जो उचित नहीं होतीं और उत्तेजना में कई बार ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिन्हें यदि वह व्यक्ति सावधानी से सोचता तो न कहता।

यदि इस प्रकार वक्तव्य देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पीछे हम पड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम में से बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अनजाने में ऐसी बातें कहीं होंगी, जो हमारे विरुद्ध मानी जा सकती हैं। हम सभी मनुष्य हैं और मैं जानता हूं कि मैं भी कभी गलती कर सकता हूं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये मेरा निवेदन है कि यदि इस मामले में जानबूझ कर संसद या संसद के किसी सदस्य के सम्मान को भंग किया गया है तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमें इस चुनौती का जवाब देना चाहिए। पर यदि ऐसा नहीं है ; जैसा कि वाद-विवाद की उत्तेजना में ऐसी कोई बात कह दी जाती है, तो मैं चाहूंगा कि यह सभा उस बात का इतना बुरा न माने। यह मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है जिसे मैंने सभा के सामने रख दिया है।

पहले अवसर पर जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मेरा विचार था कि यदि इस मामले पर आग्रह न किया जाता तो अच्छा होता। पर अब तो यह मामला सभा के सामने है और अब प्रत्येक माननीय सदस्य को इस का निर्णय करने तथा अपनी इच्छानुसार इस पर मत देने का अधिकार है। मैं कोई राय नहीं दे सकता। स्वयं मैं जो ठीक समझूंगा, वह करूंगा। पर में सभा को एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि हमारे सामने महान कार्य है, महान कठिनाइयां हैं और यदि हम छोटी-छोटी बातों पर या शब्दों पर एक दूसरों को चुनौती देने लगेंगे या उसके पीछे दुर्भावना ढूढने लगेंगे, या श्री डांगे के शब्दों में, तनाव का वातावरण पैदा करेंगे, तो यह बातें इस सभा तथा इस देश के लिए लाभदायक नहीं होंगी।

मैं स्पष्ट शब्दों में श्री डांगे से निवेदन करूंगा कि वह अपने दल के लोगों को परामर्श दें कि वे अधिक शिष्टाचार तथा नम्रता से बोलें व लिखें और ऐसा आचरण न करें जैसे कोई आफत आ रही हो।

मैं मानता हूं कि चिल्लाने तथा शोर मचाने के लिए मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं पर इस बात से मुझे बहुत दुख होता है कि लगातार चिल्लाया जाये या किसी व्यक्ति को नीचा दिखाया जाये। यदि सभा के किसी सदस्य की बात हो तो ठीक है वह आप से कह सकता है कि उसे इन बातों से बचाया जाये। पर सभा से बाहर उन लोगों की रक्षा कौन करेगा जिन की हंसी उड़ाई जाती है या उन पर छींटा कसी की जाती है। यह सब बातें बहुत खराब हैं। मैं किसी विशेष दल के लिये ये बातें नहीं कह रहा हूं बल्कि देश में कुछ ऐसी प्रवृत्ति चल रही है जिसको देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है।

हो सकता है कि मेरा दृष्टि कोण आधुनिक विचारधारा के अनुकूल न हो और उम्र का असर मुझ पर हो रहा हो पर मैं समझता हूं कि विनम्र होना एक अच्छी बात है ; एक दूसरे पर चिल्लाना या बुरी बात कहना अच्छा नहीं है। हमें अधिक सभ्यता से बात करनी चाहिए और इस प्रकार समस्या को हल करना चाहिए।

अतः मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मामले में प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। और सभा या बहुमत दल के नेता होने के नाते मैं

कुछ भी नहीं कह सकता कि वे किस पक्ष में अपना निर्णय दें। यह एक सदस्य के सम्मान का प्रश्न है और यदि उसके सम्मान का उल्लंघन किया गया है और यदि किसी ने उस माननीय सदस्य के प्रति अन्याय किया है तो इस संबंध में मैंने अपना विचार प्रकट कर दिया है और अन्य लोगों को क्या करना चाहिए, यह उन पर ही निर्भर है।

†**श्री खाडिलकर :** जब श्री मसानी इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष लाये थे तो मैंने यह कल्पना भी नहीं की थी कि यह चर्चा इतनी तूल पकड़ जायेंगी कि सभा को इस पर गम्भीर रूप से विचार करना होगा। मैं अब भी यह अनुभव करता हूँ कि जब इस प्रकार का कोई सामान्य दोष. रोपण हो, जो कि समान्य रूप से किसी एक व्यक्ति पर लागू न होता हो तो हम उस पर विचार करने के अधिकारी तभी हैं, जब हमारे पास मूल पत्र इत्यादि मौजूद हों। विशेषतः ऐसी स्थिति में, जब कि पहिला तार हमारे पास मौजूद नहीं है और उसके स्पष्टीकरण के रूप में दूसरा तार भेजा गया है तब हमें मुख्य मंत्री को निर्दोष करार देना चाहिये। हमें इस प्रश्न पर अन्य दृष्टि से भी विचार करना है। हमारे देश में संघीय सरकार की स्थापना हुई है और ऐसा समय भी आ सकता है जब कि विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें हों और केन्द्र में दूसरी सरकार हो। अतः हमें राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी इस प्रश्न पर विचार करना है। इसमें सन्देह नहीं कि संसद के विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा इत्यादि का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है तथापि हमें इस प्रश्न पर देश के व्यापक हित की दृष्टि से भी विचार करना है। क्योंकि उपयुक्त रूप से चुने गये मुख्य मंत्री की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी अलग ही महत्वपूर्ण है जितना संसद का।

भाषणों से यह प्रतीत होता है जैसे कि कोई दलगत विवाद हो रहा हो। सदस्य इसे दल के संकुचित दृष्टिकोण से देख रहे हैं। वस्तुतः यह किसी विशेष दल का नहीं अपितु सभा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इससे यह प्रयोजन स्पष्ट हो गया है कि राज्यों के मुख्य-मंत्रियों को भविष्य में अपने सरकारी तथा गैर-सरकारी पत्र व्यवहार के सम्बन्ध यें बहुत सावधान रहना चाहिये। इसलिये श्री मसानी को इस प्रस्ताव पर आग्रह नहीं करना चाहिये और इसे वा.स ले लेना चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और मूल पत्र की अनुपस्थिति में ही मुख्य मंत्री को दोषी ठहरायेंगे तो इसका यह परिणाम होगा कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी हम पर अदूरदर्शिता तथा विचार शू यता का आरोप लगायेगी और हम लोकतंत्र की जड़ों पर आघात करने के दोषी सिद्ध होंगे।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मैं हाल में ही श्री दौलता के साथ केरल की यात्रा करके लौटा हूँ। मैंने वहां का वातावरण शांतिमय देखा। मेरे विचार से इस संकल्प से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा। अतः इसे वापस ले लेना चाहिये। क्योंकि हमारे देश में जिस व्यक्ति या दल को दंड दिया जाता है लोग उसका अधिक आदर करते हैं इसका फल यह होगा कि साम्यवादी दल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही इस प्रकार की बातों से देश में यह भ्रांति फैलती है कि ये सारी पार्टियां आपस में लड़ती हैं इससे तो यही अच्छा है कि देश में सैनिक तानाशाही हो। हमें इस प्रकार की भ्रांति नहीं होने देनी चाहिये और सदैव यह प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे बाहर लोगों को यह प्रतीत हो कि हम लोगों में एकता है और हम सब एक दूसरे के साथ हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) : इस प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय सम्मानित सदस्यों से बहुत संक्षेप में दो, चार शब्दों में अपनी अपनी बात कहने के लिए बोल रहे हैं। स्वयं प्रस्ताव ही दो, चार शब्दों में है। मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में केवल इतना ही है कि जहां तक भारतवर्ष, आर्यावर्त और उसकी इस लोक सभा का प्रश्न है, हमारे सामने एक आदर्श रहा है कि हम ने सारे संसार में यह दिखाना है कि हम ने जो आज प्रजातंत्र स्वीकार किया है, वह प्रजातंत्र संसार में किस आदर्श के साथ चलना चाहिए, यह हमें सबके सामने उपस्थित करना है। अब यदि हम स्वयं प्रजातंत्र की अवहेलना करके और दूषित उपायों के द्वारा एक दूसरे को अपशब्दों के साथ व्यवहार करना आरम्भ कर देंगे तो हम वह आदर्श और वह महानता जो संसार के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं उसे करने में पिछड़ ही नहीं जायेंगे बल्कि एक प्रकार से केवल वह हमारी आदर्श प्रस्तुत करने की प्रणाली भी शाब्दिक ही रह जायगी। मेरा यह निवेदन है कि मनसा वाणी और विचार करने में सब में साम्य होना चाहिए। हमारे विचार महान् होने चाहियें और विचारों को व्यक्त करने की हमारी परिपाटी भी महान् होनी चाहिए और जिनके लिए हम उनका प्रयोग कर रहे हैं उनके प्रति हमारे हृदय में भावना भी महान् होनी चाहिए। इस महानता से प्रेरित होकर जब हम कोई कार्य करेंगे तो किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खराबी तो उस समय आरम्भ होती है जब हम अपने मन में तो द्वेष बुद्धि रखते हैं और उसके पश्चात् शब्दाडम्बर में पड़ कर उस द्वेष बुद्धि को छिपाते हुए अपने हृदय के अन्दर बैठे हुए एक विशिष्ट स्वार्थ की पूर्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में शब्द छल और शब्दाडम्बर और गालीगलौज बहुत काफ़ी बढ़ गई है और यह दोनों ही पद्धतियां हानिकारक हैं। स्पष्ट रूप में स्पष्टता के नाम पर और स्पष्टवादिता के नाम पर अपशब्दों का प्रयोग भी देश के लिए अहितकर ही होगा। दूषित भाव हृदय में रख कर सुन्दर से सुन्दर शब्दों के आवरण में उनको ढक कर और फिर विचार व्यक्त करने की जो परिपाटी है और जिसे डिप्लोमेसी के नाम से विभूषित किया जाता है, वह हमारे देश के लिए हितकर नहीं होगी। हमारे लिए तो सब से सुन्दर बात यही होगी : "मनस्यकेम् वचस्येकम् कर्मण्येकम् महात्मनाम्"। मनसा, वाचा और कर्मणा सब में हम ने महानता को सामने रखा है।

आज हम देख रहे हैं कि सदन में बैठ कर यह तो हम कहते हैं कि हमारे सामने पार्टी पालिटिक्स नहीं है और हमारे सामने दलगत नीति नहीं है और हमारे सामने व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है किन्तु वास्तव में अन्तरात्मा में जब हम घुस कर देखते हैं तो उससे हम अपने को अछूता नहीं पाते। बोलने वाले भी स्वयं अपने आप को महान् दिखाने के लिए यह बोल देते हैं कि वह इन सब से परे है लेकिन वास्तव में भीतर सब के यह दुर्बलता घर करे रहती है। और जब हमारे मन में कुछ चीज़ छिपी होगी तो वह दूसरे पर अवश्य प्रभाव डालेगी चाहे हम उसको स्वीकार करें अथवा न करें और यह दलगत नीति का लेकर सदन में हम आ जाते हैं और उस के कारण हमारा वातावरण खराब हो जाता है। इस में सन्देह नहीं कि पार्टियों के बीच में जो मनोमालिन्य उत्पन्न होता है और जो विषमता उनके बीच में उत्पन्न हुई और जिस विषमता के आधार पर जो वायुमंडल निर्मित हुआ वह एक दूषित वायुमंडल था और उसने यह स्थिति हमारे सामने रख दी है। इस में कोई सन्देह नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति कोई अपशब्द का यदि व्यवहार करे तो वह महानता की दृष्टि से कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसका कोई भी बुद्धिमान आदमी समर्थन नहीं कर सकता है और यदि इसी तरह का व्यवहार चलने दिया जायगा तब तो एक दूसरे के लिए अपशब्दों का व्यवहार आरम्भ हो जायेगा और जिसकी कि कोई सीमा नहीं रहेगी और जब कोई सीमा नहीं रहेगी तब फिर कोई एक भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां तक अपशब्दों के व्यवहार का सवाल है, उन पर रोक तो होनी ही चाहिए लेकिन उसके साथ साथ किसी दूसरे आदमी को बदनाम करने के लिए नवीन

[पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश]

नवीन प्रकार ढूं निकालें और उन प्रकारों को आधार बना कर अगर हम ठीक प्रकार से न चल सके और ग़लत राह पर चलें और लोगों को ठीक रास्ता नहीं बतला सके तो फिर हम अपना और दूसरों का हित नहीं करने वाले हैं। अगर सीधे नाक पकड़ने के स्थान पर पीछे से हाथ डाल कर नाक पकड़ने की पद्धति निकालेंगे तो उससे कोई हमारा लाभ या हित होने वाला नहीं है, मेरा यह नम्र निवेदन है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यहां इस समय देश में जो वायुमंडल का निर्माण हुआ है जो कि समाचारपत्रों से मालूम होता है और यहां लोक सभा में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो अन्यों का वादविवाद चल रहा है, उसमें दो मत नहीं हो सकते हैं कि लोगों में यह भावना निर्माण हो रही है कि इन दोनों में एक प्रकार की टग आफ़ वार चल रही है। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि विचारों में मतभेद हो सकता है और जहां तक कम्युनिस्ट विचारधारा का सम्बन्ध है हम त्रिकाल में भी साम्यवादी विचारधारा स्वीकार करने को तयार नहीं और उसका यहां भी और बाहर भी खड़े होकर हम अपने बुद्धिवाद के आधार पर उसका विरोध करेंगे परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम वह विरोध इन अपशब्दों के द्वारा करेंगे। साम्यवादी दल ने भी यदि उनसे हमारे विचार नहीं मिलते हैं और यदि उन्होंने भी अपशब्दों के द्वारा हमको निन्दनीय या निन्दक कह कर और घोषित करके आगे बढ़ने का प्रयास किया तो यह उनके लिए भी श्रेयस्कर नहीं होगा। अन्ततोगत्वा हम इस देश के निवासी हैं और हमें जो विचारधारा पसन्द आयेगी उसको लेकर हम चलेंगे लेकिन यह विचारधारा हमें जनता तक पहुंचानी है और यदि जनता के स्तर को गिरा दिया और उसके विचारने की पद्धति को गिरा दिया तो फिर हम स्वयं भी कहीं टिक सकेंगे यह स्वयं विचारने की चीज़ है। नेतागण जिस आधार पर चलना चाहते हैं जब वह आधार ही हिल जायगा, जब आधार ही भ्रष्ट हो जायगा तो फिर नेतृत्व वे किस का करेंगे, यह सोचने की एक चीज़ होती है और इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह जो परम्परा चली आ रही है इस प्रकार से एक दूसरे को अपशब्द कहने की और सदन में बैठ कर यदि हम एक दूसरे के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगेंगे तो फिर उसका गाम्भीर्य, उसकी महत्ता, और उसकी निर्णायक शक्ति कहां रहेगी ? जब हम निर्णय करने बैठे और स्वयं उसी में जिस चीज़ में कि हम निर्णय करने बैठे हैं उसमें फंस गये तो फिर हमारा निर्णय भी शुद्ध होगा, यह कैसे माना जा सकता है ? इसलिए अत्यन्त शान्तिपूर्वक, अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक बिना किसी प्रकार का आक्षेप लगाये जो विषय है, उस पर विचार होना चाहिए। अभी जो यहां पर वादविवाद हुआ और उसके द्वारा जो स्वरूप सामने प्रस्तुत किया गया वह योग्यतापूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण और कोई बड़ा भव्य और सुन्दर नहीं था। भारतवर्ष की लोक सभा में इस प्रकार के दृश्य उपस्थित होना अशोभनीय है। वैसे अन्य देशों की संसदों में सदस्यों द्वारा एक दूसरे पर कुर्सियां उछालने और टेबले फैंकने की घटनाएं हो गई हैं और हमारे निकट के पड़ौसी देश में ईस्ट बंगाल की विधान सभा में कुर्सियां और मेजें एक दूसरे पर फेंकी गई और आपस में सदस्यों में हाथापाई भी खूब हुई और इस गड़बड़ में वहां के स्पीकर महोदय को इतनी चोटें आईं कि वे बेचारे जान से गये. . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्पीकर नहीं डिप्टी स्पीकर थे।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश": जी हां, मुझ से गलती हुई वे डप्टी स्पीकर ही थे। इस समय हमारे यहां उपाध्यक्ष महोदय आसन पर विराजमान हैं और मुझे यह देख कर बड़ा दुःख हुआ कि कहीं पर ऐसी दुखद स्थिति भी पैदा हो सकती है। खैर बाहर जो हों हमें अपने भारतवर्ष की

लोक सभा में इस प्रकार का दृश्य कभी भी उपस्थित होने देने का अवसर नहीं देना चाहिए । दुनिया को हमें यह दिखाना है कि हमारा प्रजातंत्र एक भद्र पुरुषों का, सभ्य पुरुषों का, योग्य और बुद्धिमान पुरुषों का यह प्रजातंत्री सदन है। इस सदन में हम लोग गम्भीरतापूर्वक बाल की खाल निकालते हैं और अच्छी प्रकार से आपरेशन करते हैं और कर सकते हैं लेकिन यह बेंच हिला कर, कुर्सियां हिला कर और मारपीट की नौबत ले आना, यह कोई बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों का काम नहीं है । यह तो जो साधारण मनुष्य हैं ते हैं जिनमें कि विचारने की,सोचने की और बोलने की शक्ति नहीं होती है, वे हाथापाई पर उतर आते हैं या गालीगलौज पर उतर आते हैं। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि सदन की प्रतिष्ठा को, सदन के सदस्यों की प्रतिष्ठा को और प्रान्तों की मिनिस्ट्रीज़ और चीफ मिनिस्टर्स की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, इन सब में परस्पर एक साम्य रखना है और यदि चीफ़ मिनिस्टर किसी स्टेट का कहे कि मेम्बर क्या चीज़ होती है और मेम्बर कहे कि चीफ़ मिनिस्टर क्या चीज़ होती है तो जनता यह कहने पर मजबूर होगी कि हम दोनों कुछ भी नहीं हैं और इस तरह दोनों की जो महानता है वह समाप्त हो जायगी । इसलिए हमें बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के एक दूसरे का प्रशंसक बन कर और एक दूसरे के कानूनों का आदर करते हुए हमें लोकतंत्र के पथ पर आगे अग्रसर होना है । एक दूसरे के प्रति यह भावना रहनी चाहिए : "परस्परम् भावयन्तः श्रेयः परमवा स्येत्य" । मेरी यह नम्र प्रार्थना और नम्र निवेदन है कि यह जो वायुमंडल का निर्माण हुआ है उस वायुमंडल को समाप्त करना चाहिए । वैसे तो यह प्रस्ताव कोई बहुत महत्व का नहीं है कि जिसके लिए देश की और बहुत सी बातों को छोड़ कर केवल प्रीविलेज माशन पर विचार करने के लिए हम बैठते लेकिन जब हम उस पर विचार करने बैठ ही गये हैं तो उसका निष्कर्ष यही निकलना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और साथ ही इस प्रकार के अपशब्दों को व्यवहार न किया जाय, इस प्रकार का हमें निश्चय करके हमें भविष्य में कार्य आरम्भ करना चाहिए । धन्यवाद ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री मसानी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है मैं समझता हूं उससे जिस उद्देश्य को वह पूरा करना चाहते थे वह शायद पूरा हो गया है । सदन या सदन के सदस्यों की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए हम लोग कितने व्यग्र हैं यह अब तक के हुए विवाद से पूरी तरह स्पष्ट हो गया है, और कोई भी ऐसा प्रयत्न जो सदन की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए जब किया जायेगा उसका हम विरोध करेंगे इस सम्बन्ध में भी अब किसी को सन्देह नहीं रहना चाहिए ।

लेकिन इस विवाद के साथ जो और भी प्रश्न खड़े हो गये हैं अगर हम इस विवाद को आगे बढ़ायेंगे तो मैं समझता हूं और प्रश्न जटिल होंगे, इस सदन की प्रतिष्ठा या सदन के किसी सदस्य की गरिमा का प्रश्न पीछे पड़ जायेगा, और यह कहने के बावजूद कि किसी राजनीतिक उद्देश्य से यह प्रस्ताव नहीं लाया गया है, राजनीतिक मन्तव्य सामने आ जायेंगे ।

जो भी केरल के मुख्य मन्त्री ने तार दिया उस तार से यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्होंने सदन के किसी सदस्य विशेष के विरुद्ध कोई आरोप लगाया है । अभी यहां यह बात कही गयी कि वह आरोप एक सदस्य विशेष के विरुद्ध है । मैं समझता हूं तार में किसी का नाम नहीं है । हम उसमें से संदर्भ के द्वारा अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन यह बात सच है कि तार में किसी सदस्य के नाम का उल्लेख नहीं किया गया । इसका अभिप्राय यह है कि किसी निश्चित सदस्य पर कोई आरोप नहीं है । यदि यह कहा जाये कि सदन के सदस्य के नाते जो कुछ सामग्री उन्होंने सदन के सामने उपस्थित की उसके ऊपर केरल

[श्री वाजपेयी]

के मुख्य मंत्री को आपत्ति है, और उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिन्हें सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कहा जा सकता है, इसमें भी इस बात का विचार करना होगा कि क्या केरल के मुख्य मंत्री की नीयत सदन के किसी विशेष सदस्य को बदनाम करने की थी।

श्री अशोक मेहता ने कहा कि हमारे कम्युनिस्ट दोस्त इस तरह की शब्दावली का प्रयोग साधारण रूप से करते हैं। हो सकता है कि यह प्रयोग भी उसी साधारण रूप से हो गया हो और उसका अभिप्राय सदस्य की मानहानि करना न हो। मैं नहीं समझता मुख्य मन्त्री की नीयत क्या थी, इसके सम्बन्ध में यह सदन कैसे निर्णय दे सकता है। लेकिन जो भी विवाद यहां चल रहा है वह विवाद इस एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में देश में देखा जा रहा है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी केरल में चुन कर आयी है। और मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी से मेरा विरोध है और उसकी नीतियों और कार्यक्रमों और उसके सिद्धान्तों का मैं कट्टर विरोधी हूं और आगे भी रहूंगा, लेकिन इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि जनता के वोटों से भारतीय संविधान के अन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टी केरल में सत्तारूढ़ हुई है। यदि केरल में असुरक्षा की स्थिति है, संविधान द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है, जैसा कि सदन में दावा किया गया है, तो मैं निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय शासन को संविधान के अन्तर्गत वे अधिकार प्राप्त हैं जिनसे केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से हटाया जा सकता है। क्यों नहीं उन अधिकारों को काम में लाया जाता ?

लेकिन यहां एक बड़ी विचित्र परिस्थिति पैदा हो गयी है। केरल को एक उदाहरण के रूप में पेश किया गया, पंचशील का उदाहरण, कोएग्जिसटेंस का उदाहरण, कि १३ राज्यों में कांग्रेस का शासन है, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, यह हिन्दुस्तान में पंचशील का जीता जागता नमूना है। अगर नमूना है तो उसके साथ न्याय का, नीति का व्यवहार होना चाहिए। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि केन्द्रीय सरकार केरल के साथ कोई पक्षपात कर रही है, मगर यह विवाद इस सदन के भीतर और बाहर इस प्रकार का भ्रम पैदा करने में सहायक हो सकता है कि हम येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो वह ठीक नहीं है।

हमने संघात्मक शासन को स्वीकार किया है। भारत एक फेडरेशन है, यूनिटरी स्टेट नहीं, यद्यपि मैं और मेरी पार्टी यूनिटरी स्टेट के पक्ष में हैं जिसमें इस प्रकार के राज्य और केन्द्र के साथ उत्पन्न होने वाले झगड़े और उनके परिणामस्वरूप देश की एकता के लिए पैदा होने वाले खतरे के लिए कोई सम्भावना नहीं रहेगी, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने, देश के बहुमत ने संघात्मक शासन स्वीकार किया है और संघात्मक शासन स्वीकार करने से जो परम्परायें आवश्यक हैं, जो नीतियां अनिवार्य हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए। किसी राज्य में किसी और पार्टी का शासन हो इसी लिए यदि सत्तारूढ़ दल के सदस्य उस पार्टी के साथ भेदभाव करें तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। विविधता में एकता को अगर हमें राजनीति में भी आश्रय देना है तो फिर जब तक कम्युनिस्ट पार्टी संविधान के अन्तर्गत काम करती है, और मुझे यह मानकर चलना होगा कि वह ऐसा कर रही है क्योंकि केन्द्र ने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है, तो फिर हमें उनको पूरी छूट देनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि अगर इस प्रिविलेज के मोशन को भी हम राजनीति से अलग रख कर देखें, और अगर मेरे मित्र मिस्टर मसानी जो कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी हैं इस सवाल पर विशुद्ध संसद् की प्रतिष्ठा और उसके सदस्यों की गरिमा का प्रश्न बना कर देखें, तो मैं समझता हूं वह भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि काफी विवाद हो गया। चीफ मिनिस्टर ने यदि कोई गलती की थी तो उसकी ओर सारे संसार का ध्यान खींच दिया गया और अब इस विवाद को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यहां समाप्त कर देना चाहिए। मैं उनसे

अपील करूंगा, वह इस समय अपने स्थान पर नहीं हैं, कि उनके प्रस्ताव में जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया है, और वह अब इस विवाद को समाप्त कर दें। इस कटु विवाद को और आगे न बढ़ायें।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : जो विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे मित्र श्री मीनूमिसानी ने सदन में उपस्थित किया है वह बहुत ही महत्व का प्रश्न है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि सदन की प्रतिष्ठा, सदन के सदस्यों की प्रतिष्ठा का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए, और इस प्रस्ताव पर जो बहस हुई उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस सदन को इस सदन के हर एक सदस्य को, सदन की प्रतिष्ठा से बहुत मोह है, वह उसे कायम रखना चाहता है। लेकिन, श्रीमन्, सिर्फ इतना ही प्रश्न नहीं है कि हम सदन की प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार को कायम रखें, सदन के सदस्यों की प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार को कायम रखें, इसके साथ ही राष्ट्र के बहुत से और भी प्रश्न हैं। हमें देखना होगा कि जहां एक तरफ हम सदन और सदन के सदस्यों की प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार की तरफ इतने जागरूक हैं, क्या उतने ही जागरूक हम अन्य समस्याओं की तरफ भी हैं या नहीं। इस संदर्भ में हमें इस विशेषाधिकार के प्रश्न को देखना होगा।

मैं इससे इंकार नहीं करता कि शब्द "स्लेंडर" अपमानजनक है, और यदि किसी सदस्य की प्रतिष्ठा में ऐसा शब्द कहा जाता है तो इसको बरदाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमको यह भी देखना होगा कि जिस व्यक्ति की तरफ से यह शब्द प्रयोग किया गया है उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है। उस पार्टी की पृष्ठभूमी क्या रही है। हम यह न भूल जायें कि राष्ट्रीय आन्दोलन के जमाने में राष्ट्र पिता के प्रति इन्हीं हमारे दोस्तों ने किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था, उनको भूमिपतियों का दलाल तक कहा गया। जब सन् १९४८ में कांग्रेस हुई तो उस समय इस तरफ से कहा गया कि जो नेता हैं उनको आम तौर से बदनाम करना चाहिए और कार्यकर्त्ताओं को अपनी तरफ खींचना चाहिए। उस वक्त यहां तक कहा गया कि हिन्दुस्तान का प्रधान मन्त्री इम्पीरियलिस्ट डाग है यानी साम्राज्यवाद का कुत्ता है। यह पृष्ठभूमि है उस पार्टी की और इस प्रश्न पर विचार करते समय हम को इस पृष्ठभमि को अपने सामने रखना चाहिए और देखना चाहिए कि उस पार्टी के लोगों को इस तरह की भाषा बोलने की जो आदत पड़ी हुई हैं, इस शब्द का प्रयोग उस के कारण किया गया है, या किसी अन्य उद्देश्य से और इसके पीछे क्या वही भावना थी, या किसी दूसरी तरह की भावना थी। मैं कहना चाहता हूं कि इस एक शब्द के प्रयोग मात्र से हम समझ लें कि इस सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है और उस पार्टी के विरुद्ध एक प्रकार की लड़ाई छेड़ दें—जिसकी हमारी परम्परा नहीं है—तो मेरे विचार में यह उचित नहीं है।

श्री च० द० पांडे (नैनीताल) : चूंकि उन की यह आदत हो गई है, इसलिये क्या उन को छोड़ दिया जाये ?

श्री ब्रजराज सिंह : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह उन की आदत बनी रही, लेकिन यह एक तथ्य है कि जब तक वे लोग अपनी इस आदत पर कायम रहे, वे हिन्दुस्तान में कुछ कर नहीं सके। अगर उन्होंने कुछ किया है, तो वह अपनी नीति और अपने तरीकों में परिवर्तन कर के, अपने काम के ढंग में परिवर्तन कर के किया है।

हम जानते हैं कि जब इस देश में, १९४१ में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, तो हमारे यही मित्र कहते थे कि इस समय देश में मास स्ट्रगल—जनयुद्ध—की जरूरत है,

[श्री ब्रजराज सिंह]

लेकिन जब १९४२ में "क्विट इंडिया" का प्रस्ताव सामने आया, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आज लड़ाई की जरूरत नहीं है और ब्रिटिश शासन जो युद्ध कर रहा है, वह तो "पीपल्ज वार" है ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सब रेलेवेन्ट (संगत) है ?

श्री ब्रजराज सिंह : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी ये सब नीतियां चलती रहीं, परन्तु हिन्दुस्तान की राजनीति में उन से कोई फर्क नहीं आया और आज हिन्दुस्तान की राजनीति में अगर कम्युनिस्ट पार्टी को कोई महत्व या गरिमा प्राप्त है, तो वह इसलिये नहीं है कि उस ने कोई अच्छा काम किया है, बल्कि इसलिये है कि शासनारूढ़ पार्टी को महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चल कर जनता के हित के लिये जो कुछ करना चाहिये था, उस ने वह नहीं किया ।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न को लेकर हमें कम्युनिष्ट पार्टी के विरुद्ध कोई युद्ध नहीं शुरू कर देना चाहिये । जब तक वे लोग संविधान में विश्वास करते हैं, जब तक वे सोचते हैं कि वे हिन्दुस्तान में संविधान के मुताबिक कार्य कर सकते हैं और राज्य चला सकते हैं, तब तक हमें उन्हें काम करने का मौका देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ऐतराज किया जा रहा है कि इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा जा रहा है, वह रेलेवेन्ट नहीं है । स्पीकर साहब ने कहा था कि आज हमारे सामने जो मसला है, माननीय सदस्य सिर्फ उस पर बहस करें ।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं जानता हूं कि केरल की तरह यदि हिन्दुस्तान में उन का शासन हो, तो ऐसी और बहुत सी बातें हो सकती हैं, जिन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे । लेकिन सवाल यह है कि क्या हम लोक-सभा में, हिन्दुस्तान में जो कुछ हो रहा है, उस का दर्पण बना रहे हैं, देश में जो विचार-धारा चल रही है, क्या हम यहां पर उस की सही तस्वीर खींच रहे हैं, या नहीं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में आज जो बहस हो रही है, या पिछले अधिवेशन में इस सम्बन्ध में जो बहस हुई मुल्क के लोग उस को सदन के विशेषाधिकार के रूप में नहीं ले रहे हैं । वे तो यह समझ रहे हैं कि दो पार्टियों के बीच युद्ध चल रहा है । "स्लैंडर" शब्द के प्रयोग से हमारे माननीय सदस्यों का जो अपमान हुआ है, उस के लिये उस शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को जो सजा दी जानी चाहिये थी, देश में और विदेशों में इस घटना का प्रकाशन होने से वह सजा काफी हो जाती है । अब इस प्रश्न को आगे बढ़ा कर हम विशेषाधिकार की रक्षा के प्रश्न को आगे नहीं बढ़ायेंगे, बल्कि हम आगे बढ़ायेंगे राजनीति में वैचारिक मतभेद को, वैचारिक युद्ध को और वह देश की भविष्य की राजनीति के लिये अच्छा नहीं होगा ।

व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि कम्युनिस्ट शासन अच्छा नहीं हो सकता है । आज सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस के शासन और कम्युनिस्टों के शासन में कोई फर्क है या नहीं । जहां तक मैं समझता हूं, उन में कतई फर्क नहीं है, केरल के शासन में और उत्तर प्रदेश के शासन में कोई फर्क नहीं है, उन की नीतियों में कोई फर्क नहीं है । जिस पंचवर्षीय योजना को कांग्रेस चलाती है, उसी को चलाने और पूरा करने का प्रण कम्युनिस्ट पार्टी करती है । आज प्रश्न तो यह है कि क्या हम इस विशेषाधि-कार के प्रश्न को इतना महत्व , जिससे हिन्दुस्तान की मौलिक समस्यायें पीछे पड़ जायें और क्या इस प्रश्न पर बहस करते रहना हिन्दुस्तान की दूसरी महत्वपूर्ण समस्याओं के लिये ठीक और उचित होगा या नहीं । अगर हम सिर्फ कानूनी दृष्टि से देखने लगें, तो यह स्पष्ट है कि यदि "स्लैंडर" शब्द का प्रयोग किया गया और प्रकाशित करने के लिये किया गया--जैसा कि वह प्रकाशित हुआ—तो

यह उचित नहीं था और इस अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिये था और उस में विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न उठ सकता है। लेकिन यदि विशेषाधिकार का प्रश्न उठे, तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि सम्बद्ध व्यक्ति को हम कितनी सजा दे सकते हैं, हम इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति में भेजें या यह सदन उस पर विचार करे या जो कुछ हो चुका है, वही काफी है। मेरा विचार यह है कि अब तक जो कुछ हो चुका है, वही पर्याप्त है, और इस सम्बन्ध में अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इस को पास करने की जरूरत नहीं है और प्रस्तावक महोदय को इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। इस प्रस्ताव का जो मन्तव्य था, जो उद्देश्य था, वह पूरा हो चुका है। मैं समझता हूं कि यदि कम्युनिस्ट पार्टी जनतंत्रीय तरीके से हिन्दुस्तान में काम करने के सिद्धान्त पर दृढ़ है, तो उसे मानना पड़ेगा कि इस तरह की गलती भविष्य में न होनी चाहिये। मैं साफ तौर से मानता हूं कि यह गलती है, इस को करने वाला व्यक्ति चाहे कोई हो, चाहे वह केरल का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन इस के साथ ही साथ इस घटना के विषय में मुल्क में भावना इस तरह की है कि चूंकि केरल कम्युनिस्ट-शासित प्रदेश है, इसलिये यह कार्यवाही की जा रही है और अगर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रहा होता, तो ऐसी कोई बात न होती। भले ही यह बात निराधार हो, लेकिन यदि मुल्क की जनता के हृदय में यह भावना बैठी है, तो हिन्दुस्तान की भविष्य की राजनीति के लिये और शासन के लिये यह अच्छा नहीं है। इस विषय पर जितना विवाद हो चुका है, उसको पर्याप्त समझते हुए इस सम्बन्ध में आगे नहीं बढ़ना चाहिये। कानूनी रूप से इस प्रश्न के सब पहलुओं को देखते हुए, यह मानते हुए भी कि वह पत्र प्रकाशन के लिये था और उसको प्रकाशित किया गया और इस प्रकार इस सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया, इस सम्बन्ध में आगे नहीं बढ़ना चाहिये। जैसा कि मैंने कहा, इस पार्टी के लोगों को इस प्रकार की भाषा और शब्दावली का प्रयोग करने की आदत शुरू से रही है। हमारे माननीय मित्र श्री डांगे ने भी उसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया। वह तो समझते हैं कि उनकी पार्टी के समान कोई दूसरी पार्टी क्रान्तिकारी नहीं है, कोई जनता का भला नहीं चाहती। वह चाहे जैसे शब्दों का प्रयोग करें और जैसा उचित समझें, करें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम जो तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जिन प्रवृत्तियों को हम खत्म करना चाहते हैं, उन के लिये हम को सैद्धान्तिक बेसिस पर लड़ना पड़ेगा, हमें वैचारिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी—और वह हम लड़ रहे हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चल कर लड़ रहे हैं। जैसाकि हम हमेशा लड़ते आये हैं। अब तो वे लोग अपने को अनुकूल बना रहे हैं। और अगर वे ऐसा करना जारी रखते हैं और आने वाले समय में राजनीति में जनतन्त्रीय परम्पराओं को विकसित करने की बात करते हैं, तो इस प्रस्ताव को वापस लेने से उस में कुछ मदद मिल सकेगी। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान के उन लोगों को काम करने का मौका दिया जाना चाहिये, जोकि हिन्दुस्तान की राजनीति में जनतन्त्रीय परम्पराओं में विश्वास करने की बात करते हैं।

अन्त में एक और बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। संघीय शासन में हमारे कुछ और उत्तरदायित्व होते हैं। हमारी लोक सभा या हमारी गवर्नमेंट उस तरह की नहीं है, जिस तरह की कि ब्रिटेन में चलती है, या अन्य जनतंत्रीय देशों में चलती है। यहां राज्यों और केन्द्र का अधिकार-क्षेत्र बंटा हुआ है, सीमायें बंटी हुई हैं। उन दोनों को अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी सार्वभौम सत्ता प्राप्त है। इसलिये इस देश में स्वस्थ राजनीतिक वातावरण पैदा करने के लिये और जनतन्त्रीय पद्धति को विकसित करने के लिये यह आवश्यक है कि हम राज्यों को उन के मामलों में पूरी आजादी दें।

इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि इस प्रस्ताव पर और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने की जरूरत नहीं है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूरा हो चुका है और इसे यहां ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड): श्री एन्थनी ने कहा है कि दूसरे तार का विषय ही इस बात का पर्याप्त आधार है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति में भेजा जाना चाहिये। जहां तक दूसरे तार का सम्बन्ध है उस में कहीं भी ऐसा कारण दृष्टिगोचर नहीं होता है उस में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी संसद् सदस्य पर आक्षेप करने का मेरा जरा भी विचार नहीं है लेकिन यदि कोई सदस्य, किसी सरकार पर कुछ आक्षेप लगाये, जिन का उत्तर देने को वह सरकार सभा में उपस्थित नहीं है तो यह आरोप उक्त सरकार के प्रति अपमान बचन है। वस्तुतः सही स्थिति उक्त प्रकार है।

श्री अशोक मेहता ने सभा में एक स्थगन प्रस्ताव रखा था और केरल के सम्बन्ध में कुछ तथ्य दिये थे। उन्होंने बताया था कि वेलायुधन नाम के किसी व्यक्ति पर साम्यवादियों ने हमला किया था उनका उद्देश्य राजनैतिक था किन्तु वेलायुधन ने स्वयं अपने वक्तव्य में इस हमले को राजनीतिक विवाद से दूर बताया है और इस का कारण व्यक्तिगत बताया है।

केरल के मुख्य मंत्री का कथन केवल यह था कि यदि सभा में केरल सरकार के प्रति सदस्यों द्वारा कही गई ऐसी बातों पर ध्यान दिया जायेगा जिन की केरल सरकार सफाई नहीं दे सकती है तो यह उस सरकार के प्रति अपमान बचन के बराबर है। इस के अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। इसलिये जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा था सर्वोत्तम तो यह था कि दूसरा तार आने के पश्चात् हम यह मामला यहीं समाप्त कर देते। प्रधान मंत्री ने हमारे दल से अपने वक्तव्यों इत्यादि के सम्बन्ध में सावधान रहने को कहा है। यह ठीक है तथापि कांग्रेस पक्ष वालों को भी अपने वक्तव्य इत्यादि के सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिये जिस से वातावरण अधिक मैत्रीपूर्ण और उदार बने और ऐसी बातों की नौबत ही न पैदा हो।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल): मैं इस संकल्प के सम्बन्ध में अपने विचार सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम इस तथ्य से सभी को अवगत होना चाहिये कि इस सभा की सत्ता और प्रतिष्ठा महान है और कोई भी व्यक्ति जो इस सभा के अधिकारों की अवहेलना करेगा वह दंडनीय होगा। तथापि हमें यह भी सोचना चाहिये कि क्या मुख्य मंत्री गृह मंत्री मंत्री को भेजे गये तार को प्रकाशनार्थ देकर कोई ऐसा कार्य किया है जिस से सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है।

वस्तुतः बात यह है कि पिछले सत्र में डा० क० ब० मेनन ने केरल की कुछ घटनाओं के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। उसके सम्बन्ध में यह औचित्य प्रश्न उठाया गया कि जब उसका उत्तर देने के लिए केरल सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है तो यह प्रस्ताव किस प्रकार ग्राह्य हो सकता है। इस पर यह बताया गया कि गृह मंत्री यहां केरल की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं अतः उसके सम्बन्ध में केरल सरकार की ओर से गृह मंत्री उत्तर देंगे। इसी बीच गृह मंत्री को एक तार प्राप्त हुआ जो केवल अध्यक्ष के ही प्रयोजन के लिए था। इस सम्बन्ध में मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे तार को अपने तक ही सीमित रखें जो वस्तुतः सारी सभा की सम्पत्ति है। क्या सभा को यह रहस्य जानने का कोई अधिकार नहीं है।

दूसरे तार में यह कहा गया है कि यद्यपि पहिले तार में अपमान-शब्द का प्रयोग किया गया है तथापि उसका प्रयोग सभा के लिये नहीं हुआ है। वस्तुतः इससे स्थिति अधिक जटिल हो गई है। इससे तो अच्छा यह था कि मुख्य मंत्री को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए थी और स्पष्ट रूपेण क्षमा मांगनी चाहिये थी। कुछ भी हो इस से यह तो स्पष्ट है कि चाहे उस तार को कितना ही गोपनीय क्यों न कहा जाय, सभा का विशेषाधिकार भंग हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन अब क्योंकि मुख्य मंत्री अपनी गलती से अवगत हो चुके हैं और सभा में इस सम्बन्ध में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है इसलिए इस सम्बन्ध में मामला बढ़ाना उचित नहीं है। आशा है कि माननीय सदस्य इस संकल्प पर आग्रह नहीं करेंगे।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा): निसंदेह प्रधान मंत्री ने उचित ही कहा है कि हमें इस प्रश्न पर निष्पक्षता और वस्तुगत दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। यह प्रश्न सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का है और सदस्यों का विशेषाधिकार वस्तुतः जनता का विशेषाधिकार है। अतः हमें उनके अधिकारों को भरसक प्रयत्नपूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए। तथापि लोग इस सम्बन्ध में राजनैतिक सिद्धान्त तथा दलबन्दी की बातें लाये हैं इससे सारा प्रश्न कलुषित हो गया है और हम इस प्रश्न पर निष्पक्षता से विचार करने में समर्थ नहीं होते हैं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

तथापि सभा में दल विशेष के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई हैं। जहां तक केरल के मुख्य मंत्री का व्यक्तिगत सम्बन्ध है वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं मैं उनकी प्रशंसा करती हूं। केरल की सरकार संविधान के अन्तर्गत कार्य कर रही है और उनकी लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर आस्था है। लेकिन प्रश्न राजनैतिक सिद्धान्तवाद का नहीं है, प्रश्न है सभा की प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों का। हमें इस सम्बन्ध में अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए अगर अभी से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो भविष्य में इससे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो सकता है।

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची पूर्व): प्रधान मंत्री ने यह कह कर कि ऐसे विशेषाधिकार प्रस्ताव पर सरकार या कोई दल कुछ नहीं कह सकता है, अपितु अब इस प्रश्न पर सभा ही निर्णय कर सकती है, इंगलैंड की हाउस आफ कामन्स के सर्वोच्च परम्पराओं का पालन किया है। सदस्यों ने मुझे यह सुझाव दिया है कि मैं इस प्रस्ताव को वापस ले लूं लेकिन अब क्योंकि यह प्रस्ताव सभा ने गृहण कर लिया है इसलिए अब इसे वापस लेने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं रहा है।

इस प्रश्न के अन्तर्गत बहुत सी असंगत बातें लाई गई हैं जो नहीं लाई जानी चाहिये थीं। श्री डांगे ने यह कहा है कि हमें अपनी आलोचना से अस्थिर नहीं होना चाहिए। प्रश्न आलोचना का नहीं है। हमारे ऊपर ईर्षा का आरोपण किया गया है। और हमारी सदाशयता पर सन्देह किया गया है। इस प्रकार तो कोई भी सदस्य अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में समर्थ नहीं होगा अतः हमारे विशेषाधिकार का भंग होता है। सभा को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

इस संकल्प पर कुछ संशोधन आये हैं। पहिला डा० क० ब० मेनन का संशोधन है, उसमें यह स्थापित किया गया है कि मानहानि हुई है। मैंने अपने संकल्प को इस प्रकार की शब्दावलि से अछूता रखा है और उसे भरसक निष्पक्ष तथा आरोपरहित बनाने का प्रयत्न किया है। समिति से अगले सत्र के पहिले दिन प्रतिवेदन मांगा गया है। वस्तुतः समिति से, जो उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में काम करेगी, इस सम्बन्ध में केवल जांच करने को कहा गया है।

चर्चा के दौरान यह बात भी स्पष्ट हुई है कि पहिला तार, गृह मंत्री को भेजते समय ही, प्रैस में प्रकाशनार्थ दे दिया गया था। जब कि दूसरे तार में इसे गोपनीय कहा गया है। मैं विशेषाधिकार समिति से यह निवेदन करता हूं कि वे इस मामले की जांच करे।

श्री नारायणन कुट्टि मेनन ने एक संशोधन रखा है। जिसमें कहा गया है कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना अनुचित होगा। मेरे विचार से यह सभा तथा अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भी स० मसानी]

करने के समान है क्योंकि सभा के बहुमत से यह पहिले ही स्वीकृत हो चुका है कि इस मामले में कार्यवाही की जा सकती है। तथापि उसके बाद भी यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्न केवल यह है कि सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। यदि हुआ है, तो चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

अतः मैं सभा से सिफ़ारिश करूंगा कि वह इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के प्रस्ताव का समर्थन करे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री नारायणन् कुट्टि मेनन का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा डा० क० ब० मेनन का संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं मूल प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं।
प्रश्न यह है :

"कि २३ सितम्बर को एक माननीय सदस्य द्वारा सभा का ध्यान केरल के मुख्य मंत्री श्री ई० एम० एस० नम्बूद्रीपाद द्वारा गृह-कार्य मंत्री, पंडित गो० ब० पन्त को भेजे गये उस तार की ओर आकर्षित किये जाने पर, जिस के कुछ अंश २० सितम्बर को पी० टी० आई० द्वारा त्रिवेन्द्रम से भेजे गये एक समाचार में, जो अधिकारिक सूत्रों पर आधारित बताया जाता है, दिये गये हैं तथा जो २१ सितम्बर को 'टाइम्स आफ इण्डिया' दिल्ली और 'अमृत बाजार पत्रिका' कलकत्ता, में प्रकाशित हुआ है, जिसमें श्री नम्बूद्रीपाद ने इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों पर अपमान वचन का आरोप लगाया है;

और श्री नम्बूद्रीपाद द्वारा बाद में पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त को भेजे गये उस तार को ध्यान में रखते हुए, जिसे माननीय अध्यक्ष ने इस सभा में २३ सितम्बर, को पढ़ कर सुनाया;

यह सभा संकल्प करती है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये जो इस बात की जांच करे कि इस सभा का और सम्बन्धित सदस्यों का विशेषाधिकार भंग हुआ है अथवा नहीं तथा इस प्रकार सभा की हुई किसी मानहानि का पर्याप्त परिमार्जन हो गया है अथवा नहीं, और समिति से प्रार्थना की जाये कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही के लिए वह अपना प्रतिवेदन व सिफारिशें लोक-सभा के अगले सत्र के पहले दिन प्रस्तुत करे।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में १३८, विपक्ष में ३२।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी। श्री तंगामणि अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : संविधान के अनुच्छेद १०२ के अन्तर्गत संसद् को यह निर्णय करने का अधिकार है कि अमुक पद ग्रहण करने से कोई व्यक्ति संसद् का सदस्य बनने के अयोग्य हो जायेगा। परन्तु जब कि हम ने अनुसूची भी साथ रखी है तो अदालत भी यह निर्णय दे सकती हैं कि अमुक पद अयोग्यता का कारण नहीं बनेगा। इस सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त रख कर अनुसूची का निर्माण नहीं किया गया है।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

उप-समिति ने इस के लिए वर्गीकरण के बारे में जो कुछ कहा है उससे भी किसी सिद्धान्त का निर्माण नहीं होता, जिसके अनुसार सामान्य नीति का मार्ग निर्धारित किया जा सके। अनुसूची के भाग १ और २ किसी भी निश्चित नीति के बिना ही निर्माण किये गये हैं।

आज जब हम सरकारी क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और संविहित निकायों की आवश्यकता बढ़ रही है, तो संसद् के भीतर भी हमें एक निश्चित नीति अपनानी होगी। इन निकायों के प्रतिवेदनों की छानबीन करने का अधिकार संसद् को है और यही सदन का प्रभावशाली नियन्त्रण है। इसके द्वारा ही सरकारी निकायों की संसद् द्वारा देखभाल की जाती है। समिति के सदस्य जानते हैं कि उनके कार्य की चर्चा संसद् में हो सकती है इसलिए वे सचेत रहते हैं। अतः संसद् सदस्यों का इस प्रकार के निकायों से सम्बन्ध होना चाहिए, ताकि इनके द्वारा कोई अनुचित कार्यवाही न हो सके। जो भी संसद् सदस्य इन सरकारी निकायों के सदस्य होंगे उन्हें मालूम होगा कि उन्हें अपने कृत्य के लिए संसद् के प्रति उत्तरदायी होना होगा।

अभी हाल ही में वाणिज्यिक नौवहन विधेयक पर चर्चा के समय यह अनुभव किया गया था कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड में कुछ संसद् सदस्यों को लिया जाना चाहिए। अब बताइये उन्हें अनर्हता नियमों के अन्तर्गत लाया जायेगा अथवा मुक्त रखा जायेगा। सरकारी क्षेत्र के विकास के साथ सरकार को बहुत से उद्योगों का प्रशासन करना पड़ता ह। हम चाहते हैं कि उनसे सम्बद्ध योग्य व्यक्ति इस सदन के सदस्य बनें ताकि हम उनके परामर्श से कुछ लाभ उठा सकें। हम यह भी चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी संसद्-सदस्य बनें जिन्होंने कि विभिन्न विभागों में काम किया हैं, जैसे कि हमारे श्री प्रभातकार, श्री त० ब० विट्ठलराव और श्री स० म० बनर्जी हैं। किसी बहुत बड़े उद्योग के प्रबन्ध निदेशक के लिये तो कोई अनर्हता नहीं वह तो सदस्य बन सकता है परन्तु रक्षित बैंक का कर्मचारी इस अधिकार से वर्जित है। क्योंकि उसका पद लाभप्रद हो जाता है। इस प्रकार का भेदभाव पैदा करके यदि संयुक्त समिति चाहे कि वह सदन की पवित्रता को कायम रख सकेगी, तो यह बात समझ में आने वाली नहीं।

कुछ माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उल्लेख किया है। विश्विविद्यालय अनुदान आयोग को काफी अधिकार प्राप्त हैं। बहुत से नीति-सम्बन्धी मामलों का निर्णय इसी आयोग द्वारा किया जाता है, यदि हम इन्हें छोड़ रहे हैं तो उपकुलपतियों को भी छोड़ा जा सकता है। बनारस विश्वविद्यालय में जो आज हो रहा है उस पर हमने कई बार चर्चा की है और इस सम्बन्ध में एक विधान भी बना है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि जब तक उपकुलपति को नहीं हटाया जाता, शान्ति

†मूल अंग्रेजी में

नहीं होगी। परन्तु उसे संरक्षण दिया जा रहा है। अतः उपकुलपति के पद को छोड़ते हुये हमें इस अनुभव का पूरा ध्यान रखना होगा। इस विधेयक में जो छट दी गयी हैं, उसके लिए कोई सिद्धान्त निश्चित नहीं। यदि आप सचमुच इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो विधेयकों से काम नहीं चलेगा, आपको संविधान में संशोधन करना होगा, अनुच्छेद १०२ का स्पष्टीकरण करना होगा। और लाभ पद के सम्बन्ध में पूरी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। हमें देखना होगा कि क्या इसकी सीमा केवल मुआवजा लेने अथवा न लेने तक ही है, अथवा कुछ अधिकारों से सम्बन्धित निकायों पर भी इसका प्रभाव होगा। यदि स्पष्ट परिभाषा हो जाय तो संसद् के समक्ष भी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी, अन्यथा हम इधर उधर भटकते ही रहेंगे।

बहुत से माननीय सदस्यों ने जोर दिया है कि इस विधेयक को वापिस लेकर सरकार को संविधान में समुचित संशोधन करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यद्यपि हमारा संविधान लिखित रूप में होने के कारण अनम्य है, परन्तु फिर भी संशोधन करने में कोई रुकावट नहीं होगी और यह अवसर संशोधन करने का है। इस विधेयक से तो बहुत सी अनियिमततायें रह जायेंगी, यहां तक कि सदन के सदस्यों की स्थिति भी अनिश्चित हो जायेगी। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को वापिस ले लेना चाहिए और जैसा कि कई लोगों ने सुझाव दिया है इसे समुचित विधान के रूप में, संविधान के संशोधन के साथ, पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

†**श्री बर्मन** (कूच-बिहार रक्षित-अनुसूचित जातियां) : इस विधेयक पर कोई निश्चित मत प्रकट करना असम्भव है। जो लोग गत नौ मास से इस विधेयक पर विचार कर रहेहैं, वे भी इस सम्बन्ध में अभी कोई स्पष्ट राय नहीं दे सकते। संविधान का संशोधन तो सम्भव नहीं, क्योंकि इस अनुच्छेद की कुछ उपयोगिता हैं। मेरे विचार में सिद्धान्त यह होना चाहिए कि किसी सदस्य का कार्यपालिका से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्यपालिका से स्पष्टीकरण मांगने का इस सदन को पूरा अधिकार प्राप्त है। परन्तु फिर भी हमें कुछ सदस्यों को तो कार्यपालिका के काम पर लगाना ही होता है जैसे यह मंत्री और उपमंत्री हैं। ये लोग अपने अपने विभागों के कामों के लिए सदन के प्रति उत्तर-दायी है। मेरा मत यह है कि सदस्यों का कार्यपालिका से सीधा सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, परन्तु उन्हें मन्त्रणा समितियों से सम्बन्ध रखने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। एक ओर हम चाहते हैं कि सदस्य कोई लाभ पद ग्रहण न करे और उसके लिए मैं समझता हूं कि मुआवजा भत्ते की परिभाषा काफी है; साथ ही हम यह भी कहते हैं कि पद प्रभावशाली नहीं होना चाहिए, ताकि सदस्य उसका अनुचित प्रयोग न कर सकें, यह बात गलत है। संसद अथवा विधान मण्डलों के सदस्यों ने अपने मतदाताओं का विश्वास प्राप्त किया है, इसलिए उनका किसी ऐसे पद से सम्बन्ध नहीं होना चाहिए जिसका वे अनुचित प्रयोग कर सकें, एक गलत बात है। यदि कोई सदस्य गलत बात करता है और वह सदन के समक्ष आती है, तो वह सारे संसार के सामने आ जायेगा। और वह बदनाम होगा अतः इसके लिए और अधिक कोई संरक्षण नहीं हो सकता। क्या कोई गैर-सदस्य अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता। ऐसे विचार हमें अपने मन में नहीं लाने चाहिए। ये जो हमारे सन्देह हैं, यदि इन से हम मुक्त हो जायें तो सदस्यों : प्रशासनिक निकायों में भी लिया जा सकता है।सदस्य, यदि कोई बुरी बात करता है तो सदन उसे सजा दे सकता ह। हमें यह कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि कोई सदस्य गलत बात करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसके लिये सदन के प्रति उसे उत्तरदायी होना होगा। यह सब अविश्वास की बात ह। मेरा मत है कि हमें विधेयक को आगे ले जाना चाहिए और बाद में जैसा आव-श्यक समझा जाये उसमें परिवर्तन कर दिया जाय। इससे आने वाली कठिनाइयां भी हल हो जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा मत है कि एक अधिकार-प्राप्त स्थायी समिति होनी चाहिए, जो कि समय समय पर किसी अन्य पद के बारे में राय व्यक्त करे, जिसको वह अनर्हता से मुक्त करना ठीक समझे ।

श्री वाजपेयी : (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर संयुक्त समिति को जितना परिश्रम करना चाहिये था और जितना ध्यान देना चाहिए था, उसने नहीं दिया और परिणाम यह है कि विधेयक अधूरे रूप में हमारे सामने उपस्थित है । मैं यह दलील मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि संयुक्त समिति के लिए सम्भव नहीं था कि वह सभी समितियों का विचार करती और किन समितियों की सदस्यता सस्दयों को इस सदन में आने के लिए अयोग्य बना देगी, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करती । एक बहुत बड़ी बात जिसका कि शायद विचार नहीं किया गया, वह यह है कि यह संसद् अयोग्यता के सम्बन्ध में जैसे भी क़ानून बनायेगी, हमारे राज्यों की विधान सभाएं उनको माडेल के रूप में लेंगी और उनके क़ानून भी उन्हीं के आधार पर बनेंगे और परिणाम यह होगा कि ऐसे व्यक्ति संसद् में आ सकेंगे जो कि शासन के द्वारा प्रभावित होंगे ।

इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि गांवों में जो मालगुज़ारी वसूल करते हैं उन्हें छूट होगी चुनाव में खड़े होने की । अब मैं उत्तर प्रदेश की बात जानता हूं कि पुराने पटवारी और आज के लेखपाल गांवों की जनता पर कितना असर रखते हैं, दबाव की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से नहीं और भले ही वे अपने क्षेत्र में संसद् के लिए निर्वाचित न हो सकें, मगर जहां तक विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र का प्रश्न है, वे ज़रूर अपने पद का प्रभाव ला सकते हैं । अब अगर राज्यों की विधान सभाएं अपने विधेयकों में ऐसे पदों को भी शामिल करेंगी और मैं समझता हूं कि वे करेंगी क्योंकि संसद् ने उनके सामने एक नमूने का ऐक्ट बनाने की तैयारी कर दी है तो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा क्योंकि सूबों में ऐसे व्यक्ति अधिक संख्या में पहुंच सकते हैं जो कि शासन के द्वारा प्रभावित हों और जो किसी भी प्रश्न पर सत्य और निर्भीक दृष्टि से विचार न कर सकें । आज जब कि सत्तारूढ़ दल बहुत बड़े बहुमत में है तब तो इस बात का इतना खतरा नहीं है लेकिन अब धीरे धीरे राजनैतिक परिस्थिति बदल रही है और आगे चल कर कभी राजनैतिक संतुलन ऐसा हो सकता है कि थोड़े से सदस्यों का प्रभावित होना दूरगामी परिणाम उत्पन्न करे । मैं समझता हूं कि इस बात की पूरी व्यवस्था नहीं की गई कि जो भी व्यक्ति किसी पद पर होने का लाभ उठाते हैं या उससे दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें विधान सभाओं या संसद् में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ।

विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की अयोग्यता दूर करने के सम्बन्ध में यहां पर काफी वाद-विवाद हुआ है । इस सम्बन्ध में बनारस विश्वविद्यालय की भी चर्चा की गई है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब इस सदन में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर बहस हो रही थी उस समय अगर उस विश्वविद्यालय के वर्त्तमान वाइस चांसलर भी सदस्य के रूप में इस सदन में मौजूद होते, तो उनकी क्या स्थिति होती और इस सदन की क्या स्थिति होती ? क्या वह उनके लिए और सदन के सदस्यों के लिए ठीक होता ? क्या उनकी उपस्थिति सदन में बतौर एक सदस्य के, सदन के माननीय सदस्यों के लिए उनकी आलोचना करने में और एक स्वस्थ वातावरण पैदा करने में सहायक होती ? मैं समझता हूं कि यह किसी के लिए ठीक नहीं होता, इस सदन के लिए भी ठीक नहीं होता और एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की महत्ता के लिए भी ठीक नहीं होता ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

कुछ सदस्यों ने इस सुझाव का प्रतिपादन किया है कि लाइसेंस इंश्योरेंस कारपोरेशन या स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऐसे संस्थानों में सदस्यों के जाने से वे संस्थान अच्छी तरह से चलेंगे । मेरा निवेदन है कि इस समस्या का एक पहलू और भी है और वह यह है कि ऐसा होने से इन संस्थानों में गड़बड़ियां भी हो सकती हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन में हुई । उस तरह के कांड भी घटित हो सकते

हैं और उस समय इस सदन में बैठे हुए उस सदस्य की स्थिति क्या होगी जो कि उस संस्थान में काम करता होगा ? फिर उस सदस्य के मित्र भी होंगे और इस सदन में बैठा हुआ वह सदस्य किसी पार्टी का भी होगा और पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी खड़ा हो सकता है और मैं नहीं समझता कि संसद् के सदस्यों को ऐसे संस्थानों में लाना उचित होगा.....

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

†**सभापति महोदय :** घंटी बजाई जा रही है।

अब गणपूर्ति है, माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि देश के आर्थिक विकास के साथ ऐसे संस्थानों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उन पर नियंत्रण करने का उन्हें ठीक तरह से चलाने का यह अच्छा तरीका न होगा कि संसद् के कुछ सदस्यों को उन में भेज दिया जाय। जो भी संसद् के सदस्य इस तरह के आर्थिक या औद्योगिक संस्थानों में काम करना चाहते हैं उन्हें संसद् की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना चाहिये और पूरा समय, पूरा श्रम, पूरी शक्ति और पूरी बुद्धि लगा कर उन संस्थानों को आगे बढ़ाने में लगना चाहिये। अगर उन की शक्ति बंट जायेंगी और वे दोनों तरफ ध्यान देंगे तो न तो वे संसद् के प्रति अपना दायित्व पालन कर सकेंगे और न उन संस्थानों के प्रति न्याय कर सकेंगे। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में विधेयक में जो भी व्यवस्था की गई है उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

राज्यों में विधान सभायें इस विधेयक के नमूने पर अपने विधेयक तैयार करेंगी। इस बात को ध्यान में रख कर भी इस विधेयक में जो संशोधन उपयुक्त थे वे नहीं किये गये, और मुझे लगता है कि विधेयक अगर इस रूप में पास हो गया तो फिर चुनाव के बाद होने वाले झगड़ों की संख्या बढ़ेगी, और यह तय करना मुश्किल होगा कि कौन सा निर्वाचित सदस्य संसद् की सदस्यता के योग्य है अथवा नहीं है।

विवाद में इस बात को भी उठाया गया है कि संविधान की धारा १०२ में जो शब्दावली है उस के अन्तर्गत हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि हम आफिस आव प्राफिट, लाभ का पद क्या है इस की व्याख्या करें, और संसद् यह नहीं कर सकती। अगर वैधानिक दृष्टि से संसद् के लिये यह कार्य सम्भव नहीं है तो फिर संविधान की धारा में संशोधन करने के सम्बन्ध में हमें विचार करना चाहिये। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अयोग्यता की सारी शर्तें हटा दी जायें और संसद् के द्वार सब के लिये खोल दिये जायें। संसद् के सदस्यों की स्वतन्त्रता और निर्भीक बुद्धि सुरक्षित रहे, इस के लिये आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति संसद् में प्रवेश न पा सकें जो प्रशासन द्वारा, कार्यपालिका द्वारा, एग्जीक्यूटिव द्वारा प्रभावित हैं, उस से अर्थ में या प्रभाव में लाभ उठाते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में बड़ी बारीकी से छानबीन करने की जरूरत है और काम लम्बा भी है। शायद प्रवर समिति पूरा समय नहीं दे सकी। यह अधूरा विधेयक है। मेरा निवेदन है कि सरकार को यह विधेयक वापस लेना चाहिये और उसे अधिक पूर्ण रूप में, जो आपत्तियां सदस्यों ने उठायी हैं उन का विचार करते हुए सदन के सामने लाना चाहिये।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : सभापति महोदय, आज देश के अन्दर एक प्रवृत्ति बहुत स्पष्ट तौर पर दिखायी दे रही है, और वह प्रवृत्ति यह है कि जनता न केवल उम्मीद करती हैं बल्कि यह मांग

---

†मूल अंग्रेजी में

करती है कि यह संसद् अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तौर पर पालन करे । जनता आज इस बात की मांग करती है कि जो कुछ भी खर्च होता है वह ठीक तौर पर खर्च हो, गवर्नमेंट की तरफ से जो कारपोरेशन्स हैं, या जो इन्वेस्टमेंट होता है, या जो फिस्कल और दूसरी तरह की पालीसियां चल रही हैं और जो इतना पैसा लगाया जा रहा है वह ठीक तौर पर लगाया जाये, कहीं फिजूलखर्ची न हो और कहीं पर भी सिफारिश की या अपने रिश्तेदारों को मदद देने की बात न दिखायी दे । तो आज हमें यह समझ कर चलना चाहिये कि जनता अब बहुत क्रिटिकल हो चुकी है क्योंकि वह अब चीजों को बारीकी से देखती है और नुक्ताचीनी कर रही है, और इस जिम्मेदारी से संसद् इन्कार नहीं कर सकती । उस की इस सम्बन्ध में अन्तिम जिम्मेदारी है और उसे इस का जवाब देना पड़ता है ।

अभी एक चीज का जिक्र मेरे पूर्व वक्ता ने किया, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन का । उस के बारे में जो कुछ भी हुआ उस पर जनता ने अपनी नाराजगी या अपने विचार बड़ी स्पष्ट तौर पर व्यक्त किये हैं । ये सब चीजें क्या बताती हैं । ये चीजें यह बताती हैं कि अब संसद् के सदस्यों को बहुत ज्यादा सजग रहना चाहिये, बहुत ज्यादा मालूमात रखनी चाहिये और इस तरह से जो इस संसद् का सारी चीजों पर नियंत्रण होना चाहिये उस का ठीक तौर पर पालन होना चाहिये ।

एक और बात मैं इस सिलसिले में कह देना चाहता हूं । वह यह है कि जानकार हलकों में आम तौर पर, भले ही आम आदमियों का यह ख्याल न हो, यह ख्याल बढ़ता जा रहा है कि संसद् के सदस्यों को ज्यादा जानकारी नहीं होती । उन को बहुत कम मालूमात होती हैं । और उन को बहुत कम अनुभव होता है । और इस कारण वह अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर सकते । जब हम स्टाक एक्सचेंज में या किसी खास उद्योग के केन्द्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यह चीज आप के कान पर नहीं आयी, यह तो महीनों से हमारे कान पर आती रही है । और उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि संसद् के उन सदस्यों की भी, जो कि उन विषयों के विवादों में भाग लेते रहे हैं, उतनी जानकारी नहीं है जितनी कि होनी चाहिये । तो हमारी जानकारी की इस अपूर्णता के सम्बन्ध में काफी ख्याल बढ़ता जा रहा है । और सच बात तो यह है कि विषय इतने ज्यादा हैं कि किसी भी सदस्य के लिय यह शक्य नहीं है कि पूरे तौर पर उन की जानकारी रखे और यह जानकारी प्राप्त करना भी उतना आसान नहीं है । जानकारी प्राप्त करने में काफी दिक्कतें आती हैं तो अगर इन दो तीन चीजों को हम ध्यान में रखें तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि हम सदस्यों में से हर एक सदस्य को या कम से कम सदस्यों के एक छोटे से समूह को विशिष्ट प्रकार के विषयों में दिलचस्पी लेनी चाहिये । कुछ हद तक ऐसा हो रहा है लेकिन अगर हम किसी भी पार्टी को या पूरे हाउस को ले तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह चीज संतोषजनक रूप में हो रही है । तो हमें कुछ विषेयों की विशेष जानकारी रखना आवश्यक है । इस में बड़ी मदद मिलेगी यदि सदस्यों का सम्बन्ध चीजों से नजदीक का हो जिस से कि हमें जानकारी हासिल करने में आसानी हो ।

एक उदाहरण के तौर पर मैं सेन्ट्रल सोशल वैलफेयर बोर्ड को लेता हूं । इस में करोड़ों रुपया खर्च होता है । लोक सभा का एक सदस्य और राज्य सभा का एक सदस्य उस में नियुक्त होता है । इस का परिणाम यह होता है कि अगर इस के बारे में कोई चीज मालूम करना चाहें तो उस सदस्य से आसानी से मालूम कर सकते हैं । अगर उस सदस्य के पास यह जानकारी न हो तो वह मालूम कर के हमारे पास पहुंचा सकता है । इस तरह से हम को जानकारी आसानी से मिल सकती है ।

दूसरे ऐसा करने से देश में यह विशेष भावना पैदा होगी कि संसद् का नियंत्रण तगड़ा है और ज्यादा नजदीक से है और इसलिये काम ठीक तौर पर चलता रहेगा ।

पूर्व वक्ता ने एक दो आशंकाओं की तरफ ध्यान दिलाया है। वे आशंकायें सही हैं, लेकिन उन का जो उत्तर है उस की तरफ उन्हों ने ध्यान नहीं दिया। दो चीजें उन्होंने बतायीं। एक तो यह कि जब किसी कारपोरेशन में एक सदस्य का सम्बन्ध है, अगर उस की तरफ से गलती होती है तो उस सदस्य की क्या हालत होगी। मान लीजिये कि हम में से कोई आदमी लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन का सदस्य होता तो जो आलोचना उस की यहां और सारे देश में हुई उस समय उस सदस्य की क्या हालत होती। साफ है कि उस की हालत खस्ता होती और ठीक तौर पर होती। इस के लिये वह जिम्मेदार है। कल अगर हमारा कोई मिनिस्टर गलती करता है, तो उस की हालत क्या होगी। चूंकि वह जिम्मेदार है, इसलिये उस की हालत खस्ता होनी ही चाहिये। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह मेम्बर वह हालत होने देगा। हम तो उस को भेज ही इसलिये रहे हैं कि वह वहां दुर्गति न होने दे और अगर इस के बावजूद दुर्गति होती है, तो उस को भुगतना चाहिये। मेरे मित्र ने कहा है कि उस वक्त उस के मित्र उस की तरफदारी और उस का बचाव करने की कोशिश करेंगे। मेरे मित्र ने यह सवाल भी उठाया कि शायद पार्टी के प्रेस्टीज का भी सवाल पैदा हो जायगा। ये सारी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन वे पेचीदगियां तो मिनिस्टर्ज और डिप्टी मिनिस्टर्ज के चालीस पचास पदों के साथ भी पैदा होती हैं और हम उन को गवारा करते हैं और डेमोक्रसी में उन को गवारा करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। इस स्थिति में मेम्बर्स के विषय में भी इस प्रकार की पेचीदगियां गवारा करने का कोई हर्ज नहीं है। इस का जो तोड़ है, उस की तरफ मेरे माननीय मित्र ने ध्यान नहीं दिलाया।

एक दूसरे मित्र ने कहा कि इस बात का भी शुबहा होता है कि कहीं इन पदों का दुरुपयोग न हो जाय—इन पदों से वे कहीं अपना खुद का लाभ गलत तौर पर न करना शुरू कर दें। इस तरह की भी आशंकायें होती हैं। इस का तोड़ यह है कि जो सार्वजनिक जीवन में, विशेषकर राजनीतिक जीवन में, हरेक व्यक्ति को बदनामी का बड़ा डर होता है और इसलिये वह अपना व्यवहार, अपना किरदार शंका से बिल्कुल परे रखना चाहता है, क्योंकि ऐसा किये बगैर उस को हर पांच साल के बाद जो जनता के सामने हाजिर होना पड़ता है, वह नामुमकिन हो जायेगा, और इसी कारण से कोई पार्टी या उस के मित्र भी उस का साथ नहीं दे सकेंगे। होता यही है। यहीं नहीं, दूसरे डेमोक्रटिक कंट्रीज में भी यही होता है। हमारे देश में भी यह हो रहा है। पहली बात यह है कि जनता में आज यह प्रवृत्ति है कि अगर कहीं थोड़ी सी भी गड़बड़ है, तो वह उस को सच मानने लगती है। जहां आशंकायें मौजूद हों, वहां वह किसी न किसी जिम्मेदार आदमी को घसीटना चाहती है। जहां सचमुच में कोई गड़बड़ घोटाला हुआ हो, या लापरवाही बरती गई हो, तो वहां जिम्मेदार व्यक्ति के लिये तो जीना दूभर हो जायगा और उस के मित्रगण भी उस की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि डूबने वाला तो डूबेगा ही, उस का साथ देने वाले भी डूबेंगे और अगर नभी डूबें, तो उन पर छींटे तो जरूर उछाले जायेंगे और उन पर भी असर पड़ेगा। आम जनता के सामने हम लोगों को जाना पड़ता है—आम दिनों में भी और खास तौर पर इलैक्शन में भी। उस का ख्याल हर पार्टी और हर व्यक्ति को होता है और इस प्रकार के पदों पर जो व्यक्ति आसीन हैं, उन के मित्रों को भी होता है। मैं समझता हूं कि इस वजह से जिस गड़बड़ की आशंका की जाती है, वह नहीं होगी।

इस के अतिरिक्त प्रैस और जनता हम लोगों के आचार और व्यवहार पर कड़ी नजर रखेगी, और हम लोगों को गलती नहीं करने देगी। जिस प्रकार से हम लोगों से यह उम्मीद रखी जाती है कि सरकारी ओहदेदारों, कारपोरेशन वगैरह और दूसरे लोगों से जो गलतियां होती हैं, उन को हम न होने दें, जिस प्रकार उन को चैक करने की जिम्मेदारी हम लोगों पर—इस संसद् के सदस्यों पर—

डाली जाती है, ठीक उसी प्रकार हम गलती न करें, इस की जिम्मेदारी स्वयं जनता पर है। जनता सजग हो रही है और रहेगी। प्रैस पर भी यह जिम्मेदारी है। अगर एक पार्टी का कोई व्यक्ति गलती करता है, तो दूसरी पार्टी का आदमी खामोश क्यों रहेगा ? वह बराबर हर बात को सामने लायेगा और उस को लाना भी चाहिये। हमारी पार्टियों में भी ऐसा ही होता है। एक आदमी चला जाये, तो उस की जगह खाली हो जायेगी और किसी दूसरे को मिल जायेगी। इस लिहाज से वे एक दूसरे पर नजर रखेंगे। इसलिये यह विचार ठीक नहीं है कि चूंकि गलतियां हो सकती हैं, इसलिये संसद् के सदस्यों को वहां न भेजा जाय। संसद् के सदस्यों को बिल्कुल बच्चे और मासूम समझ कर उन को अछूता न रखा जाना चाहिये। बल्कि उन को एक्सपीरिएंस्ड और तजुर्बेकार समझना चाहिये। यह समझना चाहिये कि वे ठीक काम करेंगे और इस लिये उन को मंझधार के बीच में भेजने के लिये हमें तैयार रहना चाहिये।

यह भी कहा जाता है कि मेम्बर अपने पद का दुरुपयोग करेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि पद का दुरुपयोग करने या अनुचित लाभ उठाने के लिये संसद् का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। वह सब काम उस के बगैर भी हो सकता है। जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं और उठा सकते हैं, वे अपने मित्रों के द्वारा ऐसा कर लेते हैं, वे मित्र चाहे मिनिस्टर हों या बड़े बड़े आफिसर हों। इस के लिये उन्हें संसद् सदस्य बनने और संसद्-सदस्य बन कर कारपोरेशन का मेम्बर बनने की जरूरत नहीं है। उन को हम पकड़ सकें, इसी लिये तो यह विधेयक लाया गया है। इसलिये संसद्-सदस्यों का जितनी ज्यादा प्रवृत्तियों——एक्टिविटीज——सम्बन्ध हों, उतना ही हमारे लिये अच्छा होगा और देश जो हम से यह आशा करता है कि हम सब नियंत्रण रख सकें, वह आशा भी पूरी होगी।

अन्त में मैं एक जुज्वी बात कह कर समाप्त करता हूं। मैं ने एक संशोधन का नोटिस भी दिया है और वह यह है कि डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जेम्पशन की लिस्ट में सैंट्रल बोर्ड आफ फिल्म सेन्सर्ज का जिक्र नहीं है। समय आने पर दो शब्द मैं उस के सम्बन्ध में भी अर्ज करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सपोर्ट करता हूं।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : इस विषय पर दोनों ओर से काफी कुछ कहा गया है और यह स्पष्ट ही है कि सदन का कोई भी अंग इस विधेयक से सन्तुष्ट नहीं है। इससे वर्तमान स्थिति के और भी खराब होने का भय है। संविधान के अनुसार यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लाभ पद पर आरूढ़ होता है तो वह न किसी विधान मंडल का सदस्य बन सकता है और न ही बना रह सकता है। साथ ही विधान मंडल अथवा संसद् को यह अधिकार भी है कि वह यदि मुनासिब समझे तो यह अनर्हता दूर कर दे। परन्तु यह अधिकार विशेष अवस्था में राष्ट्र हित के प्रयोग के लिए होता है, न कि दलगत स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए। मैसूर विधान सभा में तो ऐसा किया जाता रहा है, और कई बार लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अनर्हतायें हटा दी गई हैं। विधान मंडल के सदस्यों को श्रम न्यायाधिकरणों अथवा अपीली न्यायाधिकरण का सदस्य बनाया गया है और फिर भी सदस्य बने रहे और मोटे वेतन लेते रहे। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं। यह ठीक है कि बहुत से पदों से कुछ धन प्राप्ति नहीं होती थी, परन्तु फिर भी उनमें अधिकार और प्रतिष्ठा थी, जिसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मोटर और कोठी इत्यादि की सरकारी सुविधायें भी उन्हें उपलब्ध थीं। अतः इस प्रकार के पद को भी लाभ पद ही कहा जायेगा। इसी प्रकार यहां भी कई व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की समितियों इत्यादि का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और इस पद की स्थिति का व्यक्तिगत तथा राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है। यह सब संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। यह सब संवैधानिक व्यवस्था तो इसलिए की गयी थी कि प्रशासन शुद्धता से चल सके और निर्वाचित

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य अपने कर्तव्य बिना किसी प्रलोभन के पूरा कर सकें। विधेयक में जो इस प्रकार के उपबन्ध हैं उन से व्यक्तिगत लाभ उठाने की काफी गुंजाइश है।

मेरा निवेदन है कि ठाकुर दास भार्गव समिति की सिफारिशें भी पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं की गयीं। उपकुलपति और राजस्व अधिकारियों को इस प्रकार की अनर्हता के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। कई सदस्यों को सरकार योजना आयोग अथवा महत्वपूर्ण समवायों के सदस्य बना देती है, और इस प्रकार वे जनता के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार और जनता के बीच वास्तविक सम्पर्क स्थापित करने के पवित्र कर्तव्य को निभाने के अयोग्य हो जाते हैं। कई बार सरकारें अपने पक्ष की ओर आकर्षित करने के लिए सदस्यों को प्रलोभन देती हैं। और इस प्रकार कई विरोधी दलों के सदस्यों को अपना समर्थक बनाने में सफल हो जाती है। परन्तु ऐसा करने से प्रशासन में अनैतिकता फैल जाती है। उपकुलपति की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है,यदि उसे संसद् सदस्य बनने दिया जाय, तो वह कैसे सरकार के प्रभाव से वंचित रह सकता है। कहा जायेगा कि निर्वाचित उपकुलपति को विधान मंडल का सदस्य बनने की अनुमति होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उपकुलपति की नियुक्ति की अन्तिम स्वीकृति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल सरकार के प्रभाव में होता ही है मेरा मत यह है कि विश्वविद्यालय के सिंडीकेट के सदस्य की स्थिति का भी व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग हो सकता है। और उसे भी विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। उपकुलपति तो बहुत अधिक और ऊंचे अधिकारों वाला व्यक्ति होता है।

राजस्व अधिकारी की बात लीजिये। उसकी स्थिति भी सरकार के रहम पर होती है। अभी तो किसी राजस्व अधिकारी को किसी विधान मंडल का सदस्य होते देखा नहीं। उच्चतम न्यायालय ने यह विनिर्णय दिया था कि कोई राजस्व अधिकारी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, अतः सरकार इस अनर्हता को दूर करना चाहती है। वास्तव में यह बात संविधान के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति के व्यक्ति को विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।

संसद्-सदस्यों को समितियों का सदस्य बनने से नहीं रोका जा सकता। परन्तु समितियां भी दो प्रकार की होती हैं। कुछ समितियां तो दूसरों के काम की देखभाल करती हैं, और कुछ का काम केवल सलाह देने का होता है। सलाह देने वाली समितियों के सदस्य होने पर हमें कोई आपत्ति नहीं, परन्तु उन समितियों पर माननीय सदस्यों को नहीं लिया जाना चाहिए, जहां पर वह अपने पद का व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए प्रयोग कर सकें। मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां कि इस प्रकार का लाभ उठाया जा सकता है, और अपने दल को भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। यह सब दूर किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस मामले में शीघ्रता करनी चाहिए और राज्यों से पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। भार्गव समिति ने जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया परन्तु पूरी जानकारी उन्हें उपलब्ध नहीं हो सकी।

मेरे राज्य में तो इस प्रकार की कठिनाइयां बहुत हैं। मैंने आवास बोर्ड और खादी बोर्ड के सम्बन्ध में दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं। यह छोटी छोटी समितियां हैं। परन्तु अन्य कई ऐसी समितियां हैं, जो बहुत प्रभाव रखती हैं और उनके सदस्य अपने पदों का दुरुपयोग कर सकते हैं। इनमें ऐसे व्यक्तियों को लिया गया है जिनको सरकार अपने पक्ष में मिला सकती है और जो चुनाव के समय एजेन्ट का काम कर सकते हैं। इन शब्दों से मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री को इस विधेयक को वापिस लेकर, राज्यों से जो भी जानकारी उपलब्ध हो, प्राप्त करनी चाहिए और यह निर्णय करना

चाहिए कि इस दिशा में कौन सी नीति अपनानी उपयोगी रहेगी और किस प्रकार ठीक ढंग से संसद् सदस्य अपने मतदाताओं का सही प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : श्रीमान्, इस अपेक्षाकृत छोटे से विधेयक पर हम ने काफी विस्तार से विचार कर लिया है। सभा ने इस में विशेष रुचि दिखाई है। इन सब बातों का उत्तर देने से पूर्व मैं इस विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य कुछ ऐसे लाभ पदों को, जिन पर काम करने वाले व्यक्ति को थोड़ा बहुत वेतन मिलता था, अनर्हता के पदों की श्रेणी से निकालना है। सभा को स्मरण होगा कि इससे पूर्व भी इस प्रकार का एक विधेयक विद्यमान है जिसका प्रारूपण तथा इस सभा में पुरःस्थापन भी किया जा चुका है। उस में भी कई ऐसे पदों के अनर्हता पदों की श्रेणी से मुक्त करने का उपबन्ध किया गया है। इस विधेयक को सभा में पुरःस्थापना के बाद संयुक्त समिति को सौंपा गया था। समिति में इस पर विस्तृत विचार किया गया और इस विधेयक को तब एक उप-समिति को सौंपा गया। अधिकतर सदस्यों की यह इच्छा थी कि इस विधेयक के साथ कोई ऐसी अनुसूची जोड़ दी जाये जिसे देखते ही यह पता लग जाये कि अमुक अमुक-पद, चाहे उनके पदधारियों को कोई वेतन मिलता हो अथवा प्रतिकर भत्ता, अनर्हता के पद होंगे। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस सभा में यह कहा है कि इस विधेयक के साथ ऐसी सीमित सूची लगाने का कोई लाभ नहीं। किन्तु समिति में आप विधेयक में ऐसी सूची जोड़ने के पक्षपातियों के प्रबल समर्थक थे। उनका यह कहना था कि खंड ३ में दी गई सामान्य उन्मुक्तियों के अतिरिक्त अन्य ऐसे पदों को, जिन के धारकों को छूट दी जानी चाहिए किन्तु जिन को छूट नहीं दी गई है, अनर्हता के पद घोषित कर दिये जायें।

उप-समिति ने यह देखने के लिए कि किस किस संस्था, परिनियत अथवा अन्य निकाय आदि के चेयरमेन, सदस्य अथवा संचालकों के पदों को संसद्-सदस्य बनने के लिए अथवा संसद्स-दस्य बने रहने के लिए अनर्हता वाले पदों की अनुसूची में सम्मिलित करना चाहिए लगभग १२०० समितियों एवं संस्थाओं का निरीक्षण किया है। इन १२०० समितियों तथा संस्थाओं का, जिनके नियम तथा विधान केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, निरीक्षण करने के बाद उप-समिति ने संयुक्त समिति को अपनी रिपोर्ट दी और तब संयुक्त समिति ने यह अनुसूची, दो भागों में, विधेयक में जोड़ी है जिसमें कि विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों के अन्तर्गत बताई गई अनेक ऐसी संस्थाओं का नाम दिया गया है जिनके पदों को अनर्ह पद माना गया है।

इस अनुसूची के विरुद्ध इस सभा में सब से बड़ा यह आरोप लगाया गया है कि यह सम्पूर्ण नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब पंडित ठाकुर दास भार्गव इत्यादि अनेक सदस्य ऐसी अनुसूची सम्मिलित करने के लिए आग्रह कर रहे थे मैं ने उनको उसी समय बता दिया था कि ऐसी सूची कभी भी सम्पूर्ण नहीं हो सकती और इसी कारण से हम ने विधेयक के मूल प्रारूप में ऐसी कोई अनुसूची नहीं रखी थी। यहां तक कि इंग्लैंड में भी आज तक यह अनुसूची पूरी नहीं हो सकी है। वहां की प्रवर समिति की कार्यवाही से यह प्रकट होता है कि ६$^{1}/_{2}$ वर्ष बाद भी वह लोग विभिन्न समितियों एवं संस्थाओं के विभिन्न पदों का पूरा निरीक्षण नहीं कर पाये हैं। सर आस्टिन स्ट्रट ने प्रवर समिति के अध्यक्ष सर पैट्रिक स्पैंस से जब यह प्रश्न पूछा कि "क्या सभी विभागों से ऐसे अनर्हता पदों की सूची पूरी करने के लिए क्या कोई परिपत्र आदि भेजा जा चुका है" तब वहां की सरकार ने यह उत्तर दिया था कि "हम पिछले ६$^{1}/_{2}$ वर्ष में अनेक परिपत्र भेज चुके हैं।" इस पर एक अन्य सदस्य श्री बाऊल्स ने यह कहा था "कि हम विभिन्न विभागों को और परिपत्र भेज कर ६$^{1}/_{2}$ वर्ष तक और तंग नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास पहले से ही ऐसे पदों की एक बड़ी सूची पहुंच चुकी है।" कहने का तात्पर्य यह है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करें इस प्रकार की प्रक्रिया से

†मूल अंग्रेज़ी में

हम कभी इन पदों की सूची पूरी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की जांच कभी न खत्म होने वाली जांच है। यह दशा तो इंग्लैंड की है। हमारे देश में १४ पृथक् पृथक् राज्य हैं। प्रत्येक राज्य में विभिन्न अधिनियमों के अधीन अनेक संस्थायें बनी हुई हैं। हमारे देश में इस प्रकार की जांच करना और भी कठिन है। उदाहरण के लिए आप इतिहासिक भवनों की जांच के बारे में समिति को ही ले लीजिये। वह समिति आज तक यह निश्चय नहीं कर सकी कि किन-किन इतिहासिक भवनों का संरक्षण करना चाहिए तथा किन को अनुदान दिये जाने चाहियें। फिर मान भी लीजिये कि वर्षों कठिन परिश्रम करने के बाद यदि हम ऐसी संस्थाओं अथवा ऐसे पदों की कोई अनुसूची बना भी लेते हैं तो जब तक यह पूरी होगी तब तक यह पुरानी पड़ जायेगी तथा इसके बनने के शीघ्र पश्चात् अनेक कई संस्थायें बन सकती हैं। कई संस्थाओं के कार्य बदल सकते हैं इत्यादि। इस प्रकार की स्थिति में हम जो भी सूची या अनुसूची बनायेंगे वह कभी भी सम्पूर्ण नहीं हो सकती है। कोई भी सूची अन्तिम नहीं हो सकती है। इसी लिए इंग्लैंड में इस त्रुटी को दूर करने के लिए यह उपबंध किया गया है कि वहां की लोक सभा (हाउस आफ कामन्स) जब भी चाहे इस सूची का एक सामान्य संकल्प द्वारा परिवर्तन, परिवर्धन तथा निराकरण अथवा संशोधन कर सकता है। किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे संविधान के कारण यहां पर ऐसा कोई उपबन्ध कर सकना सम्भव नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद १०२ के खंड (१)(क) में यह उपबंधित है कि इस प्रकार की कोई भी छट संसद् द्वारा पारित विधि द्वारा ही दी जा सकती है। संसद् की कोई भी एक सभा अपने संकल्प द्वारा किसी भी पदाधारी को छट नहीं दे सकती।

इसलिए यहां पर केवल एक ही उपाय सम्भव है। वह यह कि अभी हम एक यथासम्भव विस्तृत सूची स्वीकार कर लें। उसके बाद जितनी भी नई संस्थायें इत्यादि बनें व पुरानी संस्थाओं में जो भी परिवर्तन आयें उन सब का निरीक्षण करने के लिए किसी सभा अथवा दोनों सभाओं की एक स्थायी समिति नियुक्त कर दें। वह समिति समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का निरीक्षण करने के बाद इस अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए संसद् को प्रतिवेदन भेजती रहे और फिर यह सभा उसके अनुसार नई विधियां पारित करने का प्रयत्न करे। हमारे पास एक मात्र यही मार्ग रह जाता है।

आप किसी भी विधि में यह घोषणा नहीं कर सकते कि इसकी किसी भी अनुसूची को कोई भी सभा मात्र एक साधारण संकल्प द्वारा बदल सकती है। इसलिए यदि हम यह चाहते हैं कि इस में ऐसी अनुसूची लगाई जानी चाहिए तब हमें इस त्रुटि को भी साथ ही स्वीकार करना होगा। इसलिए ऐसी अनुसूची को यथासम्भव अद्यतन रखने के लिए आप को सभी संस्थाओं एवं निकायों का अवलोकन करने के लिए एक स्थायी समिति बनानी चाहिए। सरकार इसी कारण से प्रारम्भ में कोई ऐसी अनुसूची नहीं बनाना चाहती थी किन्तु संयुक्त समिति में सदस्यों के बहुत बल देने पर हम ने यह बात स्वीकार की है इसलिए अब हमें इस त्रुटि को भी साथ ही स्वीकार करना चाहिए।

इस सभा को सब से पहले यह निश्चय करना है कि क्या खंड ३ में उल्लिखित सामान्य छटों के अतिरिक्त वह किन्हीं विशेष पदों एवं संस्थाओं का नाम भी गिनाना चाहती है जिनको कि वह ये छूटें नहीं देना चाहती है।

कुछ सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि संयुक्त समिति ने यह अनुसूची बनाते समय किसी किसी सिद्धान्त का पालन नहीं किया। मैं समझता हूं यह आरोप सर्वथा अनुचित तथा गलत है।

मैं समझता हूं उसने किसी सिद्धान्त अथवा सिद्धान्तों के अनुसार ही यह अनुसूची बनाई है यद्यपि यदा कदा वह किसी एक ही सिद्धान्त का पालन न कर पाई हो।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि समिति ने किन सिद्धान्तों का पालन किया है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : माननीय सदस्य भी समिति के एक सदस्य थे। वह ऐसी अनुसूची रखने के पक्षपातियों में से थे। मैंने उनको किसी भी समय इस अनुसूची का विरोध करते नहीं सुना। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य उस उपसमिति के भी सदस्य थे जिसने कि विभिन्न निकायों व समितियों के विधानों का निरीक्षण किया है। उसी समिति ने मुख्य समिति को यह सिफारिश की थी कि किन किन निकायों को यह छूट नहीं दी जानी चाहिये।

†**श्री महन्ती** : मैं उप-समिति का सदस्य अवश्य था। किन्तु मैं समझता हूं उसने किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया।

†**श्री अ० कु० सेन** : माननीय सदस्य को इस प्रकार की स्वीकारोक्ति सोच समझ कर करनी चाहिए। मैं हरगिज़ इस बात को मानने को कदापि तैयार नहीं हूं। संयुक्त समिति के सदस्य के नाते मैं समझता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव तथा कुछ अन्य सदस्यों ने इस बारे में जो कुछ कहा था उसका तात्पर्य यह है कि हमें केवल यही नहीं देखना चाहिए कि क्या संसद्-सदस्य को दूसरे पद पर कोई वेतन अथवा प्रतिकर मिल रहा है अथवा नहीं बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि क्या उस सदस्य के उस पद पर काम करते हुए अपनी संसद् की सदस्यता का अनुचित लाभ उठा सकने की कोई सम्भावना तो नहीं है। हमें केवल यही नहीं देखना है कि क्या उसको उस पद से कोई द्रव्य लाभ होता है अथवा नहीं। हम केवल यह चाहते हैं कि वह अपनी स्थिति अथवा प्रभाव का अनुचित प्रयोग न कर सके। मैं समझता हूं संयुक्त समिति तथा उप-समिति की सभी चर्चाओं में यही भावना व्याप्त रही है। इसी कारण से समिति ने विभिन्न निकायों एवं संस्थाओं का पृथक् पृथक् अध्ययन किया है ताकि उसे पता चल सके कि किसी पदधारी को वेतन आदि वित्तीय लाभों के अतिरिक्त प्रभाव बढ़ाने, अपना हित साधने इत्यादि के लिए और क्या अधिकार तथा धन आदि दिया जाता है। इन सब पर भली भांति विचार करने के बाद समिति ने यह निश्चय किया है कि संलग्न अनुसूची के भाग एक तथा दो में उल्लिखित पदों को खंड ३ में उपबंधित सामान्य छूटें नहीं दी जानी चाहियें। सरकार ने खादी बोर्ड को छोड़ कर शेष सभी सुझाव मान लिए हैं। जहां तक मुझे स्मरण है उप-समिति ने कई खादी बोर्डों एवं सामाजिक बोर्डों को भी यह छूटें न देने के लिए सिफारिश की है। मगर मैं ने सरकार की ओर से उप-समिति की इस सिफारिश का घोर विरोध किया है। मैं समझता हूं खादी बोर्डों एवं विभिन्न समाज कल्याण बोर्डों व ग्राम स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने वाले लोगों पर संसद्-सदस्य बनने के लिए कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। यह नई सूची इसी प्रकार से बनाई गई है और इस में यह संस्थाएं नहीं सम्मिलित हैं।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसने इस अनुसूची को स्वीकार कर लिया है। मगर फिर भी हम इसमें आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार हैं। यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो हम उस पर गौर करने को तैयार हैं। अभी तक सदस्यों के हृदयों में यह भावना काम करती रही है कि जिस प्रकार की संस्थाएं इस अनुसूची में गिनाई गई हैं वैसी कई अन्य संस्थाएं छूट जायेंगी। अतः अनुसूची में गिनाई गई संस्थाओं को तो खंड ३ में उल्लिखित छूटें नहीं मिलेंगी। जबकि जिन

†मूल अंग्रेजी में

संस्थाओं का अनुसूची में उल्लेख नहीं किया गया उनको यह सब छूटें मिलती रहेंगी। मेरा विचार है इस प्रकार की आलोचना करना सर्वथा बेकार है। जिन सदस्यों को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो उन्हें इस में संशोधन करने के लिए उचित ढंग से समिति को सुझाव भेजने चाहियें थे। अब हम ऐसी सामान्य बातों पर विचार करने के लिए दो बार ऐसी समिति नहीं बिठा सकते हैं। जब तक मुझे स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया जाता कि अमुक अमुक संस्था इन छूटों का लाभ उठा रही है जबकि ठीक वैसी ही एक अन्य संस्था अनुसूची में आ जाने के कारण इससे वंचित हो गई है तब तक मैं इन सामान्य आक्षेपों का उत्तर नहीं दे सकता हूं।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भाग २ में जबकि कुछ राज्यों में बिजली बोर्डों, मार्केटिंग तथा गोदाम बोर्डों के लिए छूट दी गई है, अन्य राज्यों में इन्हीं संस्थाओं के लिए छूट क्यों नहीं दी गई है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : अनुसूची में छूट नहीं दी गई है। इसके विपरीत अनुसूची में ऐसी संस्थायें रखी गई हैं जिनको छूट दिये जाने से अलग रखा गया है।

†**श्री शंकरय्या** : किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन बनाये गये बिजली बोर्ड के सदस्य एक राज्य में अनर्ह हैं, जबकि दूसरे राज्य में नहीं हैं।

†**श्री अ० कु० सेन** : यदि माननीय सदस्य ऐसे किसी बिजली बोर्ड के बोर्ड के बारे में जानते हैं जिसमें वही काम होते हों तथा जिसको वही विशेषाधिकार प्राप्त हों, जो कि उन बिजली बोर्डों को प्राप्त हैं जिनको अनुसूची में छूट देने से अलग रखा गया है, तो उसके बारे में वह संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे उस बिजली बोर्ड पर भी वही अनर्हतायें लागू हो जायें। जब तक वह ऐसा नहीं करते हैं तब तक मैं इस की जांच करने की स्थिति में नहीं हूं कि वह अनुसूची में बताये गये बोर्डों के अनुरूप हैं अथवा नहीं। यदि भविष्य में ऐसी कमियां सामने आती हैं जिनकी ओर संभवतया माननीय सदस्यों का ध्यान नहीं जाता है, तो स्थायी समिति उनके बारे में रिपोर्ट करेगी तथा अनुसूची पद्धति की कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेगी। इस प्रकार जब तक माननीय सदस्य मुझे ऐसी संस्थाओं के उदाहरण नहीं बताते हैं तब तक उनके उत्तर देना मेरे लिए बड़ा कठिन है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायोजन से स्थापित बोर्डों के सम्बन्ध में मैं जांच किये बिना उत्तर नहीं दे सकता। यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करेंगे तो मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि सरकार तथा सभा उस पर निश्चित रूप में विचार करेंगी। यदि कोई ऐसा बिजली बोर्ड रह गया है जो अनर्हता-योग्य है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने अपने राज्यों में स्थित संस्थाओं का अध्ययन करें और जिसके सम्बन्ध में उचित समझें संशोधन प्रस्तुत करें।

जो कुछ मैं कह चुका हूं उसके अतिरिक्त अनुसूची के विरुद्ध कही गई बातों के सम्बन्ध में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। दूसरी आलोचना उप-कुलपति के पद को छूट देने के बारे में है। मैं सभा को बता सकता हूं कि सरकार उपकुलपतियों को छूट न देने के बारे में सहमत हो जायेगी; यह उपबन्ध उन पर लागू नहीं होगा जो पहले से छूटे हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि द्वितीय वाचन के समय कुछ संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

होम गार्ड, प्रादेशिक सेना, तथा राष्ट्रीय छात्र दल के बारे में आलोचना की गई । जैसा हमेशा होता है, सरकार के कथित इरादों और उद्देश्यों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया कि सरकार सभा को होम गार्डों, राष्ट्रीय छात्र दलों, प्रादेशिक सेना के लोगों से भर देना चाहती है, मानो ये लोग अनर्हता हटते ही सभा के सदस्य बन जायेंगे और लोगों को इन्हें वोट नहीं देने होंगे । मैं इसका हमेशा विरोध करूंगा कि होम गार्डों, राष्ट्रीय छात्र दल के सदस्यों तथा प्रादेशिक सेना के सदस्यों को संसद्-सदस्य होने के लिए अनर्ह घोषित किया जाये । ये लोग राष्ट्र तथा देश की सुन्दर सेवा कर रहे हैं । वे सुन्दर सेवा कर रहे हैं इसलिए उनको संसद्-सदस्य होने से रोका जाये, यह उनके साथ अन्याय होगा । मेरे राज्य पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक गांव में होम गार्ड हैं, जो सीमा की रक्षा करते हैं और देश की रक्षा करते हैं; तो क्या उनको संसद्-सदस्य होने से रोका जाना चाहिए । हम यहां दूर बैठे हैं, इसलिए होम गार्डों की ज़रूरत को नहीं समझते । हरेक गांव में सीमावर्ती झगड़ों और हमलों को रोकने के लिए होम गार्ड काम कर रहे हैं । क्या हमारा इन लोगों में अनर्ह कर देना न्यायपूर्ण होगा ? जहां तक मैं जानता हूं प्रत्येक राज्य में होम गार्ड हैं और हालांकि वे राज्य विधान मंडलों के सदस्य हो सकते लेकिन संसद् के नहीं । राष्ट्रीय छात्र दल की भी यही बात है । विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में युवक सैनिक प्रशिक्षण लेते हैं । मेरा तो व्यक्तिगत यह विचार है कि देश के प्रत्येक पुरुष तथा प्रत्येक महिला को सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिये । ख़ैर यह अलग बात है, परन्तु अब भी हम कालिजों और विश्वविद्यालयों में सैनिक प्रशिक्षण की सुविधायें दे रहे हैं । उनसे यदि यह कहा जाये कि आप सैनिक प्रशिक्षण तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन संसद्-सदस्य नहीं हो सकते तो यह उनके साथ सरासर अन्याय होगा । मैं इसका घोर विरोध करता हूं ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** (जोरहाट) सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों तथा कालिजों के अध्यापकों के बारे में आपकी क्या राय है?

†**श्री अ० कु० सेन :** सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल सरकारी कार्यालय नहीं होते । अनुच्छेद १०२ के अधीन हमारा सम्बन्ध लाभ वाले सरकारी पदों से ही है ।

†**सभापति महोदय :** माननीय मंत्री कितना समय और लेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं अभी समाप्त कर दूंगा । अन्यथा आप अभी सभा स्थगित कर सकते हैं क्योंकि, संभव है कुछ अन्य बातों का उत्तर देना पड़े ।

[इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई]

---

†मूल अंग्रेजी में

[गुरुवार, २७ नवम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		७४५—७०
तारांकित प्रश्न संख्या		
२६१	नहरी पानी की बकाया रकम	७४५—४६
२६३	हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों का त्रुटिपूर्ण निर्माण	७४६—४८
२६५	राजस्थान नहर	७४८—५०
२६६	सार्वजनिक टेलीफोन की दर	७५०—५१
२६७	हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग	७५१—५२
२६८	उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण की वृहत्तर योजना	७५२—५३
२६९	खोसला समिति	७५३—५५
२७०	रात्रि एयर मेल स्काईमास्टर की दुर्घटना	७५५—५६
२७१	दुग्ध-चूर्ण (मिल्क पाउडर) तथा संघनित दूध परियोजना	७५६—५७
२७२	मनीआर्डर	७५७—५८
२७३	नौपरिवहन वस्तु भाड़ा दरें	७५९—६०
२७४	उड़ीसा में बिहार को चावल का निर्यात	७६०—६२
२७५	गन्ना	७६२—६५
२७६	तूफान की चेतावनी देने वाला रडार यंत्र	७६५—६६
२७७	दिल्ली में परिवहन सुविधायें	७६६—६७
२७८	डकोटा	७६७—६८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
२	एयर इंडिया इंटरनेशनल की साप्ताहिक मालवाही विमान सेवा	७६८—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		७७०—९०
तारांकित प्रश्न संख्या		
२६२	ग्रामदान तथा सामुदायिक परियोजनाओं का एकीकरण	७७०—७१
२६४	कटक में टेलीफोन व्यवस्था	७७१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

२७६ रेल के सवारी और माल डिब्बों के गैर-सरकारी निर्माता . ७७१

२८० उर्वरक ७७१–७२

२८१ राष्ट्रीय राजपथों का विकास . . ७७२

२८२ दिल्ली में परिवहन सुविधायें . ७७२

२८३ सड़क तथा अन्तर्देशीय परिवहन का विकास ७७२–७३

२८४ इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का लागत ढांचा ७७३

२८५ रेलगाड़ी का आक्रमण . ७७३

२८६ यूगोस्लाविया से जहाजों की खरीद ७७३

२८७ 'बोस्टा रिका' भारवाही पोत का डूबना ७७३–७४

२८८ 'टैल्को' इंजन ७७४

२८९ दिल्ली में जल संभरण और जल निस्सारण योजनायें . ७७४

२९० अमरीकी विकास ऋण निधि ७७४–७५

अतारांकित

प्रश्न संख्या

४४२ मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी . ७७५

४४३ डाक और तार कर्मचारियों के लिये अवकाश गृह ७७५

४४४ पंजाब से खाद्यान्नों का लेजाया जाना ७७६

४४५ रेलों पर बिना टिकट यात्रा ७७६

४४६ हिमाचल प्रदेश में मूल ग्राम केन्द्र ७७६

४४७ गाड़ी का पटरी से उतर जाना ७७६–७७

४४८ उड़ीसा में बहु प्रयोजनीय खंड ७७७

४४९ टेलीफोन के कनैक्शन ७७७–७८

४५० उड़ीसा में अनाज के गोदाम . . ७७८

४५१ उड़ीसा में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए सहायता ७७८–७९

४५२ उड़ीसा में कृषि योजनायें ७७९

४५३ छूटा हुआ सामान ७७९

४५४ उड़ीसा में नदियों पर पुल ७८०

४५५ दक्षिण-पूर्व रेलवे पर नैमित्तक श्रमिक ७८०

४५६ विभागातिरिक्त डाक कर्मचारी . ७८०–८१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४५७	बम्बई में भू परिरक्षण	७८१
४५८	सिंचाई परियोजनायें . . .	७८१–८२
४५९	परिवार नियोजन	७८२
४६०	टिकट चैक करने वाले कर्मचारी	७८२
४६१	दाई के काम और स्वास्थ्य निरीक्षण में प्रशिक्षण . .	७८३
४६२	दामोदर घाटी निगम का जल-कर . . .	७८३
४६३	उड़ीसा में बहूड़ा नदी परियोजना . . .	७८३
४६४	हिमाचल प्रदेश में मालियों को प्रशिक्षण . . .	७८३–८४
४६५	खाद्यान्नों के भाव	७८४
४६६	भारी बांधों के लिये डिजाइन .	७८४
४६७	रेलों को कोयले का संभरण . .	७८४–८५
४६८	विजगापट्टम् पत्तन . . .	७८५
४६९	बिजली के पंखों वाले तीसरी श्रेणी के डिब्बे .	७८५–८६
४७०	मालगाड़ी के पुराने डिब्बों की बिक्री	७८६
४७१	'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन .	७८६
४७२	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण के लिये महा योजना .	७८७
४७३	रेलवे कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना .	७८७
४७४	स्वास्थ्य निरीक्षकों की ट्रेनिंग	७८७–८८
४७५	आन्ध्र में कृषकों को ऋण	७८८–८९
४७६	भद्रावती रेलवे स्टेशन .	७८९
४७७	मध्य रेलवे में रेलवे संरक्षण बल . .	७८९
४७८	टेलीफोन .	७८९–९०
४७९	तूतीकोरिन पत्तन	७९०
स्थगन प्रस्ताव		७९०—९२

अध्यक्ष महोदय ने २३ नवम्बर, १९५८ की रात को होशियारपुर से चलती हुई गाड़ी में एक महिला यात्री की हत्या के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिस की सूचना श्री ब्रज राज सिंह ने २५ नवम्बर, १९५८ को दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र		७९२–९३

मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत आसाम के वर्जित क्षेत्रों के लिये मोटर गाड़ी नियम, १९४२ में कुछ संशोधन करने

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—(क्रमशः)

वाली आसाम गजट में प्रकाशित दिनांक २१ मई, १९५८ की अधिसूचना संख्या एम वी २२/५५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई ।

राज्य-सभा से सन्देश ७९३

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा १८ नवम्बर, १९५८ को पारित किये गये चाय (सीमा शुल्क और उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक १९५८ के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ७९३

दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ७९३

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

विधेयक पर साक्ष्य—सभा पटल पर रखा गया . . . ७९३

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . ७९३-९४

श्री राम कृष्ण ने भारत के खनिज संसाधनों का उपयोग करने के लिये स्थापित किये गये निगम के गठन और कृत्यों की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया । खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक—पुरस्थापित ७९४

लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

विशेषाधिकार प्रस्ताव—स्वीकृत . . ७९५—८१४

केरल के मुख्य मंत्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में २७-९-५८ को श्री मी० रु० मसानी द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार के प्रस्ताव तथा उस पर डा० क० ब० मेनन के संशोधन पर और आगे चर्चा हुई । श्री नारायण कुट्टि मेनन ने एक स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

विषय पृष्ठ

विशेषाधिकार प्रस्ताव--स्वीकृत-- (क्रमश :)

श्री म० रु० मसानी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

मूल प्रस्ताव का स्थानापन्न प्रस्ताव तथा उस पर संशोधन अस्वीकार कर दिये गये । मूल प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया ।

विधेयक--विचाराधीन ८१५-२७

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७, पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि--

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के प्रस्ताव पर चर्चा ।

श्री महन्ती के समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५७ (धारा २९३ का संशोधन) पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार ।